लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५८, १९६१/१८८३ (शक)

[४ से ८ सितम्बर १९६१/१३ से १७ भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

चौदहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१/१३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६४, ११६६ से ११७१ और ११७४ ३२७१--९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३२९६--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५८, ११६५, ११७२, ११७३, ११७५ से १२०९ ३२९८--३३१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५० से ३२९३, ३२९५ से ३३०२, ३३०४ से ३३३३ और ३३३५ से ३३४३ ३३१५--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३९६

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)- एक समीक्षा--

सभा-पटल पर रखी गयी ३३९७

राज्य सभा से सन्देश ३३९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३९७

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश और बारहवां प्रतिवेदन ३३९७-९८

सभा का कार्य ३३९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ३३९८--३४१७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३३९८--३४०२

खंड ३ से २९ और १ ३४०२--०५

पारित करने का प्रस्ताव ३४०५--१७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ३४१७--२१

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३४२१--२३

दैनिक संक्षेपिका ३४२४--३४

अंक २२--मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१० से १२१४, १२१६, १२१७, १२२० से १२२३, १२२५ से १२३१ ३४३५--६१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२१५, १२१८, १२१९, १२२४, १२३२ से १२४० ३४६१—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ से ३४६३ . ३४६७—३५१८

स्थगन प्रस्ताव . . ३५१८—२०

(१) मोसावाडी में तांबों की खानों का बन्द किया जाना ३५१८–१९

(२) तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना ३५१९–२०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३५२०–२१

पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन पत्रों का अस्वीकार किया जाना ३५२०–२१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५२१–२२

राज्य सभा से सन्देश . . . ३५२२, ५६–५७

अनुपस्थिति की अनुमति . ३५२२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति ३५२३

सभा का कार्य ३५२४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३५२४—३७

खंड २ से २६, २०क और १ ३५३४—३६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५३६–३७

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक ३५३७—५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३७—५१

खंड २ से ५ और १ . ३५५३

पारित करने का प्रस्ताव . ३५५३

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक . ३५५३—५६

विचार करने का प्रस्ताव ३५५३—५६

आयकर विधेयक, १९६१ . . . ३५५७

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया

लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३५५७—६२

दैनिक संक्षेपिका ३५६३—७०

पृष्ठ

अंक २३—बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४६, १२४७, १२४९, १२५० से १२५५, १२५७, १२५८ और १२६१ . . . ३५७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४१,१२४२, १२४४, १२४८, १२५६, १२५९, १२६० और १२६२ से १२७० ३५९५–३६००

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६४ से ३५९४, ३५९६, ३५९७, ३५९९ से ३६१८, ३६१९क, ३६१९ख, ३६१९ग, ३६१९घ और ३६१९ङ ३६०१–६८

अतारांकित प्रश्न संख्य . . . . उत्तर में शुद्धि ३६६८

स्थगन प्रस्ताव—

नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना ३६६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना ३६६९–७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७०

राज्य सभा से सन्देश ३६७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों सम्बन्धी समिति—

नवास्सीवां प्रतिवेदन . ३६७१

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६७१

सदस्य का त्याग पत्र . ३६७१

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६७१–९२

खंड २ से २३ और १ ३६९२–९७

पारित करने का प्रस्ताव ३६९२–९७

खनिज रियायत निगम के बारे में प्रस्ताव ३६९८–३७०७

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३७०७–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७१४–२२

पृष्ठ

अंक २४ गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१/१६ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८०, १२८२, १२८४ ३७२३–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७७, १२८१, १२८३, १२८५ से १३१८ ३७४७–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२० से ३७७६, और ३७७६क ३७६३–३८३२

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३८३२

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां ३८३२

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३८३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३८३४

कार्यवाही का सारांश ३८३४

याचिका सम्बन्धी समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३३३४

(२) तेरहवां प्रतिवेदन ३८३४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश ३८३४

प्राक्कलन समिति—

(१) कार्यवाही सारांश ३८३४

(२) एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन ३८३४

जमा धन बीमा निगम विधेयक ३८३५–५७

विचार करने का प्रस्ताव ३८३५–५५

खंड २ से ६ ३८५५–५७

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव ३८५७–७६

बोनस आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३८७६–८०

दैनिक संक्षेपिका ३८८१–९०

पृष्ठ

अंक २५—शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१/१७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ से १३२८, १३३० से १३३६, १३४२-अ और १३३७ . . ३८९१—३९१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ से ६ ३९१९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ और १३३८ से १३४५ ३९३४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७७ से ३८४४ और ३८४६ से ३८७४ . ३९३८—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ३९८५—९५

(१) कुछ खानों में दुर्घटनायें

(२) आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

(३) फर्रुखाबाद में रेल गाड़ी को रोका जाना

(४) उड़ीसा के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

(५) कुछ संघ राज्यों में नई राजनैतिक व्यवस्था

(६) हथकरघे कपड़े के लिये गोदी निरीक्षण प्रमाणपत्र

(७) लोहे की कतरन का निर्यात

(८) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्र-वृत्तियों का दिया जाना

(९) विज्ञान संवर्धन संस्था कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

(१०) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्महत्या

(१२) नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

(१३) उड़ीसा में बाढ़

(१४) कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में विलयन

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३९९५—९८
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . कार्यवाही-सारांश	३९९८
राज्य सभा से संदेश . .	३९९८
लोक लेखा समिति . .	३९९९
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य	३९९९
सदस्य द्वारा वक्तव्य . .	३९९९
आयकर विधेयक . .	३९९९—४००३
राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधन	
जमा धन बीमा निगम विधेयक	४००३—०५
खंड ६ से ५१ और १	४००३—०४
पारित करने का प्रस्ताव	३००४—०५
यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव	४००६—१६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति नवासीवां प्रतिवेदन	४०१६
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . .	४०१६—३४
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रासबिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प . . .	४०३५–३६
दैनिक संक्षेपिका . . .	४०३७–४६
चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप .	४०४७–४९

लोक-सभा

शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१

१७ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

+

†*१३१९. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस जांच समिति की रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया है जिसने शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के मामलों की जांच पड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां।

(ख) भविष्य में मिल की कार्य-प्रणाली के बारे में की जाने वाली कार्यवाही पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

†**श्री चुनी लाल :** समिति से प्राप्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये सब गोपनीय कागज़ात हैं। स्पष्ट है कि यह सोचने के लिए गुंजाइश है कि कुप्रबन्ध है और उस में उचित सुधार की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस विशिष्ट रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस मिल की हालत सिर्फ इसलिए खराब है कि वहां का प्रबन्ध बुरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार

†मूल अंग्रेजी में

1223 (Ai) LSD—1

इस मिल को अपने हाथ में ले लेगी और इस ओर ध्यान देगी कि वे आदमियों को फिर से बसायें, आदि ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उस दिशा में विचार हो रहा है।

†**श्री तंगामणि :** रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद इस मिल का प्रशासन किस प्रकार चल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उससे पहले भी मिल चालू हालत में थी। एक समय वह महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में थी। अब हम पूरे मामले पर फिर से विचार कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि क्या वह अधिकृत नियंत्रण के अधीन लायी जा सकती है।

†**श्री दामानी :** यह रिपोर्ट कब मिली थी और उसके बाद उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ने वही बताया है। वह क़रीब छै महीने पहले प्राप्त हुई थी और उस पर कार्यवाही के बारे में विचार हो रहा है। सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

†**श्री दामानी :** क्या यह सच है कि वे मंहगाई भत्ता नहीं दे रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ये सब ब्यौरे की बातें हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है, उन्होंने पुराने भत्ते देना शुरू कर दिया है।

तिब्बत में पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई

+

†*१३२०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े गये शेष भारतीय राष्ट्रजनों या भारतीय संरक्षणाधीन व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिये किये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** भारत सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप चीनियों ने एक भारतीय राष्ट्रजन और एक भारतीय संरक्षित व्यक्ति को इस बीच रिहा कर दिया है। दोनों ही भारत वापस लौट आये हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जायेगी कि अभी कितने भारतीय तिब्बत में कैद हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** लासा स्थित दूतावास से जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ५ कश्मीरी मुसलमानों और सिक्किम से एक लामा को अब भी चीनियों ने पकड़ रखा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि चीन सरकार ने भारत सरकार को कोई कारण बतलाये हैं जिनकी वजह से अब तक इन लोगों को नजरबंद किया गया हैं, और उन पर क्या क्या चार्जेज हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जो० ना० हजारिका :** उन्होंने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि उन्हें अभी भी कैद में क्यों रखा गया है। उन्हें संदेह के कारण रोक रखा गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उनके विरुद्ध चीनी सरकार ने क्या आरोप लगाये हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** चीनी अधिकारियों के अनुसार दो कश्मीरी मुसलमानों पर कश्मीरी मुसलमानों को विदेशी राष्ट्रीयता स्वीकार करने के लिये उत्तेजित करने का आरोप था ; एक पर यह आरोप था कि उसने चीन-विरोधी इश्तहार तैयार किये थे । अन्य दो कश्मीरी मुसलमानों के विरुद्ध आरोपों के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरे व्यक्ति, लामा को आक्रमण कारियों के साथ संबंधित होने के संदेह में १९५९ के उपद्रवों में चीनियों ने गिरफ्तार कर लिया था।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हेमिस गुम्फा का प्रधान लामा इस समय तिब्बत में किस स्थिति में रहता है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मुझे सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री हेम बरुआ :** पछली बार यह बताया गया था कि कुछ भारतीयों को जो वापिस लौटना चाहते थे, वापिस नहीं लौटाया जा सका क्योंकि शिनाख्त के संबंध में कठिनाई थी और संगन प्रलेखों के न होने के कारण शिनाख्त नहीं की जा सकी। क्या मैं जान सकता हूं कि तिब्बत में इन भारतीयों का क्या हुआ ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** जिन भारतीयों की शिनाख्त की गई है उन के प्रत्यावर्तन के बारे में किसी विवाद का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के संबंध में चीनियों का कहना है कि वे चीनी राष्ट्रीयता के हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह स्वीकार किया जाता है कि वे हमारे राष्ट्रीयजन हैं क्योंकि काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** जी हां। हमारी राय के मुताबिक वे हमारे राष्ट्रीयजन हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय तिब्बत में कैद हैं उन को छुड़ाने के लिये क्या भारत सरकार ने कोई प्रयास किया हैं या लिखा पढ़ी की है और अगर की है तो उसका क्या उत्तर मिला है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** जी हां, हमारी सरकार की ओर से चीनी अधिकारियों के पास भेजे गये पत्रव्यवहार में इन सब बातों को उल्लेख किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या चीन सरकार ने भारत सरकार को यह बतलाया है कि वह उन लोगों को जन्म भर कैद रखना चाहती है या कुछ दिनों के बाद उन को छोड़ देगी ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** इनमें से दो कश्मीरी मुसलमानों को १५ साल के लिये और एक की बारह साल के लिये कैद किया गया था। अन्य दो के बारे में हमें मालूम नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न को शायद मंत्री महोदय समझे नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन सरकार ने कुछ कहा है कि वह उन को जन्म भर कैद रखना चाहती है या कुछ दिनों के बाद उन के छुटने की आशा की जा सकती है ? **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मैं बता चुका हूं कि उनमें से दो को १५ साल के लिए और एक को १२ साल के लिये कैद किया गया है। अन्य दो के बारे में, हमें जानकारी नहीं है।

घरेलू नौकरों का कल्याण

*१३२१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुछ समय पहले घरेलू नौकरों के लिये जो कल्याण केन्द्र स्थापित किया गया था उसके कार्य में अब तक कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) उस केन्द्र के लिये जो सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी उसकी अब तक कुल कितनी बैठकें हुई हैं और उस समिति के द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों में से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस कल्याण केन्द्र व रोजगार दफ्तर को और अधिक लोकप्रिय व लाभदायक बनाने के बारे में कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) घरेलू कर्मचारियों का यह रोजगार कार्यालय इन कर्मचारियों को नौकरी दिलाने में मदद करता है और इसके मार्फत उनकी दूसरी शिकायतें दूर करने की कोशिश होती है।

(ख) (१) सलाहकार समिति की पांच बैठकें हुईं।

(२) शिफारिशों पर जरूरत के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(ग) काम दिलाने का कार्यक्रम दिल्ली और नयी दिल्ली के सब रोजगार दफ्तरों की मार्फत शुरू कर दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : पिछले अधिवेशन में जब श्री बाल्मीकी जी के विधेयक पर बहस हो रही थी तब माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस कार्यालय को खूब लोकप्रिय बनाया जायेगा और मजबूत बनाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं।

श्री आबिद अली : पहले इन कर्मचारियों के लिये खास काम दिलाऊ दफ्तर आरम्भ किया गया था, और जैसा माननीय सदस्य ने अभी फरमाया, उस बहस के बाद दिल्ली के सब काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत यह काम शुरू कर दिया गया है। यह एक खास बात हुई है।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार ने यह सोचा है कि वे कौनसे कारण हैं जिनकी वजह से यह दफ्तर अभी तक घरेलू कर्मचारियों में लोकप्रिय नहीं हुआ है या वे इस से पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं, और क्या उन कारणों पर विचार किया गया है ?

श्री आबिद अली : कारण यह है कि इस किस्म के बहुत से काम करने वाले बेकार नहीं हैं। उन की काफी मांग है। जब वे नौकरी के लिये आते हैं तो उनको कोई न कोई काम मिल जाता है।

†**श्री साधन गुप्त :** कल्याण केन्द्र ने इस बीच कितने लोगों को रोजगार दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** केवल पचपन को। हमने ७६३ लोगों के नाम पेश किये थे, ४९१ का रजिस्ट्रेशन किया गया ६४९ रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये थे लेकिन नियुक्ति केवल ५५ की हुई।

†**श्री भक्त दर्शन :** घरेलू कर्मचारियों के असन्तोष का एक कारण यह है कि उन का कोई प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं लिया गया। क्या गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है, और इस पर वह कुछ निर्णय करना चाहती है ?

†**श्री आबिद अली :** इस पर खूब विचार किया गया है, कोशिश भी की है मालूम करने की कि कोई उन की यूनियन भी है या नहीं। न तो उनकी यूनियन रजिस्टर्ड है न उसका दफ्तर मिलता है। वे कोई हिसाब नहीं रखते हैं। कोई एक आध आदमी मिल जाता है और उस से इस बारे में जानकारी मांगते हैं तो वह दे नहीं सकता। यह हालत है।

"पेनिसिलीन" और "स्ट्रेप्टो माईसीन"

†*१३२२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बनी "पेनिसिलीन' और 'स्ट्रेप्टोमाईसीन' का लागत मूल्य क्या पड़ता है ;

(ख) यह बाजार में किस मूल्य पर बिकती है ; और

(ग) सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की है कि बिक्री मूल्य लागत मूल्य से २५ प्रतिशत से अधिक न हो ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७५]।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में बताया गया है कि :

> "उत्पादित वस्तुओं के बिक्री मूल्य की समय-समय पर सरकार के तथा देश में अन्य व्यापारियों के परामर्श से समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ता को वे उचित दाम पर मिलती हैं और निर्माता कोई अनुचित मुनाफा नहीं कमाते।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि 'अनुचित मुनाफा' की क्या परिभाषा है और 'उचित दाम' का वास्तविक अर्थ क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** व्यापार में इन शब्दों का अर्थ सभी लोग जानते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में यह बताया गया है कि २ लाख पेनिसिलीन वाले पैकिंग का दाम ४२ नये पैसे और ५ लाख पेंनिसिलीन वाले का दाम ६१ नये पैसे है। लेकिन क्या माननीय मंत्री को मालम है कि बड़े-बड़े शहरों के बाजारों में इन दरों पर वे उपलब्ध नहीं हैं, दो लाख

---

†मूल अंग्रेजी में

पेनिसिलीन वाला पैकिंग ५० नये पैसे तथा ५ लाख वाला ७५ नये पैसे से कम नहीं है ? इस बात की ओर ध्यान देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि कीमतें ऊंची न हो जायें ?

†**श्री मनु भाई शाह :** जहां तक हमारी जानकारी है, यह बात ठीक नहीं है क्योंकि जहां तक गरीबों का संबंध है, अधिकतर पेनिसिलीन अस्पतालों को दे दी जाती है और औषधालयों में भी वह नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध होती है। यदि ऐसे कोई उदाहरण सरकार की नजर में लाये जायें जहां ऊंची दर से कीमत ली गयी हो तो हम अवश्य ही कड़ी और उचित कार्यवाही करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या हमारा उत्पादन बढ़ जाने के कारण पेनिसिलीन और स्ट्रेप्टोमाईसीन की लागत संभवतः कम हो जायगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह बराबर कम होती जा रही है । वास्तव में, जसा कि सभा को मालूम है, सिर्फ एक महीना पहले इसी विशिष्ट संगठन ने पिछले दस वर्षों के वित्तीय परिणाम प्रकाशित किये थे और उससे यह दिखायी पड़ता है कि मूल्य और लागत प्रायः गिरती ही रही ।

†**श्री परूल कर :** आयात की गयी स्ट्रेप्टोमाईसीन की प्रति किलोग्राम क्या कीमत है और वह किस कीमत पर बेची जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं नहीं समझता कि हर चीज की कीमत यहां बतायी जा सकती है ।

†**श्री परूल कर :** क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान उनके इस कथन की ओर दिला सकता हूं कि स्ट्रेप्टोमाइसीन उपलब्ध नहीं थी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कीमतें विवरण में दी हुई हैं । उसके अलावा, यदि माननीय सदस्य कोई अलग प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री परूलकर :** अब क्या कीमत बतायी जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, श्री दामानी ।

†**श्री दामानी :** जब से पिम्परी कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ है, क्या उसकी कीमत में कोई कमी की गई है और यदि हां, तो किस हद तक ?

†**श्री मनुभाईशाह :** उत्तर में मैंने ठीक वही बात बतायी है । एक समय जबकि हम वह तैयार नहीं करते थे, कीमत १ रुपया ११ आने प्रति मेगा यूनिट थी । आज वह करीब करीब ५ आने है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, अभी कई प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नंगल उर्वरक कारखाना

+

†*१३२३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें उत्पादन आरम्भ हो गया है, और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन की वर्तमान दैनिक दर क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है और संस्थापित क्षमता का दो तिहाई हिस्सा उत्पादन के लिये काम में लाया जा रहा है। आशा है कि भारी पानी संयंत्र भी चालू वर्ष के आखिर तक तैयार हो जायेगा।

(ग) करीब ८०० टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट।

†**श्री सुबोध हंसदा** क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण उत्पादन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू नहीं हो सका ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी हां। पिछले साल भाखड़ा बांध में एक दुर्घटना हुई थी और उस के कारण कारखाना चालू होने में देर लगी लेकिन अब दो तिहाई बिजली, अर्थात् लगभग १,१६,००० किलोवाट, हमें दी जा रही है और कारखाने में दो तिहाई क्षमता तक उत्पादन शुरू हो गया है। शेष एक तिहाई क्षमता का उत्पादन अगले वर्ष के मध्य तक शुरू हो जायगा।

†**श्री स० चं० सामन्त** : यहां तैयार किये गये उर्वरक की किस्म दूसरे देशी कारखानों में तैयार किये गये तथा आयात किये गये उर्वरक की तुलना में कैसी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक रसायनिक उत्पाद है और यदि उसे ठीक ढंग से तैयार किया जाये, तो किस्म हमेशा एक सी ही रहती है। वह एक रसायनिक संरचना है और सिन्दरी में तैयार की गयी चीज से भिन्न है, वह अमोनियम सल्फेट नहीं है, वह अमोनियम नाइट्रेट है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच है कि इस कारखाने में उर्वरक इकट्ठा हो गया है और कोई उसे उठा नहीं रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह गलत है। कारखाने ने काफी मात्रा में उर्वरक तैयार किया है जिसमें से लगभग २०,००० टन अभी भी गोदाम में है। लेकिन वह धीरे-धीरे निकलता जा रहा है। उसके लिये काफी मांग है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस कारखाने में अमोनियम फास्फेट तैयार करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी नहीं । यह अमोनियम नाइट्रेट का कारखाना है । यहां अमोनियम फास्फेट नहीं तैयार किया जायगा ।

दीर्घकालीन योजना

†*१३२४. **श्री कोडियान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने १९७६ तक की अवधि के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनानी आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दीर्घकालीन योजना के उद्देश्य तथा इस की मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री दया० नं० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) उद्देश्य और दृष्टिकोण तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में और खास कर अध्याय २ में बताये गये हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: मैं जानना चाहता हूं कि यह जो लम्बे अरसे के लिये प्लान तैयार की जा रही है, क्या इस के लिये प्लानिंग कमीशन ने कोई विशेष समिति नियुक्त की है जो १५ साल की जरूरियात को जान कर उस पर कोई सिद्धान्त निश्चित करेगी ? यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**श्री दया० नं० मिश्र** : जी हां, इस के लिये एक विशेष समिति है जिसको हम पर्सपैक्टिव प्लानिंग डिवीजन के नाम से पुकारते हैं । वह काफी दिनों से काम कर रही है । वैसे खास कर तो यह काम उसी का है, लेकिन इस में राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार या भिन्न-भिन्न जो साइंटिफिक, सोशल या इकानमिक संस्थायें हैं उन से भी मदद ली जायेगी ।

†**श्री सूपकार** : पिछले दस वर्षों के अपने अनुभवों के सम्बन्ध में अर्थात् जनसंख्या अनुमान से अधिक बढ़ जाने तथा कई क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य से कम होने के बारे में, क्या सरकार ने अगले १५ वर्षों के लिये इस आयोजन के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने में इन दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया है ?

†**श्री दया० नं० मिश्र** : निश्चय ही जनसंख्या का विचार एक महत्वपूर्ण बात है । दीर्घ-कालीन योजना बनाने का एक कारण यह भी है कि कई क्षेत्रों में कुछ उत्पादन लक्ष्य भी पूरे करने हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या इस डिजाइन में कोई ऐसा विचार रखा गया है कि देश की जो ८३ प्रतिशत देहाती जनता है उस की आवश्यकताओं की भी जानकारी प्राप्त की जाये ? यदि हां, तो क्या देहाती और पिछड़े क्षेत्रों की जनता के प्रतिनिधियों को भी इस में प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

†**श्री दया० नं० मिश्र** : यह जो लम्बी तस्वीर बनाई जा रही है यह इसी बात को ध्यान में रख कर बनाई जा रही है कि जो पिछड़ी हुई और गरीब जनता है उस की आमदनी को कैसे

---

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ाया जाये। और जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि क्या इसमें देहाती जनता की समस्याओं को जानने वाले भी हैं या नहीं, तो उनकी तादाद तो राज्य सरकारों से लेकर यहां तक काफी होगी। इसलिये किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या केन्द्रीय संस्था में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देहाती और पिछड़ी हुई जनता की समस्याओं से परिचित हों। राज्य सरकारों से जो बन कर आती है उसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा।

श्री श्या० नं० मिश्र : जी हां, यहां ऐसे काफी लोग हैं, और आखिर हम भी तो ग्रामीण जनता से संबंध रखते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य का संबंध है, तो सरकार का भी कुछ संबंध है। हम भी जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं।

†**श्री कोडियान :** तीसरी योजना की रिपोर्ट में बताया गया है कि दीर्घकालीन योजना बनाने में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों से दीर्घ कालीन योजना के एक हिस्से के तौर पर अपनी-अपनी योजनायें बनाने के लिये कहा जायगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मैं प्रश्न का दूसरा भाग नहीं समझ सका। जहां तक राज्य सरकारों से मदद लेने का संबंध है, मैंने हिन्दी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि राज्य सरकारों को अवश्य ही शामिल किया जायगा।

†**श्री कोडियान** : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या राज्य सरकारों को अपनी-अपनी योजनायें तैयार करने के लिये कहा जायगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जी हां। उसी प्रकार की कोई बात होगी।

व्यावसायिक जोखिम निवारण सम्बन्धी विश्व कांग्रेस[1]

†*१३२५. **श्री दामानी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक जोखिम निवारण सम्बन्धी विश्व कांग्रेस में जो हाल में पेरिस में हुई थी, भाग लिया था ; और

(ख) इस सम्मेलन में क्या-क्या महत्वपूर्ण निश्चय किये गये ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) इस कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि अनुभव इकट्ठा किया जाये और ज्ञान का प्रसार किया जाये और इस कारण कोई निर्णय नहीं किये गये।

†**श्री दामानी :** सम्मेलन में जो सिफारिशें की गयी हैं या जो निश्चय किये गये हैं क्या उन्हें कार्यान्वित किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** सम्मेलन करीब दो महीने पहले हुआ था। वह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। उसने कुछ निष्कर्ष निकाले और कुछ सिफारिशें कीं। वह सिफारिशें हमारे पास आयेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]World Congress on Prevention of Occupational Risk.

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि व्यावसायिक जोखिम के कारण दुर्घटनाएं और बीमारियां आज बढ़ती जा रही हैं और यदि हां, तो इन बातों को कम करने के लिए इन सम्मेलनों के अलावा जो कोई निर्णय नहीं करते और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** ये व्यावसायिक रोग दूर करने के लिए हमारे अपने कार्यक्रम हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि वह बढ़ रहे हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या यह सच नहीं है कि श्रम मंत्रालय में ही मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा अन्य लोगों ने कुछ अनुसन्धान किये हैं और उन अनुसन्धानों के परिणाम अभी तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अनुसन्धान किये गये हैं और किये जा रहे हैं। हम परिणामों को यथा संभव कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** कोयला और अबरक खानों में काम करने से जो रोग होते हैं क्या खासकर उन पर इस सम्मेलन में बहस की गयी थी और उनसे बचाव के नये से नये तरीके निर्धारित किये गये थे, और क्या उस चर्चा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** वह बहस केवल कोयला और अबरक की खानों तक ही सीमित नहीं थी। वह एक सामान्य चर्चा थी।

†**श्री तंगामणि :** क्या इस कांग्रेस में व्यवसायिक रोगों की सूची पर विचार किया गया था, खास कर वे रोग जो परिवहन कर्मचारियों को डीजल इंजनों के सम्पर्ग में होने के कारण हो सकते हैं जैसा कि ब्रिटिश मेडिकल असोसियेशन ने मंजूर किया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** कार्यसूची में विषय की इस प्रकार थे :—

१. (क) निवारण सेवा के सम्बन्ध में अनुसन्धान और प्रगति

(ख) प्रविधिक अनुशासन में प्रगति

(ग) चिकित्सा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुशासन में प्रगति।

२. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अभी हाल की कार्यवाहियों के बारे में संगठन के महानिदेशक के प्रतिनिधि की रिपोर्ट। माननीय सदस्य ने जिस विषय का उल्लेख किया है उसका कार्यसूची में कहीं कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** मेरा प्रश्न यह था कि ब्रिटिश मेडिकल असोसियेशन ने . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उपमंत्री उत्तर दे चुके हैं कि उसे विशिष्ट रूप से नहीं उठाया गया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** उपमंत्री ने कार्यसूची में जो विषय पढ़े हैं उन पर हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए क्या इस देश में व्यांवसायिक जोखिम और लोगों का और आगे अध्ययन करने के लिए किसी प्रकार की कोई संस्था स्थापित करने की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ल० न० ल० मिश्र** : वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो बहस हुई उसके कारण नहीं। इसके लिए हमारा अपना कार्यक्रम है ।

केन्द्रीय रेशम कीट पालन संस्था, बरहामपुर

†*१३२६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाज्यि तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशमकीट पालन संस्था, बरहामपुर में व्यावहारिक कार्य करने वाले अनुसन्धान सहायकों (रिसर्च असिस्टेंट्स) तथा प्रोद्योगविज्ञों (टेक्नोलोजिस्ट्स) को विश्वविख्यात तथा रेशमकीट पालन उद्योग में प्रोद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत देशों जैसे इटली, जापान और फ्रांस में रेशमकीट पालन सम्बन्धी उच्चतर अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति भेजे जायेंगे और किन किन विषयों के लिए भेजे जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार की सामान्य नीति यह है कि भारत की सभी रेशम अनुसन्धान संस्थाओं (केन्द्रीय रेशमकीट पालन संस्था, बरहामपुर समेत) में काम करने वाले अनुसन्धान सहायकों तथा प्रोद्योगविज्ञों (टेक्नोलोजिस्ट्स) को विदेशों में भेजें जिससे वह जापान जैसे प्रौद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील देशों की उच्च अनुसन्धान संस्थाओं में विशेष विषयों में प्रशिक्षण ले सकें। २२ अधिकारी अब तक प्रशिक्षण ले चुके हैं तथा अन्य अधिकारी गए हुए हैं। यह लगातार चलने वाला कार्यक्रम है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इन केन्द्रों में चुनाव समितियां बनाई गई हैं अथवा निदेशक स्वयं विदेशों में भेजे जाने वाले विद्यार्थियों को चुनते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विद्यार्थियों को चुनने के लिए विभिन्न समितियां नियुक्त की गई हैं। उदाहरणत: कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेश भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों का चुनाव करने के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान समन्वय समिति बनाई गई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कोलम्बो योजना के अतिरिक्त अन्य किन योजनाओं में संस्था के मालिक तथा अनुसन्धान सहायकों को बाहर भेजा जाता है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं ने विवरण में बताया, एक योजना लोगों को जापान भेजने की है । चैकोस्लोवाकिया से साथ योजना बनाई जा रही है । हम रूस को भी यह प्रतिमिधिमंडल भेजने पर विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लुधियाना (पंजाब) में ऊन शोधक कारखाना

†*१३२७. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय ऊन शोधक संघ ने हाल में भारत सरकार से लुधियाना (पंजाब) में एक ऊन शोधक करखाना स्थापित करने की अनुमति मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय ऊन शोधक संघ की प्रार्थना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) इस सहकारी समाज ने प्रति वर्ष १०० लाख पौंड ऊन के निर्माण के लिए लुधियाना में एक औद्योगिक उपक्रम बनाने के लिए लाइसेंस मांगा है ।

(ग) १ जून, १९६१ को एक लाइसेंस दिया गया था ।

†**श्रीमती इलापालचौधरी :** इस संयंत्र के लिए किस देश से मशीन का आयात किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम इसके लिये बातचीत कर रहे हैं । क्योंकि यह एक गैर-सरकारी सहकारी समिति है इसलिए वह संभरणकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हैं तथा बाद में ठीक समय पर सरकार के पास आते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरीके का यंत्र लगाने की केवल इजाजत दी जाती है या सरकार भी अपनी ओर से कुछ यंत्र उन इलाकों में लगाना चाहती है या लगाने जा रही है जहां कि ऊन का उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके लिए इजाजत ली जाती है बाकी जो पब्लिक सैक्टर का काम है उसका तो प्रोग्राम जाहिर है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** यह सहकारी समिति—ऊन शोधनकर्त्ताओं की है तथा ऊन निर्माताओं की है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह हौजरी निर्माता हैं क्योंकि यह बड़ी संख्या में हैं । कुछ अन्य लोग जैसे ऊन कातने वाले तथा इन वस्तुओं का निर्यात करने वाले भी इसमें शामिल हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** ऊन उत्पादक किन यंत्रों से ऊनकी सफाई करते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह :** साफ करने की पूरी मशीन होती है । मैसर्स इजाक होल्डन फर्म ने कलकत्ते में ब्रिटेन की बैडफोर्ड फर्म के समान एक बड़ी फर्म स्थापित की है । इसमें उत्पादन आरम्भ हो चुका है । दूसरा एकक फ्रांसीसी सहयोग से लुधियाना में बनाया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया कि लाइसेंस १ जून, १९६१ को दिया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि लाइसेंस दिये जाने से पहले आडिटर जनरल ने इसका उद्घाटन किस प्रकार कर दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** ऐसा पहले ही कर दिया गया था क्योंकि सहकारी समितियों का सभा तथा सरकार हमेशा समर्थन करती रहती है । सच यह है कि सहकारी समिति हमने स्वय बनाई थी ।

तारापुर अणु शक्ति परियोजना

†*१३२८. **श्री परूल कर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर अणु शक्ति परियोजना के पास वाले किन्हीं गावों को परियोजना की सामान्य तथा असामान्य सचालन समितियों के अधीन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विचार से सदैव के लिए खाली करना होगा ;

(ख) यदि हां, तो व गांव कौन कौन से हैं जिन्हें खाली करना पड़ेगा ;

(ग) कितने ग्रामवासी अपनी भूमियों तथा घरों से वंचित हो जायेंगे ; और

(घ) उन गांवों के विस्थापित निवासियों को फिर से बसाने की सरकार की क्या योजनायें हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) तारापुर अणु शक्ति परियोजना के पास वाले किन्हीं गांवों को परियोजना की सामान्य तथा असामान्य संचालन स्थितियों के अधीन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विचार से खाली करने की आशा नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री साधन गुप्त :** तारापुर अणु शक्ति स्टेशन में अणु क्षेत्र के निबटारे की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री सादत अली खां :** तारापुर में पश्चिम तटीय अणु शक्ति केन्द्र का चुनाव करने का निर्णय किए जाने से पूर्व सामान्य तथा असामान्य संचालन स्थितियों के अधीन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का ब्यौरेवार अध्ययन किया गया था । इस अध्ययन से पता लगा कि तारापुर सभी प्रकार से उपयुक्त है और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विचार से भी सुरक्षित है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर भी इससे मिल जाता है ।

केन्द्रीय क्रय समिति

†*१३३०. **श्री ले० अवौ सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अभिकरणों की क्रय प्रणालियों का अध्ययन करने और माल खरीदने की समान प्रक्रियाओं तथा ठेकों की शर्तें निश्चित करने के लिए एक सोलह सदस्यीय समिति बनाई गई है ; और

(ख) क्या इसके अध्ययन में उपकरणों का मान (स्टैंडर्ड) निर्धारित करना भी सम्मिलित है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ले० अचौ सिंह :** ठेका देने तथा टैंडर के बारे में १६३१ में बनाये गये नियमों को क्या अब परिवर्तित किया जा रहा है तथा अधिक उदार बनाया जा रहा है ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** इस प्रश्न पर १६ व्यक्तियों की एक समिति विचार कर रही है । हमें अक्तूबर के अन्त तक प्रतिवेदन मिल जाने की आशा है ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** क्या अलग अलग संभरणकर्ताओं द्वारा दी गई वस्तुओं में बड़ा अन्तर रहा है और इसी कारण क्या सरकार ने विदेशी द्रा मुद्रा ध्यान किए बिना एक निर्माता से दूसरे तथा एक देश से दूसरे को आर्डर दिए हैं ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी :** प्रश्न विभिन्न सरकारों तथा विभिन्न निगमों के खरीद-दारी अभिकरणों के बारे में है । २६ जुलाई को हमने एक सम्मेलन किया था और प्रक्रिया पर विचार करने के लिए १६ व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की थी जिससे सभी कठिनाइयां दूर की जा सकें और खरीदने के बारे में समान नीति बन सके ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उपदान

†***१३३१. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए, जिन्होंने किसी संस्था में १० वर्ष से अधिक समय तक काम किया हो, अनिवार्य उपदान का उपबन्ध करने वाले विधान को संसद् में कब पेश करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १६५५ में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सरकारी प्रतिनिधि, मालिक तथा श्रमजीवी पत्रकारों की एक त्रिदलीय समिति में ३० अगस्त, १६६१ को विचार किया गया था । बैठक में हुई चर्चा के आधार पर यथासंभव शीघ्र संसद के समक्ष आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :** क्या विधान संसद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** संभवतया ।

†**श्री प्रभात कार :** १० अथवा १२ वर्ष में संस्था को छोड़ देने वाले कर्मचारियों को उपदान देने के बारे में त्रिदलीय सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था ?

†**श्री आबिद अली :** इन संस्थाओं को बहुत कम कर्मचारी छोड़ कर जाते हैं ।

†**श्री प्रभात कार :** मैं जानना चाहता हूं कि १० वर्ष में सेवा छोड़ कर जाने वाले कर्मचारियों को उपदान देने के बारे में क्या निर्णय किया गया था ?

†**श्री आबिद अली :** निर्णय यह किया गया था कि सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए । क्योंकि विलम्ब से कर्मचारियों को हानि होगी । हमने उनकी यह बात स्वीकार कर ली है और इसीलिए मैं ने बताया कि संभवतया संशोधन करने वाला विधेयक संसद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या यह संशोधन विधान श्रमजीवी पत्रकारों के ही लिए होगा अथवा ऐसे अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनके लिए यह योजना नहीं है ?

†**श्री आबिद अली :** यह श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए है ।

†**श्री प्रभात कार :** यह समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि १५ वर्ष से पहले सेवा छोड़ने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को कोई उपदान नहीं दिया जायेगा । यह सच है अथवा नहीं ।

†**श्री आबिद अली :** अधिनियम के अधीन वह उपदान के अधिकारी हैं परन्तु बाद में मामला उच्चतम न्यायालय में जाने पर अधिनियम का यह उपबन्ध नियम बाह्य कर दिया गया । इसीलिए इस अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता हुई । अवधि पर चर्चा हुई थी और एक समझौता सा हो गया था । उस चर्चा के आधार पर हम विधेयक बनायेंगे और सभा में प्रस्तुत कर देंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** अर्हता प्राप्त कितनी अवधि होगी जिसके आधार पर पत्रकार को अनुदान मिल सकेगा ?

†**श्री आबिद अली :** इस बात पर ही चर्चा हुई थी और अब विचाराधीन है ।

† **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या विचाराधीन है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** सरकार का क्या प्रस्ताव है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व इसीलिए विचार किया जाना चाहिए कि अर्हता अवधि क्या हो ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** कौन कौन प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

†**श्री आबिद अली :** हमने १५ वर्ष का प्रस्ताव दिया था । बाद में बैठक में मालिक इस अवधि को बढ़ाना चाहते थे और कर्मचारी घटाना चाहते थे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रस्तावित विधान अनुदान के बारे में ही होगा अथवा यह कुछ और बातों के बारे में भी होगा ।

†**श्री आबिद अली :** अन्य बातें निरीक्षकों की नियुक्ति तथा उनके अधिकार की होंगी ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय करने से पहले कोई परामर्श किया जायगा, या गवर्नमेंट अब किसी से परामर्श नहीं करना चाहती है ।

श्री आबिद अली : अब और सलाह-मश्विरे की गुंजायश नहीं रही है ।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट :** क्या मालिकों के प्रतिनिधियों ने त्रिदलीय बैठक में कोई आपत्ति उठाई थी ; यदि हां, तो वह क्या थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आबिद अली : एम्प्लायर्स का कहना था कि वह मुद्दत ज्यादा होनी चाहिए, जिस के अनुसार इन कर्मचारियों को, जब वे नौकरी छोड़ कर जायें, ग्रेचुइटी मिलने का हक मिल सके ।

श्री जं० ब० सि० बिष्ट : क्या उन का आबजेक्शन यह तो नहीं था कि उन को मिलना नहीं चाहिए ?

श्री आबिद अली : उन को ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, इस में तो सहमति थी, लेकिन कितने साल के बाद मिलनी चाहिए, इस पर कुछ मतभेद था ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** मामला बहुत दिनों से लम्बित है, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में कब निर्णय लिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** बहुत शीघ्र ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** संशोधन करने वाला विधान संसद् के समक्ष कब प्रस्तुत होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया अगले सत्र में । माननीय सदस्य जब किसी बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उत्सुक होते हैं तो उनको यहां पर सावधान रह कर प्रश्नोत्तरों को सुनना चाहिए ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** श्रीमान् मुझे खेद है ।

पांडिचेरी में भारत विरोधी प्रचार

†*१३३२. { **श्री हीं० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फ्रांस समर्थक व्यक्तियों आदि, जैसे साप्ताहिक "रिपब्लिक फ्रांसेज" (Republique Francaise) और "एसोसियेशन देला रिपब्लिक देल त्यूद फ्रांसज" (Association dela Republique deltude Francaise) द्वारा पांडिचेरी में निरन्तर किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि "भारत गणराज्य ने हमारे क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है " (रिपब्लिक फ्रांसेज १२ एट १९ अप्रैल, १९६१) (खण्ड १३, संख्या ४०–४१) जैसे वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख) जी हां ।

(ग) ऐसे समाचारों से पांडिचेरी की जनता की राय जाहिर नहीं होती है । हमारे कानूनों तथा विनियमनों का उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** समाचार पत्र समय समय पर कटुता के लेख प्रकाशित करता है। मैं जानना चाहता हूं कि पांडिचेरी में रहने वाले भारतीयों के विचारों में परिवर्तन करके उनको फ्रेंच इंडिया संस्था का सदस्य बनाने तथा इसी प्रकार की अन्य बातें करने और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज को नष्ट भ्रष्ट करने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं बता चुकी हूं कि कानून का उल्लंघन होने पर कार्यवाही की जायेगी। अब तक उनके कार्य कानून के अन्तर्गत हैं। यह एक छोटी सी संस्था है जो समाचार पत्र की लगभग ५०० प्रतियों का प्रकाशन करती है। इस समाचारपत्र में यह सरकार तथा प्रशासन के विरुद्ध बहुत सी झूठी बातें कहती है। अब तक हमने इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या यह संस्था पांडिचेरी में पुनः फ्रांसीसी सत्ता स्थापित कराना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** श्रीमान् थोड़े से अल्पसंख्यक पांडिचेरी में फ्रांसीसी सत्ता किस प्रकार पुनः स्थापित करादेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि यदि इस संस्था का यह उद्देश्य है तो छोटी चिंगारी भयंकर आग भी बन सकती है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यद्यपि संस्था का उद्देश्य पुनः फ्रांसीसी सत्ता स्थापित कराने का नहीं है परन्तु उनका प्रचार अवश्य दूसरी किस्म का है कि वह पुनः फ्रांस के अधीन होना चाहते हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैंने स्वयं लेख में पढ़ा है कि "भारतीय ध्वज यहां का ध्वज नहीं है क्योंकि यह फ्रांसीसी प्रदेश है।" हम इस प्रकार की बातों को केवल इसलिये सहन कर रहे हैं क्योंकि इसका अभी विधि सम्मत हस्तातरण नहीं हुआ है। हमारे धैर्य की भी सीमा होती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हम उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वास्तविक हस्तान्तरण के उपबन्धों के अधीन वह फ्रांसीसी ध्वज को फहरा सकते हैं। इन्हीं छोटी मोटी रियायतों का लाभ उठा कर वह कह रहे हैं कि विलीनीकरण गलत है। भारतीय गणतंत्र ने उनके प्रदेश पर अवैध कब्जा कर रखा है, आदि आदि।

†**श्री तंगामणि :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जानती है कि साप्ताहिक 'रिपब्लिक फ्रांसेज़' तमिल तथा फ्रांसीसी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है ? इसके अब तक कितने अंक निकले हैं तथा क्या अप्रैल में इस प्रकार की बातों के प्रकाशित होने के बाद भी दूसरा प्रकाशन नियमित रूप से हो रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां। इसका प्रकाशन तमिल में भी होता है। यह अनियमित पत्रिका है। लगभग २०० प्रतियां छपती हैं।

†**श्री तंगामणि :** अन्तिम पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** इससे क्या अन्तर पड़ता है ? जब तक विधि सम्मत हस्तांतरण नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। इस के बारे में उन्होंने वकीलों का परामर्श लिया है ।

†**श्री तंगामणि :** पहले एक बार हमने सभा में इस पत्रिका के प्रकाशन के बारे में बताया था। उस समय भी ऐसा ही उत्तर दिया गया था। उस समय हमने समझा था कि सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करेगा जिससे यह पत्रिका प्रकाशित नहीं हो पायेगी। परन्तु इसका अभी भी प्रकाशन हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, माननीय मंत्री का उत्तर सुन चुके है कि सरकार ने वकीलों का परामर्श लिया था। उन्होंने बताया है कि कानून के अनुसार वह पकड़ में नहीं आते हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी:** इस समाचार पत्र में एक लाइन छापी जाती हैं जिससे पता लगता है कि यह किस प्रेस में छापी गई थी। क्या हम इस प्रेस के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** बिल्कुल नहीं। मैं बता चुकी हूं कि जब तक कानून भंग नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभी सदस्य जो वकील हैं वह एक साथ मिल कर बैठें और सलाह करें तथा सरकार को लिख कर सलाह भेज दें ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या सरकार इसका पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि इनको ऐसे कामों के लिये कौन प्रोत्साहित करता है तथा क्या उनको कहीं बाहर से प्रोत्साहन मिलता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** बाहर से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। थोड़े से असंतुष्ट अल्पसंख्यक हैं जिनको पुरानी फ़्रांसीसी सत्ता के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इन में कुछ उद्योगपति तथा तस्कर व्यापारी हैं जो बिना सीमा शुल्क दिए वस्तुओं को लाते थे। यह इतनी थोड़ी संख्या में हैं कि इनकी ओर ध्यान देना फिजूल है ।

†**श्री त्यागी :** पांडिचेरी के भारत को वास्तविक हस्तान्तरण से राज्य के कार्यों तथा प्रदेश में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाई होती है। मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर भारतीय अथवा फ़्रांसीसी कौन सा कानून लागू है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यदि वह कानून तथा व्यवस्था को भंग करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्यों द्वारा बताई गई बातों की माननीय मंत्री को जानकारी है। उन्होंने इन बातों को स्वीकार भी कर लिया है परन्तु वह कोई कार्यवाही नहीं कर सके। मेरी विधि मंत्री से अपील है कि इस मामले पर विचार करें।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** मैंने मामले पर विचार नहीं किया है क्योंकि मामला हमें नहीं भेजा गया है। मेरा सभा को आश्वासन है कि कानून भंग होने पर हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और अपराधियों को सजा देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय:** सदस्य केवल यह चाहते हैं कि वास्तविक हस्तांतरण के बाद इस प्रकार का कुप्रचार न हो ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सभा जानती है कि हम सनकी व्यक्तियों के साथ कुछ उदारता बरतते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने अभी बताया कि पांडिचेरी पर भारतीय अधिकार से फ़्रांसीसी अधिकार कितना कम हो गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** वास्तविक क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कोई काम न हो जिससे कानून भंग हो । यह देश कभी कभी एसे अल्प-संख्यकों के सनक के कार्यों के लिये भी उदारता बरतता है ।

†**श्री त्यागी :** मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर भारतीय अथवा फ़्रांसीसी कौन सा कानून लागू है ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैंने इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख से उद्धरण दिया था कि "भारतीय गणतंत्र ने हमारे प्रदेश पर अवैध कब्जा कर रखा है।" क्या उन्हें ऐसा करने की अनुमति है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं किसी लेख पर विचार नहीं कर रहा हूं । मैंने स्वयं इस पर विचार नहीं किया है । हम किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कानूनी समाचार प्रकाशित करने पर एकदम से उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर देते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं सरकार का ध्यान पांडिचेरी के मुख्य आयुक्त के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि पांडिचेरी में हमारे अधिनियम लागू नहीं हैं । यह तक्तव्य उन्होंने विधान सभा में भाषण देते हुये दिया था ।

†**श्री अ० कु० सेन :** सभासद जानते हैं कि पांडिचेरी पर अतिरिक्त प्रादेशिक क्षेत्राधिकार अधिनियम अर्थात् विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम के अधीन प्रशासन होता है क्योंकि यह अभी भारत का अंग नहीं बना है । परन्तु फिर भी विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम के अधीन हमारे कानून लागू हैं । कानूनी स्थिति ऐसी है ।

†**श्री त्यागी :** क्या हम केवल दर्शक मात्र ही रहेंगे ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या हम यह समझें कि विधि मंत्रालय की सनक के कारण ऐसा हो रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम क्या कर सकते हैं । विधि मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य उपमंत्री बता चुके हैं कि वह कानूनी कार्यवाही करेंगे । गोवा पर हमारा वास्तविक अधिकार है । प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि वह फ़्रांसीसी सरकार से विधि सम्मत कब्जा देने के बारे में बार बार कह रहे हैं । इसके अतिरिक्त क्या किया जा सकता है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकारों को धन देने की प्रक्रिया

*१३३३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या योजना मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा धन दिय जाने की वर्तमान पर प्रक्रिया पुनः विचार करने का फैसला किन कठिनाइयों व अन्य बातों को देखते हुये किया है ;

(ख) क्या यह विचार सामान्य प्रश्न पर किया जा रहा है या केवल शिक्षा मंत्रालय के कार्य संचालन के बारे में ही ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये नियत की गई कुल राशि में से कितना प्रतिशत १९६१–६२ में दिया जा रहा है और यदि यह ५ प्रतिशतता कम है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). योजना आयोग राज्यों को धन देने की प्रक्रिया पर विचार नहीं कर रहा है। यह प्रक्रियाएं पहले ही स्थापित हैं। परन्तु आयोग विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता देने के ढांचे (पैटर्न) को अन्तिम रूप देने में लगा है। शिक्षा समेत विकास के सभी शीर्ष इसके अन्तर्गत हैं।

(ग) तीसरी योजना के क्रम के अनुसार १९६१–६२ की केन्द्रीय सहायता तथा पूंजी व्यय पंचवर्षीय आवंटनों में १४·५ प्रतिशत से अधिक हो गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अब १९६१–६२ का आधा वर्ष व्यतीत हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को कितना धन दिया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** राज्य सरकारों को ३५१·२ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इनमें से २६०·५ करोड़ रुपये के ऋण क्या ९०·७ करोड़ रुपये के अनुदान हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** भूमि, सिंचाई, विद्युत्, सड़क निर्माण जैसे सभी अत्यावश्यक मामलों में द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में प्रगति की रफ्तार इस वर्ष नहीं रखी जा सकती।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारा प्रयत्न है कि आवश्यक क्षेत्रों में प्रगति की रफ्तार बनाई रखी जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** उत्तर के भाग (क) और (ख) में माननीय उप मंत्री ने बताया है कि प्रक्रिया (प्रोसीड्योर) पर नहीं अपितु ढांचे (पैटर्न) पर विचार किया जा रहा है। कृपा करके वह बतायेंगे कि सहायता के ढांचे से उनका क्या अभिप्राय है तथा उससे क्या सहायता मिलेगी ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** सहायता के ढांचे से हमारा अभिप्राय यह है कि योजना के कुल व्यय में से कितने प्रतिशत केन्द्रीय सहायता होगी तथा कितने प्रतिशत ऋण अथवा अनुदान होगा। हम इसी ढांचे पर अन्तिम निर्णय लेने वाले हैं और सभा को आश्वासन देते हैं कि लगभग दो सप्ताहों में इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

असमिया भाषा

†*१३३४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जोरहाट जिला राज्य भाषाक्रम परिषद् के मंत्री के पत्र के उत्तर में उन्हें लिखा है कि असमिया भाषा अधिनियम में शास्त्री फार्मूला के अनुसार परिवर्तन होने पर असमिया भाषा के कछार जिले में प्रयोग होने के प्रश्न पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा ; और

(ख) यदि हां, तो आसाम के पहाड़ी जिलों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी आ जाने पर असमिया भाषा की क्या स्थिति होगी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) हां। प्रधान मंत्री का विचार है कि संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से कोई भी भाषा को किसी भी राज्य में निषेध या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। किसी भाषा का सरकारी कार्य या शिक्षा के लिये कितना प्रयोग किया जाये, ऐसा मामला है जिस पर किसी भी क्षेत्र की विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विचार किया जायेगा। हाल में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में, जो दिल्ली में हुआ था, अल्प संख्यकों की भाषा के प्रयोग के बारे में एक नियम बनाया गया था। जहां कहीं आवश्यकता हो इसका पालन किया जाना चाहिये। कछार जिले में असमिया भाषा या अन्य किसी भाषा के प्रयोग पर यह नियम लागू होगा, यद्यपि वहां सरकारी काम में अधिकतर बंगला भाषा प्रयोग होगी ।

(ख) असम के पहाड़ी जिलों के लिये प्रधान मंत्री के प्रस्तावों के अनुसार उन जिलों के लोग निश्चय करेंगे कि वे किस भाषा या भाषाओं को प्रयोग करेंगे। असमिया भाषा का वहां कितना प्रयोग होगा, अल्पसंख्यकों के लिये उपबन्धों के अनुसार, उन जिलों के व्यक्ति निश्चित करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या असमिया भाषा अधिनियम, जिसमें शास्त्री सूत्र के अनुसार संशोधन किया जायेगा, भारत सरकार की भाषा नीति के अनुसार होगा जो कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में स्वीकार की गई थी। यदि नहीं, तो क्या सरकार असम सरकार को अनुदेश देगी कि वह अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करे कि वह भारत सरकार की नीति के अनुकूल रहे?

†**श्री सादत अली खां :** प्रधान मंत्री का विचार यह है कि असमिया भाषा अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय पहिले उनसे ऐसी ही प्रार्थना की गई थी और उसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि ऐसे परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** यह बात ध्यान में रखकर कि सरकारी भाषा का प्रयोजन यह है कि उसका राज्य मुख्यालय और जिलों के मुख्यालयों के बीच पत्र-व्यवहार में प्रयोग हो और इस दृष्टि से कि पहाड़ी जिले एक भाषी नहीं हैं ; राज्य की घोषित सरकारी भाषा को पहाड़ी जिलों में लागू करने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री सादत अली खां :** इस बारे में निश्चय करना राज्य सरकार का काम है। मैं नही समझता कि केन्द्र कोई हस्तक्षेप कर सकता है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** यदि शास्त्री सूत्र के अनुसार असमिया भाषा अधिनियम के पारित होने के बाद कोई पहाड़ी जिला या जिले सरकारी कार्य और शिक्षा के लिये असमिया भाषा रखना चाहें, तो क्या वे ऐसा कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सादत अली खां : इसमें अनेक "यदि" हैं। यह एक औपकाल्पनिक प्रश्न है।

फीजो को ब्रिटिश नागरिकता

†*१३३५. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पाल चौधरी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं के नेता फीजो, ने ब्रिटिश सरकार से नागरिकता देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रार्थना का उस सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). ब्रिटिश सरकार ने लन्दन में हमारे उच्च आयोग को बताया है कि फीजो ने उनसे ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थनापत्र पर उपयुक्त कार्यवाही करना ब्रिटिश सरकार का काम है। फिर भी, वे हमें इस मामले की सूचना देते रहे हैं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस बात को ध्यान में रखकर कि श्री फीजो ने नागालैंड के संवैधानिक निपटारे को स्वीकार करने से मना कर दिया है, और इस बात को ध्यान में रख कर कि हमारे सैकड़ों सैनिकों, सरकारी अधिकारियों, और जनसाधारण तथा डा० आओ जो नागा जन कन्वेंशन के प्रति उत्तरदायी थे के मारे जाने के लिये वह ही उत्तरदायी है, सरकार उसे वांछित अपराधी के रूप में लौटाने की मांग क्यों नहीं कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : प्रधान मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार इस सभा में दिया है। हमने उनको वापस नहीं मांगा है। यदि वह चाहे, तो वापस आ सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कहा गया है कि वह सारी हत्याओं के लिये उत्तरदायी हैं। क्या सरकार ने उस सरकार से अपराधी को प्रत्यर्पित करने के रूप में वापस करने को कहा है ?

†**श्री सादत अली खां** : उन पर कोई आरोप नहीं है। वह केवल लन्दन में है।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझू कि उन पर कोई दांडिक आरोप नहीं है ?

†**श्री सादत अली खां** : वह भगोड़ा अपराधी नहीं है। जहां तक मुझे विदित है, उन पर कोई आरोप नहीं है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: श्रीमान्, क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ? यह बात इस रूप में नहीं कही जानी चाहिये कि उनपर कोई आरोप नहीं है। आरोप होना एक बात है और मामले का अनिश्चित पड़े रहना दूसरी। हम भगोड़ा अपराधी अधिनियम के अन्तर्गत केवल

†मूल अंग्रेजी में

भगोड़ा अपराधी के देश निकाले के लिये कह सकते हैं बशर्ते कि किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई मामला अनिश्चित पड़ा हो और यदि उसने किसी अन्य देश में शरण ले ली हो। परन्तु प्रत्यर्पण के इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अन्तर्गत सारे प्रतिबन्ध लागू होंगे।

†**श्री त्यागी :** क्या मैं समझूं के भारत के इस नागरिक के खिलाफ किसी भी आरोप पर बन्दी बनाने का कोई वारन्ट जारी नहीं किया गया है ? वह भारत के नागरिक हैं।

†**श्री अ० कु० सेन :** प्रश्न यह है कि क्या कोई अनिश्चित मामला है, बन्दी बनाने का वारन्ट न्यायालय जारी करेगा।

†**श्री त्यागी :** उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया है ? क्या यह न करने के कारण राजनैतिक हैं या राजनयिक हैं ? हमें यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिये ?

†**श्री अ० कु० सेन :** श्री त्यागी जानते हैं कि इस देश में अभियोग दर्ज कराने से ही किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने जो भी नागालैंड में किया है उसकी गवाही मिलनी चाहिये। क्या वह आशा करते हैं कि वे गवाह न्यायालय में आयेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** पिछली बार माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि श्री फीजो के विरुद्ध हत्या के आरोप अनिश्चित पड़े हैं जो आजकल भाग कर लन्दन चले गये हैं। यदि हां, तो ये आरोप उन पर लगाये जाने चाहियें। अपने प्रार्थनापत्र में उन्होंने ब्रिटेन की सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें भारत का नागरिक न मानकर स्वतंत्र नागालैंड का नागरिक माना जाये। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार को ब्रिटेन की सरकार से श्री फीजो को, जो लन्दन में भगोड़ा अपराधी हैं, लौटाने के लिये कहना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन :** मेरा विचार है कि माननीय सदस्य वकील नहीं हैं। जो सदस्य वकील हैं वे यह जानते हैं कि सरकार इस देश में नागरिकों के साथ, इस सभा आरोप लगाये जाने के कारण, मन चाहे ढंग से व्यवहार नहीं कर सकती। यह कार्य स्वतंत्र व निरपेक्ष ढंग से काम करने वाले न्यायालयों में नियमित अभियोग चलाकर किया जाता है। यदि कोई आरोप लगाया जाता है, वह गवाही के आधार पर स्वीकार किया जाता है। यदि माननीय सदस्य उन परिस्थितियों से परिचित हैं, जिनमें श्री फीजो ने काम किया, तो वह स्वीकार करेंगे कि चाहे आरोप सर्वथा सत्य हों, तो भी उन्हें न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं ? मैंने माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख किया था। मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री ये हवाई आरोप नहीं लगा रहे थे क्योंकि वक्तव्य देते समय उनके पास तथ्यपूर्ण जानकारी थी। अतः मेरा कहना यह है कि प्रधान मंत्री के आरोप को ध्यान में रख कर, इस व्यक्ति के खिलाफ आरोप क्यों नहीं लगाये गये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रत्यक्ष है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं। यह बार बार कहा गया है कि उस व्यक्ति ने क्षेत्राधिकार नहीं छोड़ा है या वहां संवैधानिक प्रशासन का प्रयास नहीं किया गया ह। वह ऐसा व्यक्ति है जो सारे विद्रोह का नेता है। यदि वह भारत का नागरिक है, तो क्या माननीय मंत्री उसे या अन्य किसी को हिंसात्मक कार्यवाही की व्यवस्था करने देंगे और इतने अधिक व्यक्तियों को मारने देंगे ? वायु सेना के इतने सारे अधिकारी कैद में हैं। क्या श्री फीजो का इस सब से कोई सम्बन्ध नहीं ह ? यह कहना कि मामला सामने लाना एक बात

---

†मूल अंग्रेजी में

है और आरोप लगाना उसे बन्दी कराना, आदि दूसरी। इन सब बातों के बाद यह सुनना आश्चर्यजनक है। प्रायः रोज ही कोई हत्या आदि हो रही है और एक व्यक्ति जो विद्रोह का सूत्रपात कर रहा है वह है। यह कहने से कि उन पर को आरोप नहीं है, क्या माननीय मंत्री किसी माननीय सदस्य से सहायता लेना चाहते हैं? हो सकता है कि अभियोग न्यायालय में अनिश्चित पड़ा हो या पुलिस के पास हो। मेरा विचार है कि हत्या के मामले में पुलिस बन्दी बना सकती है और स्वयं वारन्ट जारी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति विद्रोह का सूत्रपात कर रहा है, यदि वह भारत का नागरिक है, तो वह यही व्यक्ति है। यह कहना कि हम प्रत्यर्पण की कार्यवाही नहीं करते सकते, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि वह इस मामले की अधिक जांच करें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मुझे विश्वास नहीं होता कि माननीय मंत्री प्रत्यर्पण विधान के बारे में इतने डांवांडोल क्यों हैं। जब कोई अपराधी भागता है और उस के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं, तो आरोपों की सिद्धि से पहले ही ..... (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि वह अपराधी नहीं है..... (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री त्यागी** : क्या इस देश में देशद्रोह करना अपराध नहीं है?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम यहां इसका निश्चय नहीं कर रहे। यदि हमारी बैठक कुछ दिन और चलती, तो मैं निश्चय ही इस प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति देता ..... (**अन्तर्बाधा**)। परन्तु बैठक का अंतिम दिन है। ईश्वर ने चाहा तो हम अगली बार इस के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूं?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर आगे चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। जब कि यह विद्रोह का मूल कारण है, तो क्या प्रत्यर्पण की प्रार्थना भी अन्य देश को नहीं भेजी जाती? मुझे विश्वास है कि सभा कुछ अधिक युक्तियुक्त उत्तर चाहती है। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं इस पर चर्चा किये जाने की अनुमति देता .... (**अन्तर्बाधा**)। अगला प्रश्न ।

लंका से भारतीयों का प्रत्यावर्तन

+

†*१३३६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

†**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने १९६० में बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को प्रत्यावर्तित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). १९६० में कुल ७८६६ भारतीय लंका से वापस आये —३४५१ वापस जाओ नोटिसों पर जो लंका सरकार ने जारी किये थे और ४४१५ स्वेच्छा से वापस आये। १९६० की मांग संख्या १९५५, १९५६ १९५७, १९५८ और १९५९ की तत्स्थानी संख्याओं से कम थी।

(ग) भारत और लंका के १९५४ के करार के उपबन्धों के अनुसार लंका सरकार ने सशंकित अवैध आप्रवासियों को हमारे उच्च आयोग में प्रस्तुत किया। उनसे विस्तृत पूछ ताछ की गई। उन्हें यात्रा के आवश्यक कागज़ात इस बात का पर्याप्त प्रमाण होने पर दिये जाते हैं कि प्रस्तुत किये गये व्यक्ति अवैध आप्रवासी हैं। जिन मामलों में सशंकित व्यक्ति १-११-१९४९ से या पहिले से लंका में वैध आवास बताते हैं, हमारा उच्च आयोग लंका सरकार को तथ्य बताता है और उन्हें भारतीय कागजात जारी करने की असमर्थता समझाता है।

इस के अतिरिक्त जब कभी यह महसूस होता है कि लंका सरकार की कोई कार्यवाही, जो उसकी लंका के वाणिज्यिक संस्थानों संबंधी अपनी नीति के अनुसार हो या अवैध आप्रवासियों को प्रत्यार्पित करने के लिए, जिस से भारतीय उद्भव के व्यक्तियों पर ज़ोर डाले जाने की संभावना हो या उन पर भारतीय नागरिकता की इच्छा प्रकट करने के लिए दबाव डाला जाये, तो हमारा उच्च आयोग भारतीय राष्ट्रजनों को होने वाली कठिनाइयों व दिक्कतों को दूर करने के लिए लंका सरकार से अभ्यावेदन करता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि लंका की सरकार ने भारतीयों का प्रत्यर्पण इस बात को ध्यान में रख कर किया है कि उस देश में लंकावासियों के रोज़गार की संभाव्यता बढ़ जाये और, यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में लंकावासी कर्मचारियों के प्रति वही कार्यवाही करने का है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत में शायद कोई लंकावासी कर्मचारी हो। बताया गया कारण सही है। लंका की सरकारी सेवाओं में लंकावासियों को रखने के कार्य का यह एक भाग है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इन प्रत्यर्पित व्यक्तियों के पुनर्वास में क्या प्रगति हुई है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पुनर्वास का तो कोई प्रश्न ही न था। पुनर्वास के लिए हमें कोई प्रार्थना नहीं मिली है। उन के संबंधी तथा घर भारत में हैं। वे वहां वापस चले जाते हैं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या यह सच है कि लंका सरकार अनागरिकों का एक रजिस्टर बना रही है जिस में भारतीय उद्भव के नागरिकताहीन व्यक्तियों के नाम होंगे जिनके नागरिकता के प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं और, यदि हां, तो क्या हमारी सरकार को लंका में हमारे वाणिज्यदूत से सूचना मिली है। क्या लंका सरकार भारतीय उद्भव को इन व्यक्तियों को भारत वापस भेजने की दृष्टि से यह कार्यवाही कर रही है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : लंका में हमारा उच्च आयोग प्रत्यर्पण और लंका में नागरिकताहीन व्यक्तियों की कठिनाइयों के बारे में लंका सरकार से निरन्तर पत्र-व्यवहार कर रहा है।

श्री तंगामणि : १९६० में वापस भेजे गये ३,४५० व्यक्तियों और जिन को वापस जाओ नोटिस दिये गये थे उन के मामलों में क्या उन्होंने १९५४ के करार का पूर्णतया पालन किया है और क्या इस सूची में कोई ऐसे भी नाम हैं जो आज भी आवास में हैं और १९४९ में भी थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जो लोग १ नवम्बर, १९४९ से पहले वहां रहते थे उन के बारे में मैं प्रक्रिया बता चुकी हूं । यह प्रत्यर्पण १९५४ के करार के अनुसार है ।

†अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न संख्या १३४२ क ले रहा हूं ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं चाहता था कि प्रश्न संख्या १३३७ को लिया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे वह मिल गया है परन्तु मैं प्रश्न संख्या १३४२-क ले रहा हूं क्योंकि यह अधिक महत्वपूर्ण है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : परन्तु मेरा प्रश्न आ रहा है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं देता । मैं प्रश्न संख्या १३४२-क को अधिक महत्व देता हूं ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा प्रश्न आ रहा है । मैं नहीं जानता कि यह भेद भाव क्यों है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई प्रश्न नहीं पुकारना है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आपने मेरा कोई प्रश्न नहीं लिया है ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा . . . श्रीमती इला पालचौधरी ।

गोआ में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा शस्त्र जमा किया जाना

+

†*१३४२-क. { **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री गोरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ, दीव और दमन में पुर्तगाली अधिकारी खंदकें बना रहे हैं और शस्त्र जमा कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) इस बारे में समाचार मिले हैं जो सच हो सकते हैं ।

(ख) यदि यह ठीक है तो सरकार पुर्तगाल की दमन नीतियों को जारी रखने के उदाहरणों पर खेद ही प्रकट कर सकती है । हम स्थिति को सावधानी से देख रहे हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार को विदित है कि गोआ में एक स्कूल के अध्यापक श्री थामस को मुक्त करने के पहले तीन दिन तक कष्ट दिया गया ? क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि उस के साथ क्या किया गया था ? अब उसकी क्या हालत है ? ऐसे मामलों की देख रेख कौन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री जो० ना० हजारिका : इस विशेष मामले के लिए मैं पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह भी सच है कि पुर्तगाल सरकार ने भारत को एक नोट भेजा है जिस में कहा है कि वे दादरा और नगर हवेली के लिये रास्ता चाहते हैं ताकि गैर-सरकारी व्यक्ति, असैनिक अधिकारी और सामान्य वस्तुयें वहां जा सकें ? इस प्रार्थना पर भारत सरकार का क्या विचार है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : भारत सरकार के साथ पुर्तगाली सरकार के राजनयिक संबंध नहीं हैं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : हमारे हितों की देख भाल कौन करता है ?

†अध्यक्ष महोदय : पहिले ही कहा गया था कि यह काम कोई कर रहा है ।

†श्री जो० ना० हजारिका : भारत सरकार संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत द्वारा पुर्तगाली सरकार से सम्पर्क करती है ।

†श्री गोरे : क्या सरकार को यह बात विदित है कि पुर्तगाली सरकार गोआ में अनिवार्य सेना सेवा के लिए नाम लिख रही है और इन व्यक्तियों को अंगोला में उन के राज्य की सुरक्षा के लिए भेज रही है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हमने समाचार पत्रों में समाचार देखे हैं ।

†श्री गोरे : क्या सरकार को विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पुर्तगाल के प्रतिनिधि ने राज्य सभा में प्रधान मंत्री के भाषण का उल्लेख किया था जिस में उन्होंने यह कहा बताया गया था कि समय आ सकता है जब कि उन्हें पुर्तगाल के विरुद्ध सेना का प्रयोग करना पड़े और वे उस स्थिति का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हां, हमें उसका पता है ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार को विदित है कि पुर्तगाली भूमि खान बना रहे हैं और उन में से कुछ गोआ की सीमा तक और उस से भी आगे तक लोगों के लिए खतरनाक बन गई है ?

†श्री जो० ना० हजारिका : पुर्तगाली सरकार ने १७ अगस्त को लोक-सभा में प्रधान मंत्री के भाषण फलस्वरूप यह कार्यवाही की है ।

†श्री नाथ पाई : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि गोआ पर आक्रमण की कथित भारतीय तैयारी की शरारत पैदा करके एक बहाना बनाने की पुर्तगाली प्रतिनिधि के प्रयास को ध्यान में रख कर, और गोआ में खाने बनाने को ध्यान में रखकर हम गोआ से होने वाली किसी भी कार्यवाही का मुकाबला करने के लिए क्या कर रहे हैं ? वे यह झूंटा बहाना तैयार कर रहे हैं कि हम आक्रमण करने वाले हैं ? वह मान चुके हैं कि इस से वह परिचित हैं । वे खाने बना रहे हैं । क्या सीमा की उचित प्रतिरक्षा की जा रही है ? हम जो जानते हैं उस से कुछ अधिक चाहते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि इस बहाने से कि हम तैयारी कर रहे हैं, वे वहां तैयारी करते हैं, तो क्या कार्यवाही की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हम सारी स्थितियों का मुकाबला करने को तैयार हैं। मैं माननीय सदस्य का ध्यान १७ अगस्त के वाद-विवाद में दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा था—क्या स्पष्टीकरण के लिए मैं वह वाक्य पढ़ सकता हूं ? प्रधान मंत्री ने कहा था :—

> "परन्तु, जैसा कि मैंने कल कहा था, मेरा ख्याल है कि दूसरी सभा में कहा था, कि यदि अभी मुझ से किसी प्रकार का आश्वासन मांगा जाता है कि कहीं कोई घटना हो तो हम . . ., तो मैं गोआ में सशस्त्र सेना के प्रयोग की बात को असम्भव नहीं कह सकता।"

†**श्री नाथ पाई** : मेरा प्रश्न इस के फलस्वरूप हुई घटनाओं पर आधारित है। हम होने वाली घटनाओं का मुकाबला किस प्रकार कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सभा सचिव ने जो पढ़ा है उससे अधिक कुछ नहीं कह सकते।

मैं यह प्रश्न पूछे जाने की अनुमति देता हूं। श्री चिन्तामणि। प्रश्न संख्या १३३७।

उड़ीसा और पंचवर्षीय योजना

\+

†*१३३७. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के अधीन उड़ीसा राज्य की योजनाओं की पुनः जांच पड़ताल हो रही है और योजना में उपयुक्त फेर बदल की जायेगी ;

(ख) क्या योजना आयोग तीसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन उड़ीसा की अन्तिम रूप से तैयार की गई योजनाओं में फेर बदल किये जाने पर सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तीसरी पंच वर्षीय योजना के अधीन उड़ीसा की योजनाओं में किस ढंग से फेर बदल की जा रही है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). योजना आयोग को राज्य की योजना पुनः बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि उड़ीसा को राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है कि तीसरी योजना में उड़ीसा राज्य की योजना फिर बनाई जायेगी ताकि कुछ तत्कालिक सुधार के उपाय सम्मिलित किये जा सकें और यदि हां, तो क्या उनका ध्यान राज्यपाल के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** उड़ीसा के राज्यपाल के भाषण की रिपोर्ट से हमें यह विदित होता है कि इस बारे में संकेत किया गया है। परन्तु हमें राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या सभा में योजना के स्वीकृत होने के बाद योजना आयोग के परामर्श के बिना राज्य सरकार को योजना पुनः बनाने का स्वातन्त्रय है जैसा कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सब कल्पना है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** उन्होंने वक्तव्य दिया है कि योजना पुनः बनाने के लिए योजना आयोग के पूर्व परामर्श और अनुमति की आवश्यकता नहीं है । उड़ीसा विधान सभा में उन्होंने यही कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह वैधानिक बात है। क्या संविधान के अन्तर्गत राज्य के स्वायत्तशासी होने के कारण वह केन्द्र की स्वतन्त्रता से बढ़ कर स्वतन्त्र हो सकता है, इस बारे में निश्चय करना है । जानकारी राय के बारे में नहीं है । वैधानिक स्थिति के बारे में सभा में कोई राय पूछने की आवश्यकता नहीं है । वैधानिक मामलों पर राय देने के लिए मंत्री महोदय बाध्य नहीं है । जो भी पूछा जा सकता है उसका उत्तर योजना उपमंत्री ने दे दिया है । उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है और ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है । यहां यह मामला समाप्त हो जाता है । वह यह कह सकते हैं या नहीं, यह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कलिंग इंडस्ट्रीज लि०

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २२ अगस्त, १९६१ को राज्य की विधान सभा में उड़ीसा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये एक प्रश्न के इस उत्तर की ओर आकर्षित हुआ है कि कटक के कलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को पिछले वर्ष एक लाख रु० का जो अंशदान दिया है वह "प्राधिकृत व्यय" है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने और राष्ट्रपति के शासन काल में राज्यपाल ने आपत्ति की यह बात कम्पनी विधान प्रशासन को बताई थी कि यह अनियमित व्यय है ;

(ग) क्या कम्पनी विधान प्रशासन ने कोई पूछताछ की थी और उनकी उपपत्तियां क्या थीं ; और

(घ) क्या यह सच है कि उड़ीसा में नये मंत्रिमंडल ने पिछले जून में शपथ लेने के बाद कम्पनी प्रशासन से यह मामला वापस ले लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). मुझे यह बताने में खेद है कि २२ अगस्त, १९६१ के उड़ीसा विधान सभा के प्रश्नों तथा उत्तरों का अधिकृत पाठ अभी प्राप्त नहीं हुआ है। शायद इसका कारण यह है कि भुवनेश्वर के साथ संचार साधन टूट गये हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : संचार साधन केवल कल भंग हुए हैं। यह प्रश्न पिछले महीने की २४ तारीख को पूछा गया था। वहां उत्तर २२ तारीख को दिये गये थे। मुझे आश्चर्य है कि वह कहते हैं कि उत्तर नहीं आया है।

†**श्री कानूनगो** : हां, मैंने ५ दिसम्बर को उत्तर देना स्वीकार किया था। उस दिन, मुझे कोई सूचना नहीं मिली थी। ५ और ७ तारीख के बीच मेरा खयाल है कि डाक संचार टूट गया है।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। और प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं है। माननीय मंत्री को अधिकार है कि वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करे या न करे। उस दिन मुझे बताया गया था कि उस दिन तक उन्हें उड़ीसा विधान सभा की शब्दशः नियमित रिपोर्ट नहीं मिली है। वह प्रतीक्षा करना चाहते थे और ८ तारीख तक का समय मांगा था। यदि आज भी उन्हें यह नहीं मिली है, तो वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ? वह जो कहते हैं या करते हैं उसके लिए वह इस सभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि कुछ प्रश्न अन्य कहीं की घटनाओं के बारे में पूछे जाते हैं और मंत्री महोदय अधिकृत जानकारी मिलने के विचार से उससे सहमत हो जाते हैं और वह उन्हें नहीं मिलती, तो वह क्या करें ? अगला प्रश्न ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : प्रश्न के बाद वाले भाग के लिए उन्हें वहां के उत्तर की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कौन सा भाग ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या कम्पनी विधान प्रशासन यह जानता था या नहीं : क्या उत्तर है—क्या उन्होंने इसकी कोई जाँच की कि यह अनधिकृत व्यय था।

†**श्री साधन गुप्त** : प्रश्न के भाग (क) के अतिरिक्त, हर बात का उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार यह घोषणा कर सकती है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को दिया गया अंशदान सरकार की दृष्टि में नीति के अनुसार नियमित है या अनियमित है। उनकी नीति क्या है और मैं समझता हूं कि इससे मतभेद समाप्त हो जायेगा।

†**श्री कागूनगो** : सभा में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सरकारी क्षेत्र की कोई भी कम्पनी राजनीतिक निधियों में कोई अंशदान नहीं दे सकती।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री रंगा :** माननीय सदस्य ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कृपया मंत्री महोदय प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर दें ।

प्रश्न का भाग (ख) निम्न है :

"क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने और राष्ट्रपति के शासन काल में राज्यपाल ने आपत्ति की यह बात कम्पनी विधान प्रशासन को बताई थी कि यह अनियमित व्यय है ;"

माननीय मंत्री को इस की जानकारी अवश्य दी होगी ।

†**श्री कानूनगो :** यदि आप चाहें कि इस प्रश्न को एक अलग प्रश्न के रूप में रखा जाये, तो निश्चय ही मैं जानकारी दे सकता हूं । (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि माननीय मंत्री उस बात का उत्तर नहीं देंगे जो वे चाहते हैं? मैं भी उनसे यही पूछ रहा हूं । और वह उत्तर दे रहे हैं । वे जल्दी क्यों करते हैं?

†**श्री कानूनगो :** सारी बात का एक ही प्रश्न है और यह भाग (क) के ऊपर निर्भर है जिसका संबंध उड़ीसा की विधान सभा में दिये गये वक्तव्य से है । यदि आप चाहते हैं कि इसे पृथक प्रश्न समझा जायेगा, तो निश्चय मैं वह जानकारी दे सकता हूं जो मेरे पास है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता कि उन सब को एक साथ क्यों रख दिया गया है । प्रश्न के भी अलग अलग भाग हैं। माननीय मंत्री देख सकते हैं कि वह अन्य भागों के अलग अलग उत्तर दे सकते हैं या नहीं । यदि वह भाग (क) का उत्तर नहीं दे सकते, तो वह भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर क्यों नहीं देते? जो यह जानते हैं, वह इस पर निर्भर नहीं होना चाहिये कि अन्यत्र क्या होता है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रसंग भिन्न हो सकता है। अन्यथा मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, मैं यह बता सकता हूं कि मई, १९६१ में उड़ीसा सरकार से जानकारी मिली थी और उड़ीसा के राज्यपाल से कोई अलग पत्र नहीं मिला था ।

प्रश्न के भाग (ग) के बारे में...

†**अध्यक्ष महोदय :** अर्थात्, क्या कोई जांच की गई थी।

†**श्री कानूनगो :** ... हमने निष्कर्ष निकाला था कि कोई अपराध नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कोई जांच की गई थी ?

†**श्री कानूनगो :** प्रत्यक्षतः कोई अपराध नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई जांच नहीं की गई ?

†**श्री कानूनगो** : जांच की कोई आवश्यकता न थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । अब, अगला प्रश्न ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या मैं इस पर एक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, वह पूछ सकते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा के उद्योग निदेशक ने कम्पनी को लिखा था कि कारण की शर्तों के अनुसार वह सरकार की अनुमति के बिना ५००० रु० से अधिक व्यय नहीं कर सकते ? क्या उस मामले में यह किया गया था ? क्या इसकी कोई जांच की गई थी ?

†**श्री कानूनगो** : यह राज्य सरकार और कम्पनी के बीच करार का प्रश्न है । हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य : उठे . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । उड़ीसा में सरकार है और यह मामला उड़ीसा सरकार और वहां की किसी कम्पनी का है और इस पर करार की शर्तें लागू होती हैं । उन्हें लागू करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । अतः यहां यह प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : अनियमित व्यय की जांच करने के लिए कम्पनी विधान प्रशासन है । इसी कारण तो यह मान कर उन्हें भेजा गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक बात समझना चाहता हूं । मैं माननीय सदस्यों को यह विचार करने की सलाह देता हूं कि वे कपनी विधान प्रशासन के क्षेत्र और क्षेत्राधिकार पर विचार करें । जहां तक कम्पनी विधान प्रशासन का सम्बन्ध है, वह प्रत्येक कम्पनी के मामलों की जांच करता है फिर सलाह देता है । जहां कम्पनी ने राज्य सरकार से कोई करार किया हो, तो वह सलाह राज्य सरकार को देनी पड़ती है और उन्हें उसे लागू करने का प्रयत्न करना चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि कम्पनी विधान प्रशासन राज्य सरकार और उस कम्पनी के बीच करार के बारे में जो भी कहे, वह यहां लागू किया जा सकता है । हां, राज्य विधान मंडल के सदस्यों को यह मामला वहां उठाने का अधिकार है । यहां कुछ नहीं किया जा सकता ।

†**श्री त्यागी** : यह बात अवश्य स्पष्ट होनी चाहिये कि संबंधित कम्पनी गैर-सरकारी क्षेत्र में है । अतः इसे अंशदान देने का अधिकार है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यहां स्थिति भिन्न है । कलिंग उद्योग लिमिटेड के सभापति उड़ीसा के मुख्य मंत्री हैं । उन्होंने दान दिया है । इसमें उड़ीसा सरकार की अभिरूचि है । उसी दिन, जबकि एक लाख रुपये का दान दिया गया था, वह ४ लाख रु० के लिए उड़ीसा सरकार के प्रति कर्जदार थे । कम्पनी के खाते से विदित होता है कि बकाया राशि लगभग ४ लाख रु० था . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो इसे आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इसमें कोई षड़यंत्र प्रतीत होता है....

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं इस सभा को उड़ीसा की विधान सभा बनाने की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक था।

†**श्री रंगा** : उड़ीसा के मुख्य मंत्री इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती । यदि वह उड़ीसा के मुख्य मंत्री भी थे तो भी क्या किया जा सकता है।

†**श्री अशोक मेहता** : यदि मैं समस्या को ठीक समझा हूं, तो स्थिति कुछ भिन्न है । एक कम्पनी है जिसमें उड़ीसा सरकार ने भी कुछ धन लगाया है, जिससे हमारा सम्बन्ध नहीं है । यह उड़ीसा सरकार और उस कम्पनी का मामला है ।

दूसरी बाता यह है कि इस कम्पनी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को एक लाख रु० दिये हैं। वह मामला भी कम्पनी और कांग्रेस का है ।

परन्तु, अब कहा जाता है कि यह अंशदान उस वर्ष किया गया था जबकि कम्पनी को ४ से ६ लाख रु० तक की हानि हुई थी। अतः प्रश्न यह है कि क्या कम्पनी विधान प्रशासन ने इस बात की जांच की कि एक कम्पनी को जिसे हानि हो रही हो—चाहे वह अंशधारियों का धन हो या उड़ीसा सरकार का हो, वह भिन्न बात है—एक राजनीतिक दल को एक लाख रु० अंशदान देना चाहिये । यदि कम्पनी विधान प्रशासन ने इसकी जांच नहीं की है, तो प्रश्न यह है । क्या यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी कम्पनी विधान प्रशासन को जांच करनी चाहिये ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : उन्होंने कोई लाभांश भी नहीं दिया है ।

†**श्री कानूनगो** : श्री अशोक मेहता ने जो प्रश्न पूछा है मैं उसका पहिले ही उत्तर दे चका हूं। मने विशेष रूप से उत्तर दिया था कि प्रत्यक्षतः कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध नहीं है ।

†**श्री शोक मेहता** : क्या इसका अर्थ यह है कि भविष्य में कोई भी कम्पनी जिसे हानि हो रही हो, किसी भी राजनीतिक दल को मन चाहा अंशदान दे सकती है, और कम्पनी विधान प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करेगा ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, बात यह है कि उस समय कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई थी ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा था कि कर से बचने के लिए हानि दिखाई गई थी ? क्या यह सच नहीं है ? यदि नहीं, तो माननीय मंत्री इसका खण्डन करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास वह वक्तव्य नहीं है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं ।

†**श्री महन्ती** : क्या इस देश में गैर-सरकारी कम्पनियों को राजनीतिक दलों को अंशदान से रोकने वाला कोई विधान नहीं है ? दूसरे, क्या उड़ीसा सरकार के उद्योग निदेशक.... (**अन्तर्बाधा**)। इस तरह की गड़बड़ी उचित नहीं है । मैं इससे नहीं झुकूंगा। श्रीमान्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्री कानूनगो** : विधान के उल्लेख कम्पनी अधिनियम में हैं ।

†**श्री महन्ती** : सभा को भ्रम में डालना ठीक नहीं है। (**अन्तर्बाधा**) मैं इस तरह नहीं झुकूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठेंगे या नहीं ? मैं अब अगला प्रश्न लूंगा ।

वास्तव में मुझे खेद है। मैं ने विरोधी सदस्यों का बहुत समय लिया है । उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये । जब वे कुछ कहते हैं तो चाहते हैं कि अन्य लोग चुप रहें, परन्तु जब कुछ और सदस्य उठते हैं, तो वे अन्तर्बाधा करने लगते हैं। मैं देखता हूं कि इस सभा में एक प्रकार का असन्तोष दिखाया जाता है । मैं नहीं जानता कि वे इस तरह क्यों व्यवहार करते हैं। सब से पहिले उन्हें संसद् की कार्यवाही के ज्ञाता होना चाहिये और कुछ बाद में। इस प्रकार अन्तर्बाधा करना गलत है । वे अपना संतोष इस प्रकार क्यों खोते हैं कि सारी बात एक लाख रु० या दो लाख रु० पर ही निर्भर है ? मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री इस काल्पनिक प्रश्न का उत्तर दें कि क्या कोई कम्पनी अंशदान दे सकती है या नहीं ।

मेरा विचार है कि सत्र के अन्त में माननीय सदस्य घर जाने की जल्दी में हैं ।

अगला प्रश्न ।

पाकिस्तान में लेफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य का मुकदमा

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या ४. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेफ्टीनेंट कर्नल जी० एल० भट्टाचार्य के विरुद्ध ढाका में मुकदमा आरंभ होने के पश्चात्, जो भारतीय सेना के अफसर हैं और जिनके विरुद्ध जासूसी करने का आरोप लगाया गया है, विशेष सैनिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने सरकारी वकील के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया कि कार्यवाही गुप्त रखी जाए ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने अभियुक्त को सब लेख और आवश्यक सुविधायें दी हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार स्वत: कर्नल भट्टाचार्य को बचाने के लिय किसी भारतीय वकील या किसी बैरिस्टर को भेजने का विचार करती है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हमने इस आशय के समाचार पढ़े हैं कि पाकिस्तान द्वारा दिये गये सफाई के वकील ने ढाका में ३१ अगस्त, १९६१ को विशेष सैनिक न्यायालय में कहा है कि उसने २५ अगस्त को मामला संभाला था अतः वह सफाई तैयार नहीं कर सका है। यह सूचना मिली है कि दो सप्ताह तक स्थगन की मांग की गई थी, परन्तु उसे सैनिक न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

(ग) कर्नल भट्टाचार्य के परिवार ने उस का बचाव करने के लिये एक भारतीय वकील कर लिया है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि सैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते समय प्रारंभिक वाद उठाया गया था, क्योंकि इस भारतीय अफसर को बलपूर्वक भारतीय राज्य क्षेत्र में से अपहृत किया गया था, और यदि फैसला इस वाद के प्रतिकूल होता है, तो क्या सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपना चाहती है क्योंकि यह मामला उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी, नहीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने और पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाये गये तरीकों का मुकाबला करने के लिये प्रतिशोध लेने का उपबन्ध है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : यह सर्वविदित है कि प्रतिशोध का क्या अर्थ होता है। परन्तु यह सरकार इन अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को हल करने के लिये प्रतिशोध का मार्ग अपनाने के पक्ष में नहीं है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस व्यक्ति के बचाव के सम्बन्ध में किया गया समूचा व्यय उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों पर पड़ेगा या सरकार उसको वहन करेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह उन लोगों के और कर्नल भट्टाचार्य के परिवार के सदस्यों के बीच का है जिन्होंने भारत से वकील लिये हैं। सरकार कर्नल भट्टाचार्य के परिवार के सदस्यों के द्वारा वकील करने के मामले के कोई भाग नहीं ले रही है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : जिस समय उसे भारतीय राज्य-क्षेत्र से उठाया गया क्या वह उस समय सेवा में थे या सेवा से निवृत्त हो चुके थे ?

†**श्री अ० कु० सेन** : वह भारत सरकार की सेवा में थे।

†**श्री कासलीवाल** : पाकिस्तान के विदेश सचिव ने हाल में इस आशय का एक वक्तव्य दिया है कि गुप्त मुकदमा कर्नल भट्टाचार्य की प्रार्थना पर किया जा रहा है ? यह कहां तक सच है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हम इसका कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : गुप्त मुकदमें के मामले की सूचना हमें तब मिली जब अभियोक्ताओं ने गुप्त मुकदमा किये जाने की प्रार्थना की। हमारे पास इसका निश्चय करने का और कोई साधन नहीं था। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि कर्नल भट्टाचार्य ने १८ अगस्त को इस की प्रार्थना की थी। सभा को विदित है कि हमारे उप उच्च आयुक्त को किसी भी समय कर्नल भट्टाचार्य से अकेले में मिलने या मुकदमें के बारे में किसी बात की चर्चा करने नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहम्मद इमाम :** यदि मुझे ठीक याद है, प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया था कि कर्नल भट्टाचार्य सेवा निवृत्त हो चुके थे ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** बाद में उस का शोधन कर दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का उल्लेख करने का कोई लाभ नहीं है । बाद में उसे ठीक कर दिया गया और यह कहा गया था कि वह अभी भी भारत सरकार की सेवा में हैं ।

†**श्री रंगा :** इस बात के माने जाने या वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि कर्नल भट्टाचार्य उस तारीख पर जिस दिन गिरफ्तार किये गये थे, सेवा में थें और उसने स्वयं कहा है कि पाकिस्तान के बारे में अपनी ओर से जासूसी करने या और ऐसा कोई काम करने का उनका इरादा था, तो भारत सरकार ने उसे बचाने और उसे विधि सम्बन्धी सहायता देने का उत्तरदायित्व क्यों अपने ऊपर नहीं लिया, जब कर्नल को स्वयं इस की आवश्यकता थी और पाकिस्तान सरकार उसे वह सहायता देने की अनुमति देन को तैयार थी ? सरकार को ऐसा करने से क्या रोकता है ? क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि और या कोई और चीज बाधक बनती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह काम क्यों उन के परिवार के लोगों पर छोड़ा जाये और स्वयं सरकार क्यों न उसे अपने ऊपर ले, ताकि उत्तम बचाव किया जा सके ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस प्रश्न का उत्तर एक बार पहले भी संसद् में दिया गया था । हमने कहा कि कर्नल भट्टाचार्य को हमारे राज्य क्षेत्र में पकड़ा गया था, जिसका पाकिस्तान ने अवैध रूप से उल्लंघन किया था ।

†**श्री फ्रेंक ऐंथनी :** इसी कारण सरकार को उसका बचाव करना चाहिये ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह कहा गया था कि पाकिस्तान ने हमारे राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया था और तब उसे उठा लिया गया था और उसे चार महीनों के लिये हिरासत में रखा गया । हमारे उप उच्च आयुक्त को भी उसे अकेले में मिलने नहीं दिया गया । उससे दूसरी ओर के अफिसरों के सामने बातचीत की गई और हमें उससे उस के स्वास्थ्य के अलावा और कुछ न पूछने के लिये कहा गया :

निश्चय ही हम इस के बारे में पाकिस्तान सरकार का क्षेत्राधिकार स्वीकार नहीं करते, क्योंकि समूची प्रक्रिया गलत थी । उसमें कोई भी तरीका नहीं था । एक व्यक्ति को हमार राज्य क्षेत्र से उठा लिया गया और उस पर हमारे ज्ञान के बिना कि उस पर क्या आरोप है और हमें यह जानने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है कि आरोप क्या हैं, सैनिक न्यायालय के द्वारा अभियोग चलाया जा रहा है ।

कई माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल का उपयोग केवल सूचना प्राप्त करने के लिय किया जा सकता है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाए । यह एक प्रश्न पूछा गया था । तब यह कहा गया कि प्रतिशोध क्यों न किया जाए । मा० मंत्रियों ने इन सब बातों का उत्तर दे दिया है । इसके अलावा कर्नल भट्टाचार्य का बचाव किया जा रहा है । हमारे उप उच्च आयुक्त को कोई अवसर नहीं दिया गया जो वहां गये थे । उसे कुछ नहीं बताया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, मैं केवल इतनी ही अनुमति दे सकता । यदि मा० सदस्य चाहते हैं कि और कोई कार्रवाई की जाय तो उस के लिये प्रश्न काल का उपयोग नहीं किया जा सकता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम जानना चाहते हैं कि ये इस के लिये क्या करने का विचार करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई व्यक्ति उसका बचाव कर रहा है ।

डा० आओ की मृत्यु

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री डा० एरिंग :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ अगस्त के आसाम ट्रिब्यून में इस प्रकार का एक समाचार छपा है कि डा० आओ ने अपनी मृत्यु से बहुत पूर्व इस प्रकार का एक पत्र अपने मित्र को लिखा था कि मेरी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है जिससे किसी समय भी मुझे संकट पैदा हो सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि डा० आओ ने इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को भी दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी ;

(घ) डा० आओ की मृत्यु के बाद क्या नागा प्रदेश की काउंसिल के सदस्यों की सुरक्षा के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख) सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है, जो २८ अगस्त, १९६१ के आसाम ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था । उसमें अन्य बातों के साथ, यह बताया गया है कि श्री शशिमेरेन ऐयर के नाम एक पत्र में डा० आओ ने यह लिखा था कि उपद्रवकारी हर समय उनके पीछे लगे रहते हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनको कब क्या हो जाए ।

उक्त समाचार में, श्री शशिमेरेन के नाम डा० आओ के जिस पत्र का हवाला दिया गया है, उसकी प्रतिलिपि भी सरकार ने देखी है । इस पत्र में डा० आओनेन तो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में कोई चिन्ता प्रकट की है, न अपनी सुरक्षा के प्रबन्ध कम होने के बारे में लिखा है; उन्होंने इस तरह की भी कोई बात नहीं लिखी है कि उपद्रवकारी उनके पीछे लगे हैं ।

डा० आओ की सुरक्षा के जो प्रबन्ध किये गये थे, उनसे वे संतुष्ट थे ।

(ग) डा० आओ की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी । दो गैर-कमीशनप्राप्त अफसर तथा छः अन्य श्रेणियों के फ़ौजी सिपाही उन्हें स्थायी गृह-रक्षकों (हाउस गार्ड) के रूप में दिए गए थे । जब भी वे अपने नगर से बाहर जाते थे, उनके साथ सशस्त्र रक्षा दल रहता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उनके निजी अंगरक्षक के रूप में सादी पोशाक में एक ग्राम रक्षक उनके साथ रक्खा जाता था। लेकिन स्वयं डा० आओ अपने घर और अपनी डिस्पेंसरी के बीच आने-जाने के मौकों पर उसे साथ रखना नापसंद करते थे। जिस समय डा० आओ की हत्या की गई, उनके पास एक पिस्तौल थी, जो उन्हें स्वर्गीय राज्यपाल श्री फ़ज़ल अली से भेंट-स्वरूप मिली थी।

(घ) और (ङ) अंतरिम सभा के सदस्यों और कार्यकारिणी के पार्षदों (काउंसिलर) की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये गये हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, उनके लिये रक्षक और रक्षादल सुलभ किये जाते हैं।

श्री प्र० च० बरुआ : क्या डा० आओ की एक बहुत छोटी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, कि उनको उनके उपयोग के लिये जीप दी जानी चाहिये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह सर्वथा गलत है कि उन्होंने एक जीप की मांग की थी और जीप नहीं दी गई।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि नागालैंड की सही हालत का चित्र सरकार और प्रधान मंत्री को पेश नहीं किया गया इसलिये कार्यपालिका के सलाहकारों ने सीधे प्रधान मंत्री को पत्र लिखने की शक्ति मांगी थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह भी सच नहीं है। नागालैंड में जो कुछ हो रहा है उसका सही चित्र सरकार को विदित होता है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि कार्यपालिका के सलाहकारों ने इस आशय के गहरे आरोप लगाये थे कि आयुक्त नागालैंड के समूचे प्रशासन का पूर्णाधिकारी बन बैठा है और सलाहकारों की कोई पूछ नहीं है।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं, ये सब आरोप गलत और निराधार हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : उपमंत्री ने नागालैंड की स्थिति के बारे में अभी जो कुछ बताया है उसकी दृष्टि से मैं उनका ध्यान सितम्बर को शिलांग में नागा पहाड़ियां प्रशासन के अधिवक्ताओं के द्वारा किये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी सुरक्षा उपाय किये जाएं, वहां की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकती और वहां की जो हालत है उसकी जड़ें गहरी हैं, यदि हां, तो सरकार इस नागा परिषद् के अन्य सदस्यों का बचाव करने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : आसाम के राज्यपाल या शिलांग के अधिवक्ता ने कभी यह बात नहीं कही जो माननीय सदस्य कह रहे हैं और आसाम ट्रिब्यून में जो समाचार प्रकाशित हुआ है। वह भी राज्यपाल या अधिवक्ता के भाषण का बिगाड़ा हुआ स्वरूप है। उन्होंने यह कहा था गड़बड़ कोई कृत्रिम या नई नहीं है इसकी जड़ें गहरी हैं। ये सब तथ्य हैं। वास्तव में, गड़बड़ नई नहीं है और इसकी जड़ें गहरी हैं और वहां की भूमि तथा अन्य कठिनाइयों का ध्यान रखते हुये उस क्षेत्र में शत प्रतिशत बचाव करना संभव नहीं है। उन्होंने इतना ही कहा है और यह कोई नई बात नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक तार की ओर आकर्षित कर सकता हूं जो मुझे नागा नेता से प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। सर्वोत्तम प्रयत्नों के बावजूद, दुर्भाग्य से कुछ लोगों पर आक्रमण किया जाता है। मैं इस मामले में इस प्रकार के तर्क की अनुमति नहीं दूंगा। सैंकड़ों तारें हो सकती हैं। तथ्य स्पष्ट है। सरकार जितने संभव प्रयत्न कर सकती है वे सब किये गये हैं किन्तु इस के बावजूद, वहां की गम्भीर स्थिति होने के कारण, कुछ इक्की-दुक्की घटनाएं हो जाती हैं। इतना ही नहीं है। हमने पर्याप्त सूचना प्राप्त कर ली है।

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) की द्विसदस्यीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री ब्रजराज सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के द्विसदस्यीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन करते समय, उस क्षेत्र को जिस में अनुसूचित जातियों की अधिक जनसंख्या थी उसे "सामान्य" और उस क्षेत्र को जिस में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या तुलनात्मक कम थी "रक्षित" घोषित किया गया ; और

(ख) क्या दलों ने इस के बारे में आपत्तियां दी थी और यदि हां, तो क्या अंतिम निर्णय कर लिया गया है और क्या निर्णय किया गया है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). यह सच है कि प्रारम्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रस्तावों में दोनों अर्ध भागों की अनुसूचित जातियों की जनगणना के प्रतिशत की संगणा करने में भूल से गलती हो गई थी। बाद में यह गलती मालूम हो गई और निर्वाचन आयोग द्वारा एक सार्वजनिक बैठक में उसका संशोधन कर दिया गया।

आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य क्षेत्र होगा और लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रक्षित निर्वाचन क्षेत्र होगा।

†**श्री बा० चं० कामले** : क्या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन की प्रक्रिया में कोई आपत्ति उठाई गई थी और क्या खास कर इस प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : क्या इस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

†**श्री अ० कु० सेन** : जी, हां। आपत्ति की सुनवाई होने के परिणामस्वरूप पहली बार रखा गया मूल प्रस्ताव संशोधित किया गया।

राज्यों की विधान सभाओं और लोक सभा के लिये रक्षित स्थानों की संख्या में कमी

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्री बा० च० कामले** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अभ्यावेदन दिया गया है कि १९५६ से, मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य से, अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा बुद्ध धर्म स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में हुई कमी के अनुपात में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में रक्षित स्थानों की संख्या कम करने के लिये सरकार कदम उठाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि सरकार ने उस पर कोई कदम उठाया है तो क्या और उस के क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). पिछली मई में, मा० सदस्य ने निर्वाचन आयोग को उस अभ्यावेदन की एक प्रति भेजी थी जो उन्होंने प्रधान मंत्री को दिया था। जिस में अनुसूचित जातियों के ठीक स्थानों की संख्या में, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में, कमी करने के लिये कहा गया था। किसी राज्य में अनुसूचित जातियों के स्थानों में कमी करने का प्रश्न तभी उठाया जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद ३३२ (३) में लिखित उपबंध के अनुसार १९६१ की दसवर्षीय जनसंख्या के सही आंकड़े उपलब्ध हों।

†**श्री बा० च० कामले** : अस्थायी आंकड़े अन्य राज्यों में की गई जनगणना के आधार पर प्रकाशित किये जा चुके हैं। इसी प्रकार बौद्ध बने लोगों के स्थायी आंकड़े क्यों प्रकाशित नहीं किये गये और उस अनुपात से स्थानों में कमी क्यों नहीं की गई ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि बौद्ध बने लोगों की पृथक सूची क्यों तैयार नहीं की गई है ?

†**श्री बा० च० कामले** : अस्थायी आंकड़े पिछली जनगणना के बारे में प्रकाशित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसूचित जातियों के ?

†**श्री बा० च० कामले** : अनुसूचित जातियों के संबंध में नहीं, किन्तु सामान्य जनता के बारे में। मैं पूछना हूं कि उसी प्रकार बौद्ध बनी जनता के अस्थायी आंकड़े क्यों प्रकाशित नहीं किये गये हैं और तदनुसार जनसंख्या के अनुपात से रक्षित स्थानों की संख्या में कमी करने के लिये कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है। मा० विधि मंत्री या सरकार के लिये उन स्थानों को कम करना अब संभव नहीं है जो संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों को दिये गये हैं। मा० सदस्य स्वयं वकील हैं।

आगामी सामान्य निर्वाचनों में मत लेने का तरीका

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री बा० च० कामले** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी सामान्य निर्वाचन नों ; अपनाये जाने वाले मत लेने के प्रस्तावित तरीके और पद्धति, और अनुसूची की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ख) क्या पिछले सामान्य निर्वाचनों के कार्यक्रम की तुलना में इन मामलों में कोई अन्तर करने का विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) से (ग). अनुसूची की मोटी रूपरेखा का आशय समझ में नहीं आया। परन्तु यदि इसका संबंध आगामी सामान्य निर्वाचनों के कार्यक्रम से है, तो निर्वाचन आयोग ने सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह फैसला किया

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि फरवरी, १९६२ का अंतिम सप्ताह इस काम के लिये सब से अधिक सुविधाजनक अवधि होगी, केवल हिमाचल प्रदेश और कुल्लू सब डिवीजन के हिमाच्छादित क्षेत्रों में निर्वाचन अप्रैल, १९६२ में होने की सम्भावना है। प्रत्येक क्षेत्र में मतदान की सही तिथियों का अन्तिम फैसला बाद में किया जाएगा। पिछले सामान्य निर्वाचनों में, हिमाच्छादित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जून और जुलाई १९५७ तक स्थगित करना पड़ा था।

निर्वाचन आयोग आगामी सामान्य निर्वाचनों में अधिकांश क्षेत्रों में मत देने की "चिन्हन प्रणाली" अपनाना चाहता है, जब कि पिछले निर्वाचनों में शलाका प्रणाली अपनाई गई थी। मतदान की चिन्हन प्रणाली में शलाका प्रणाली की अपेक्षा बहुत लाभ है, जिनकी व्याख्या कई अवसरों पर सभा में की गई है।

†**श्री बा० च० कामले**: क्या संसदीय और राज्य सभाओं के अभ्यर्थियों के लिये पृथक व्यवस्था होगी या दोनों के लिये संयुक्त प्रबन्ध होगा?

†**श्री अ० कु० सेन**: यह ब्यौरे के प्रश्न है जिस की पूर्व सूचना दी जानी चाहिये थी। यह मतदान व्यवस्था के बारे में है, सामान्य अनुसूची आदि के बारे में नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: क्या संसदीय और विधान सभाई अभ्यर्थियों के लिये मतदान के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है? क्या मतदाताओं को एक ही पेटी में दोनों शलाकाएं डालने को कहा जायेगा पेटियां होंगी और उनको पृथक २ डालने के लिये कहा जाएगा?

†**श्री अ० कु० सेन**: मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ समय पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलने के पश्चात् एक अस्थायी प्रस्ताव पेश किया गया कि दोनों मतदान पत्र उसी समय रिटर्निंग अफसर को दे दिये जाएं और कुछ दलों अर्थात् प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने भी उस पर न्यूनाधिक आपत्ति नहीं की। इस के बारे में मेरी अपनी शंकाएं हैं, और मैं ने इस मामले पर चर्चा करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है किन्तु मैं नहीं समझता कि आज में इस के बारे में कोई अंतिम फैसला किया जा चुका है, क्योंकि जैसा मैं ने कहा है, मैं स्वयं इसको समझ नहीं सका हूं और मुझे इस के बारे में शंकाएं है।

पंजाब में स्थिति

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६.** { **श्री गामणि:**
श्री स० मो० बनर्जी:
श्रीमती पार्वती कृष्णन्:
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं समेत राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने की गिरफ्तारी और कम्युनिस्ट पार्टी के भू-गृहादि की तलाशी से उत्पन्न पंजाब की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्य से धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक दलों का काम असंभव हो गया है जो मास्टर तारा सिंह के व्रत से उत्पन्न अवांछनीय परिणामों और तत्सम्बन्धी घटनाओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब में कुछ दलों के विरुद्ध किये जाने वाले ऐसे कामों को रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). भारत सरकार को पता है कि पंजाब में पंजाबी सूबा आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। राज्य सरकारों को हालात की जरूरत का सब से अधिक ज्ञान होता है और उसने निस्संदेह वे उपाय किये हैं जो वे शांति एवं व्यवस्था को कायम रखने के लिये करना उचित समझती है। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि यह गलत है कि बड़े पैमाने पर या निर्बाध तरीके पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि लुधियाना की सिविल लिबर्टीज यूनियन ने लुधियाना के जिलाधीश से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ६-९-६१ को एक सभा बुलाई और अचानक पुलिस ने आकर वह आदेश छीन लिया और भगत सिंह तथा शील सिंह को गिरफ्तार कर लिया और बाद में लाउड स्पीकर के मालिक और प्रजा सोशलिस्ट तथा रिपब्लिकन पार्टी के स्थानीय मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर लिया जब सभा का कार्यक्रम चल रहा था ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमें यह सब ब्यौरा जानने की जरूरत नहीं होती। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को इन सब बातों का पूरा पता होगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं अनुपूरक प्रश्न उस राज्य के मुख्य मंत्री को भेज सकता हूं।

†**श्री रंगा** : क्या भारत सरकार को पंजाब की स्वतंत्र पार्टी के नेता श्री उद्यम सिंह नागो के की गिरफ्तारी के कारण बताय गये हैं और क्या वे कारण प्रकाशित कर दिये गये हैं या शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : गिरफ्तारी के कारण नजरबन्द व्यक्ति को बताये जाते हैं भारत सरकार को नहीं।

†**श्री रंगा** : क्या भारत सरकार को उन कारणों की सूचना दी गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके कथनानुसार भारत सरकार को सूचना नहीं दी जाती।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब की स्वतंत्र पार्टी के महामंत्री ने कहा है कि उस की ये कारण बताये जायें और अब तक कारण बताये नहीं गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। माननीय सदस्य को य प्रश्न राज्य सरकार से पूछने चाहियें। यह विधि और व्यवस्था का मामला है।

†**श्री रंगा** : मैंने इस मामले की सूचना पहले ही गृह-कार्य मंत्री को यहां दी थी और उनके प्रभाव के द्वारा श्री उद्यम सिंह नागोके से मुलाकात करने की मांग की थी। परन्तु पंजाब सरकार ने मेरी और उनकी परवा नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा। तब उन को कोई शिकायत नहीं करनी है क्योंकि उन की भी वही हालत है जो माननीय मंत्री की है।

जहां तक इन ब्यौरों का सम्बन्ध है, वे पूर्णतया राज्य सरकार के हाथ में होते हैं कि शांति और व्यवस्था का प्रबन्ध किया जाय। हमें इन मामलों में दखल करने का हक नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी:** जैसे बताये गये हैं और आरोप लगाये गये हैं उन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि सरकार, राष्ट्रीयता एकता के बारे में अपनी बात के इलावा पंजाब की समस्या को इस ढंग से निपटाने का विचार करती है जैसी कि कुछ वहां की घटनाओं के अनुसार स्वत: होने की संभावना है और यह अपनी पूरी सख्ती और दबाव के जोर से इसे हल करना चाहती है। सरकार पंजाब की समस्या को हल करने के लिये धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रीय दलों की सलाह की अवहेलना क्यों करती प्रतीत होती है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय:** यह अधिकतर भाषण है। इस के उत्तर की जरूरत नहीं। **(अन्तर्बाधाएं)** शान्ति, शान्ति।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को इस प्रकार की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियों के द्वारा पहले से बिगड़ी हालत को और न बिगाड़ने के लिये हिदायतें जारी कर दी हैं या जारी की जाने की संभावना है ? **(अन्तर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री स्थिति का स्पष्टीकरण कर चुके हैं। अन्धाधुन्ध या सोच कर गिरफ्तारी करने का प्रश्न राज्य सरकार के हाथ में है।

माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया है कि सिविल लिबर्टीज यूनियन ने सरकार की अनुमति से एक सभा आयोजित की थी और उसके बावजूद कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। जो लोग नागरिक स्वतंत्रता के लिये लड़ना चाहते हैं उनके लिये उच्च न्यायालय बन्द नहीं है। स्वभावत: वे अवश्य उसमें गये होंगे और इसे रद्द करवाया होगा। मुझ से या गृह-कार्य मंत्री से पूछने का क्या उपयोग है ? हम उस आदेश को रद्द नहीं कर सकते। उस यूनियन के सदस्य वकील भी होंगे जिन्होंने यह सभा आयोजित की थी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब उच्च न्यायालय है जहां अनेक रिट अभियाचनाएं की जा सकती हैं, तो वे क्यों हताश होते हैं। **(अन्तर्बाधाएं)** शान्ति, शान्ति। मैं और किसी सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहना। जब विधि मंत्री ने सीमांकन के बारे में वक्तव्य दिया था, तब इस सभा पटल पर दिये गये आश्वासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह सभी अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे। मैं ने एक अ० सू० प्रश्न की सूचना दी और आपने उसे स्वीकार कर लिया। आपने उसे अनियमित नहीं ठहराया और मुझे सूचना मिली कि विधि मंत्री उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं उस की व्याख्या कर दूं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** सभा पटल पर दिये गये आश्वासनों का आदर होना चाहिये। यदि उनका पालन नहीं किया जाता तो उस का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मुझे माननीय मंत्री से पूछ लेने दीजिये।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री बा० च० कामले** : मेरे प्रश्न की भी यही हालत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तरीका यह है । माननीय सदस्य जानते हैं कि दीर्घ सूचना प्रश्नों के असमान, अल्प सूचना प्रश्न तभी स्वीकार किये जाते हैं यदि मंत्री उसका उत्तर देने को तैयार होता है । यदि श्री माथुर के कथनानुसार मैं ने उसे स्वीकार कर लिया था, तो मंत्री को सूचना कैसे दी जाती है और कैसे माननीय मंत्री द्वारा अस्वीकार की जाती है ? जब तक माननीय मंत्री अनुमति नहीं देता है मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं ने उसे स्वीकार कर लिया है । विधि मंत्री स्पष्टीकरण कर दें ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं नहीं समझता कि आपने इसे स्वीकार किया था । बात यह हुई । कल मुझे बहुत से प्रश्न लोक सभा सचिवालय द्वारा हमारे मंत्रालय को भेजे गये । इन में से मैंने अधिकांश प्रश्नों को स्वीकार करने का प्रयत्न किया । मैं ने स्वयं कल रात्रि के १० बजे तक अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दिखवाये थे, जिसके पश्चात् उनको साइकलोस्टाइल करवाया गया । परन्तु जहां तक मुझे याद है दो प्रश्नों में देश के विभिन्न भागों से सूचना एकत्रित करनी थी । इस के लिये एक सप्ताह लग जाता और निर्वाचन आयोग ने मुझे बताया था कि उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये सामग्री जुटाना असम्भव था । वे प्रश्न सायंकाल को देर से भेजे गये थे । मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देने में खुशी होती जैसा कि मैं ने आश्वासन दिया है, मैं निर्वाचनों के मामले में प्रयत्न करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों को मुबारिक बाद देता हूं । मैं ने १० अल्प सूचना प्रश्न भेजे और उन्होंने उन के उत्तर देना स्वीकार किया । मैं उन पर अधिक बोझ डालना नहीं चाहता जिससे अधिक वे बर्दाश्त न कर सकें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नारियल जटा उद्योग

†***१३२९. श्री मैं० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक कान्फ्रेंस बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) जी, हां ।

(ख) केरल में नारियल जटा उद्योग के चटाई बनाने के क्षेत्र का मशीनीकरण करने के प्रश्न पर इस सभा में चर्चा की गई थी ।

(ग) यह फैसला किया गया था कि प्रारम्भ में चटाइयों के एक-तिहाई उत्पादन का मशीनीकरण किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"प्यार की प्यास"

†*१३३८. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुपम चित्र द्वारा निर्मित "प्यार की प्यास" नामक फिल्म में, जो आजकल देशभर में दिखाई जा रही है, एक समूह गान है जिसमें भारत की सीमा इस प्रकार बताई गई है : "पश्चिम का प्रहरी पंजाब, पूरब का प्रहरी बंगाल";

(ख) यदि हां, तो क्या यह भूगोल में तोड़ मरोड़ करके भारत की वास्तविक सीमाओं को गलत ढंग से बताने का उदाहरण नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित फिलम का देश में प्रदर्शन किया जा रहा है । उनके द्वारा व्यक्त गाने में जो बताया गया है उसे भूगोलिक नहीं माना जा सकता । इसमें देश के कुछ और राज्यों का भी जिक्र है । यह अधिकतर रूपक संबंधी और भावनात्मक बात है और यह ठीक नहीं समझा गया कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए ।

भेषजों का निर्यात

†१३३९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भेषजों तथा रसायनों के निर्यात के लिए बाजार ढूंढने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रसायनों और तत्संबंधित उत्पादों की निर्यात संवर्धक परिषद् भारत सरकार द्वारा इन के निर्यात को बढ़ाने के लिये बनाई गई है । इसके अतिरिक्त, एक विशेष निर्यात संवर्धन योजना चलाई गई है जिस के द्वारा निर्यातकों--निर्याताओं को कुछ शर्तों पर कच्चा माल आयात करने के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं ।

१९६० में चिकित्सा संबंधी और औषध निर्माण संबंधी सामग्री के निर्यात पर १० लाख रुपये खर्च आये जब कि १९५९ में ८३ लाख रुपये खर्च आये थे ।

पैट्रो रसायन परियोजना

†*१३४०. { **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ के उत्तर

---

†मूल अंग्रेजी में

के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल पेट्रो रसायनों के निर्माण के लिए एक पेट्रो–रसायन परियोजना स्थापित करने के प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां । कार्बन ब्लैक, पी०वी०सी० आदि समेत विभिन्न कार्बनिक रसायनों के निर्माण की सात योजनाएं अभी तक अनुमोदित हुई हैं ।

(ख) ये योजनाएं हाल में ही अनुमोदित हुई हैं और वे कार्यान्विति के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

भारत में नाईजीरिया का आर्थिक प्रतिनिधिमंडल

†*१३४१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में नाईजीरिया का आर्थिक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ ; और

(ग) भारत और नाईजीरिया के बीच आर्थिक संबंध स्थापित होने की कैसी संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) नाईजीरियाई अर्थ व्यवस्था मिशन ने भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ, नाईजीरिया में तैयार की जा रही पंच वर्षीय योजना के लिये, आर्थिक आयोजना, प्रविधिक व्यक्तियों के बारे में भारत से सहायता की संभावना, विशेषीकृत शिक्षा एंव अन्य मामलों के लिये सहायता के बारे में सामान्य और खोजात्मक बातचीत की है ।

(ग) भारत और नाइजीरिया के बीच आर्थिक सहयोग के लिये और व्यापार के लिये अच्छी गुजाइश है । भारत सरकार ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये और विशेषज्ञों की सेवायें देने में सहायता कराने के लिये प्रत्येक प्रयत्न करना स्वीकार कर लिया है । रेलवे दल रेलवे प्रणाली का संगठन करने के लिये पहले ही नाईजीरिया में सहायता देने के लिये भेजा जा चुका है ।

कार्यालयों को दिल्ली से हटाना

*†१३४२. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के बहुत से ऐसे कार्यालयों को, जिनका दिल्ली में रहना किसी भी प्रकार अनिवार्य नहीं है, दिल्ली से बाहर कम घने नगरों में भेजने का है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से विभाग बाहर भेजे जायेंगे और कहां कहां भेजे जायेंगे ;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार ऐसा करने में असफल रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) यदि हां, तो सरकार किस सीमा तक असफल रही है और क्यों असफल रही है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्थिति में है । किसी विशिष्ट स्थान पर किसी विशिष्ट कार्यालय के बदले जाने का कोई संकेत नहीं दिया जा सकता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता ।

शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला कारखाना

†*१३४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री पांगरकर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला कारखाना स्तापित करने का इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). शुद्ध माप उपकरण परियोजनाओं के स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

बागान संबंधी औद्योगिक समिति

†*१३४४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान श्रमिकों के आवास के प्रश्न पर बागान संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक में, जो इस वर्ष जुलाई में हुई थी, विचार विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किये गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख) बैठक स्थगित हो गई थी । यह २१ और २२ सितम्बर, १९६१ को होगी जब कि मामले पर चर्चा की जाएगी ।

दिल्ली में भूमिगत जल

†*१३४५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक २७ अगस्त, १९६१ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भूमिगत जल, जिसकी सतह लगभग सारी दिल्ली में खतरनाक तौर पर ऊंची है, विभिन्न बस्तियों में जमीन से ऊपर आ गया है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी इमारतों के तहखानों में पानी रिसने लगा है, सड़कें बुरी तरह टूट गई हैं और बिजली के भूमिगत तारों आदि के ठीक तरह से रहने को खतरा पैदा हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि एक विशेष समिति जो भारत सरकार ने भूमिगत जल की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त की गई थी, की वे सिफारिशें जो १९५८ में उसकी रिपोर्ट में की गई थी, अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो

(१) विद्यमान स्थिति का पूर्ण ब्योरा क्या है ;

(२) प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित विशेष समिति की मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ;

(३) विशेष समिति की सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भूमिगत जल की सतह ऊंची हो जाने से पैदा हुई गंभीर स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७६]**

तिहाड़ गांव (दिल्ली) का नवनिर्माण

†३७७७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में शरणार्थियों की बस्ती, तिहाड़ गांव को नया रूप देने के मामले में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : दिल्ली नगर निगम से संशोधित अनुदान प्राप्त हो चुके हैं और इनका परीक्षण किया जा रहा है ।

दिल्ली निगम द्वारा ढाका गांव का विकास

†३७७८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** ६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका गांव के विकास तथा किंग्जवे कैम्प के पुनर्विकास के लिए सरकार को दिल्ली निगम की ओर से कर्ज़ के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने एक अनुमान तैयार किया है जिसमें करीब १९९ लाख रुपये के खर्च की बात है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग निगम के परामर्श से इस अनुमान का परीक्षण कर रहा है ।

केरल में मोनाज़ाइट निक्षेप

†३७७९. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में उपलब्ध मोनाजाइट निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण का परिणाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३६६ के उत्तर में बताया गया है, कन्याकुमारी और त्रिवुप्णापुझा के बीच भारत के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी तटों पर अबतक जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा चुका है वहां १४ लाख टन (६.४ लाख टन केरल तट पर और ७.६ लाख टन मद्रास पट पर) मोनाजाइट के निक्षेप होने का अनुमान है। तटीय प्रदेश में विस्तृत जांच पड़ताल अब भी जारी है और कुल निक्षेप उसके पूरे होने के बाद ही मालूम हो सकेंगे। इस जांच पड़ताल के पूरे होने में स्वाभाविक ही काफी समय लगता है ।

भविष्य निधि योजना का रूप भेद

†३७८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि योजना को वृद्धावस्था और/अथवा विधवाओं और बच्चों के लिए उत्तरजीविना सेवा निवत्ति वेतन (सरवाइवरशिप पेन्शन) में बदलने के बारे में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल ने जो सिफारिशें की थीं, उन पर त्रिदलीय सम्मेलन ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : (क) और (ख). अध्ययन दल की रिपोर्ट पर भारतीय श्रम सम्मेलन के अगले अधिवेशन में जो ९ और १० अक्तूबर, १९६१ को होना निश्चित हुआ है, चर्चा की जायगी ।

प्रौद्योगिकीय परामर्श विभाग (टेक्नोलाजिकल कन्सल्टिंग ब्यूरो)

†३७८१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य तथ उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रौद्योगिकीय परामर्श विभाग (टेक्नोलाजिकल कन्सल्टिंग ब्यूरो) को कर रियायत देने का प्रस्ताव किस दशा में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सरकार ने अभी हाल में एक समिति कायम की है जिसके विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ साथ उन उपायों पर भी विचार करना शामिल है जिनसे परामर्श देने वाली फर्मों की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके। इस समिति की नियुक्ति के आदेश की प्रति संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७**]

लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति

†३७८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति खड़ी करने के लिए बनायी गयी राष्ट्रीय समिति ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ख) काम पूरा करने की दिशा में आगे और क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस प्रस्ताव की सफलता के लिए भारत सरकार ने क्या मदद दी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) राष्ट्रीय समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया था कि स्मारक में एक मूर्ति तथा निम्नलिखित में से एक या अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

चीज होनी चाहियें अर्थात्--साहित्यिक कार्य, समाज सेवा या दर्शनशास्त्र के लिए छात्रवृत्ति जो भारत में तथा ब्रिटेन में भी अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी, स्मारक भाषण, महात्मा गांधी के लेखों का एक नवीन संस्करण, और एक छात्रावास या एक छात्रावास में कमरों के लिये निधि/समिति को इनके रूप के बारे में अभी निश्चय करना है ।

(ख) समिति विभिन्न प्रस्तावों की छानबीन करेगी और परिषद् को अपनी सिफारिशें देगी ।

(ग) इस प्रस्ताव के लिए ब्रिटेन ही पूर्णतः अगुआ है । भारत सरकार कार्यवाहियों में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रही है लेकिन भारतीय दूतावास राष्ट्रीय समिति के बराबर सम्पर्क में है ।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

†३७८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों में भारतीय चलचित्र अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे हैं ;

(ख) १९५८, १९५९ और १९६० में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(ग) क्या इस निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण की कोई योजना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) मुख्यतः एशियाई और अफ्रीकी देशों में ।

(ख) १९५८　　११३ लाख रुपये
१९५९　　१५४ लाख रुपये
१९६०　　१७६ लाख रुपये

(ग) जी नहीं ।

ट्रैक्टरों और खेती के औजारों का निर्माण

†३७८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७९ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में ट्रैक्टर या खेती के औजार तैयार करने का कारखाना खोलने की योजना इस बीच तैयार हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). गाजियाबाद में सालाना ३०००. "रेनाल्ट" ट्रैक्टर तैयार करने के लिए एक नया औद्योगिक कारखाना खोलने की योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी है । पूंजीगत माल और पुर्जे/कच्चे माल के आयात सम्बन्धी ब्यौरों तथा अन्य बातों की छानबीन हो रही है ।

राजस्थान--पश्चिम पाकिस्तान सीमा

†३७८५. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान-पश्चिम पाकिस्तान सीमा अंकित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : करीब कुल ६४४ मील लम्बी इस सीमा में से लगभग ४१३ मील तक मार्च, १९६१ के अन्त तक जब कि खेती का मौसम समाप्त हो गया था, सीमा के खंभे गाड़ कर सीमांकन कर दिया गया था। अगला मौसम १ अक्तूबर, १९६१ को आरम्भ होता है। आशा है कि मार्च, १९६२ तक सम्पूर्ण सीमा अंकित करने का काम पूरा हो जायगा।

नागाओं द्वारा मारे गये कर्मचारी

†३७८६. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र और मनीपुर में कितने कर्मचारी और गैर-कर्मचारी नागा आक्रमणकारियों द्वारा मार डाले गये ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक की अवधि के लिए नागालैंड के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :—

सुरक्षा बल के सदस्य	८
अन्य कर्मचारी	३
गैर-कर्मचारी	९

इस अवधि में मनीपुर में कोई भी कर्मचारी या गैर-कर्मचारी मारा नहीं गया।

(ख) आक्रमणकारियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल उस क्षेत्र को पूरी तरह ढूंढ लेते हैं और आक्रमणकारियों के अड्डों पर हमला करते हैं। आक्रमणकारियों द्वारा आक्रांत क्षेत्रों में गश्त लगायी जा रही है। जहां आवश्यक होता है, मृत व्यक्ति के वारिशों को सहायता दी जाती है।

पूर्व पाकिस्तान और असम सीमा

†३७८७. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान तथा असम सीमा के सम्बंध में भारत-पाकिस्तान सीमा समझौते के "ग्राउन्ड रूल्स" कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : असम-पूर्व पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी "ग्राउन्ड रूल्स" कार्यान्वित करने में जो प्रगति हुई है उसका ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]** प्रगति संतोषजनक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में खादी का उत्पादन

†३७८८. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में आन्ध्र प्रदेश में कितनी खादी तैयार की गयी ; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ में खादी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ६९.२८ लाख वर्ग गज ।

(ख) १०३.९२ लाख वर्ग गज ।

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के दक्षिण द्वार का भित्तिलेख

३७८९. **श्री क० भ० मालवीय :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्थ ब्लाक के दक्षिण द्वार पर अब भी ये शब्द खुदे हुए हैं कि "लिबर्टी विल नाट डिसेंड टू ए पीपल" ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे मिटाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क) हां ।

(ख) इस समय नहीं ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†३७९०. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक कारखाने पर प्रारम्भ से अद्यतन कुल कितना पूंजी व्यय हुआ है ;

(ख) कारखाने के (१) अधिकारियों और (२) उसकी स्थापना करने तथा उसको चलाने के लिए नियोजित कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) खाद (उर्वरक) के निर्माण के लिए सामग्री की खरीद में कुल कितना व्यय हुआ ;

(घ) अद्यतन कितने उर्वरक का उत्पादन हुआ है ; और

(ङ) वितरण अभिकरण को कितने उर्वरक का संभरण किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ४२.८५ करोड़ रुपये ।	३१-१२-१९६० तक
(ख) १२.७३ करोड़ रुपये ।*	
(ग) ३५.६५ करोड़ रुपये ।	

*"अधिकारियों" और "अन्य कर्मचारियों" के सम्बन्ध में वेतन और भत्तों के लेखे पृथक-पृथक नहीं रखे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ)

	३१-८-६१ तक का उत्पादन (मीट्रिक टन)	३१-८-६१ तक के प्रेषण (लाख टन)
एमोनियम सल्फेट	२,८६८,०८९	२,८१७,६००
यूरिया	२१,९७५	१६,८८४
डबल साल्ट	८४,२७४	७५,३७४

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर प्रतिबन्ध

†३७९१. **पंडित मु० बि० भार्गव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी नेकनीयत आवश्यकताओं के लिए अपनी अचल तथा चल सम्पत्ति बेचे जाने के संबंध में हाल में कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि इस प्रकार के मनमाने कदम से उन लोगों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार अल्पसंख्यकों की, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान में, कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ;

(घ) क्या पाकिस्तान सरकार पूर्व पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों को अपने साथ प्रतिव्यक्ति (वयस्क) ५० रुपये से अधिक राशि नहीं लाने देती है जो १९५० के नेहरू-लियाकत करार के पदों के विरुद्ध है और इससे ऐसे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार ने इन मनमाने कार्यों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की है ; और

(च) इस संबंध में भारत सरकार की क्या नीति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार को ऐसे किन्हीं नए प्रतिबन्धों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) से (च). हां, श्रीमान्। पाकिस्तान के पुनरीक्षित मुद्रा विनियमों के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले समस्त यात्रियों को अपने साथ केवल २० रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा लाने की अनुमति है। पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को पाकिस्तान लौटने पर ये २० रुपये पाकिस्तानी मुद्रा में वापस लाने पड़ते हैं। जहां तक भारतीय मुद्रा के धन का संबंध है भारत जाने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को विशेष कठिनाई के मामलों में तीन वर्ष में एक बार प्रति व्यक्ति ५० रुपये ले जाने की अनुमति दी जाती है। यह सुविधा पाकिस्तान के राज्य बैंक द्वारा सामान्यत : अल्पसंख्यकों को मंजूर नहीं की जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

अगस्त, १९५९ में मुख्य सचिवों के ३३वें सम्मेलन में इन कठिनाइयों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था और यह संकेत किया गया था कि पाकिस्तान के विनियमों में यह परिवर्तन १९५० के प्रधान मंत्री करार के उपबन्धों के विरुद्ध है। इसके उत्तर में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने यह कहा कि ये विनियम विदेश यात्रा करने वाले समस्त पाकिस्तानी राष्ट्रजनों पर लागू होते हैं और पाकिस्तानी राष्ट्रजन अपनी आवश्यकतानुसार भारतीय मुद्रा प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान के राज्य बैंक से परमिट ले सकता है। हमने उन्हें लिखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये पाकिस्तान के राज्य बैंक से ये परमिट प्राप्त करना संभव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक लाईसेंस

†३७९२. **श्री मं० वें० कृष्ण राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी उद्योग-पतियों को कितने लाईसेंस दिए गये हैं और वे कौन-कौन से उद्योगों के लिये मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) इन उद्योगों की स्थापना किन स्थानों में की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह :** (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश में १९६० और १९६१ में (जुलाई, १९६१ के अन्त तक) नए एककों की स्थापना, वर्तमान एककों के विस्तार और वर्तमान एककों में नई वस्तुओं के निर्माण के लिये ६७ लाईसेंस जारी किये गये हैं। इन उद्योगों के नामों तथा उन स्थानों, जहां इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है, के नामों से संबंधित सूचना "उद्योग व्यापार पत्रिका" और "भारतीय व्यापार पत्रिका" में प्रकाशित लाईसेंसों की आनुकालिक सूचियों में उपलब्ध है।

सिक्किम में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†३७९३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बहुत से कर्मचारी विकास कार्य के लिये सिक्किम में प्रतिनियुक्त किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतन, भत्ते आदि की शर्तों तथा निबन्धनों संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कितनी अवधि के लिये प्रतिनियुक्त किया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के कोई भी कर्मचारी सिक्किम में प्रतिनियुक्त नहीं हैं। परन्तु सिक्किम में विकास कार्य के लिय केन्द्रीय लोक कर्म डिवीजन अवश्य है। उन डिवीजनों में नियुक्त कर्मचारियों को संलग्न विवरण में दिऐ गये वेतन तथा भत्ते मिलते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]** सिक्किम में इन कर्मचारियों को सामान्यतः दो वर्ष रहना पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली

†३७९४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली में एक नया खादी ग्रामोद्योग भवन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन के लिये कनाट प्लेस, नई दिल्ली में एक नये भवन का निर्माण किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान्।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†३७९५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन में १९५६ से १९६१ तक के वर्षों में कुल कितने की बिक्री हुई और प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग राशि कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में सरकार को कितना लाभ हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नई दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन में १९५५-५६ से १९६०-६१ तक के वर्षों में हुई बिक्री के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	बिक्री	
	रुपये	नए पैसे
१९५५-५६	१६९५३७१	४४
१९५६-५७	२९८५४९६	६२
१९५७-५८	३६०८०९८	६८
१९५८-५९	३६०६००३	४८
१९५९-६०	४०८२९११	६५
१९६०-६१	४६६६०११	६३
योग	२०६४३८९३	५०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्यक वर्ष में हुआ लाभ निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभ	
	रुपये	नए पैसे
१९५५-५६	३२८७	२२
१९५६-५७	५६८३६	७८
१९५७-५८	४०५७१	०७
१९५८-५९	१८६५५	७२
१९५९-६०	२५४८५	४०
१९६०-६१	१८२३०	४५
योग	१६३०६६	६४

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान

†३७९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनके लिये मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). मंत्रालय को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

जिन कर्मचारियों को सरकारी स्थान की आवश्यकता होती है वे उसके लिये प्रार्थना-पत्र देते हैं और सरकारी स्थान की मांग का निर्धारण ऐसे प्रार्थनापत्रों के आधार पर किया जाता है। हमारा विचार अधिकारियों की ५० प्रतिशत मांग की पूर्ति करने का है और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की क्रमश : २५ और १० प्रतिशत। इस आधार पर ६७०० मकानों की आवश्यकता है। भूमि तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है और जारी रहेगा।

अफ़्रीका में नए मिशन

†३७९७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रधान मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीका में नए मिशन स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). डाकर (सेनेगल) और दार-एस-सलाम (टैंग्यानीका) में मिशन खोलने की व्यवस्था प्रायः पूर्ण हो चुकी है। सोमालिया, गायना, लिबेरिया और सायरा लिओन में भी अपने अन्यत्र स्थित प्रतिनिधियों को सहवर्ती मान्यता देकर राजनयिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया है। और देशों में सहवर्ती मान्यता देकर एवं मिशनों की स्थापना करके अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व का विस्तार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

बिजली के खंभों का आयात

†३७९८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम द्वारा बिजली के खम्भों के आयात के लिये परमिट अनुचित तरीकों से लिये जाने के बारे में जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). जांच पूरी हो चुकी है और प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ईरान के साथ व्यापार करार

†३७९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान के बीच नया व्यापार करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मदें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) २ मई, १९६१ को हुए भारत-ईरान व्यापार करार के मुख्य उपबन्धों का सारांश सम्बद्ध है। करार की एक प्रति संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८०]**

पाकिस्तान में हिन्दुओं के मूल अधिकार

†३८००. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों तथा उनकी सामान्य दशा की क्या स्थिति है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इन अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति तथा जनहानि के अपराधों की सूचना भारत सरकार को दी गई है; और

(ग) क्या १९६१ के गत छः महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं के प्रव्रजन में अधिकता आ गई है जबकि पिछले वर्ष इस अविधि में कम लोग भारत आये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को उन अर्थों में मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिन में कि भारत के संविधान में उनकी व्यवस्था है; क्योंकि उस देश में 'मार्शल लॉ' के अधीन प्रशासन हो रहा है और अब तक किसी संविधान की उद्घोषणा नहीं की गई है। अप्रैल १९५० में प्रधान मन्त्रियों के समझौते के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय को मूल अधिकारों की गारण्टी है परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया है।

(ख) जी हां।

(ग) १९६० की तुलना में जनवरी से जून १९६१ से भारत के प्रव्रजन प्रमाणपत्रों पर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ी है।

लाजपतराय मार्केट, दिल्ली में दूकानों का दिया जाना

३८०१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाजपतराय मार्केट के उन दूकानदारों को जिन्हें नई बनी पक्की दूकानें नहीं मिली हैं, पक्की दूकानें देने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) एसे दूकानदार जिन्हें अब तक दूकानें नहीं मिली क्या कुछ विशेष रियायत चाहते हैं;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) जिन दूकानदारों को पक्की दूकानें मिल गई हैं क्या उन्होंने भी कुछ और सुविधा चाही है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ग). लाजपत राय मार्केट के एक भाग में बनाई गयी पक्की दूकानें एलाट की जा चुकी हैं शेष भाग में दूकानें बनाने का कार्य रुका पड़ा है, है चूंकि उस स्थान पर बैठे हुए दूकानदार अपना कब्जा नहीं छोड़ते। ऐसी दशा में मार्केट के शेष भाग में दूकानों के बनाये जाने का काम कब पूर्ण होगा, अभी बताना सम्भव नहीं है।

(ख) जी हां, उनके पास जो खोखे हैं उनके किराये के बारे में।

(घ) जी हां। वे चाहते हैं कि मार्केट के प्रवश द्वारों के रास्तों से खोखे वालों को हटा दिया जाय और उनमें से कुछ, विशेष कर हलवाई, किराये में कमी चाहते हैं।

केरल में त्रावनकोर रेयन कारखाना

†३८०२. **श्री नारायणन् कुट्टी मेनन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रावनकोर रेयन कारखाने का विस्तार करने के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) क्या 'रेयन ग्रेड पल्प' बनाने के लिये एक संयंत्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) केरल में मैसर्स त्रावनकोर रेयन समेत दो योजनाओं को रेयन ग्रेड पल्प बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं।

बिहार में खादी का उत्पादन

†३८०३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में बिहार में खादी के उत्पादन में क्या तथ्य निर्धारित किये गये हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १,५९,७८,१५४ वर्गगज।

कुल्टी में इस्पात कर्मचारियों के लिये मकान

†३८०४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री २३ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के कुल्टी (आसनसोल) के कारखाने के इस्पात कर्मचारियों तथा इस क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास कार्यक्रम के अधीन अब तक कितने मकान बनाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि १९५७ में कुल्टी इस्पात कर्मचारियों के मकानों के लिये उचित भूमि का चुनाव आवास निदेशालय ने कर लिया था, और यदि हां, तो मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया; और

(ग) काम अब आरम्भ हो जाने की आशा है?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन कुल्टी में मकान बनाने की किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। परन्तु बताया गया है कि योजना के अन्दर ग्राह्य वित्तीय सहायता का उपयोग किए बिना उन्होंने औद्योगिक कर्मचारियों के लिए कुल्टी में १६२८ मकान बनाये हैं।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि योजना के अधीन कुल्टी में मकान बनाने के लिये भूमि का चुनाव कर लिया गया है परन्तु जल सम्भरण की व्यवस्था न होने के कारण परियोजना पर काम आरम्भ नहीं किया जा सका। जल सम्भरण की सुविधा मिलने पर उचित स्थान पर कुल्टी योजना के अधीन मकान बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार करेगी।

अल्पकालिक सामाजिक पाठ्यक्रम के लिये चुने गये व्यक्ति

३८०५. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के ५० के पैरा ४ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ३० पदाधिकारी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अल्पकालिक सामाजिक पाठ्यक्रम के लिये चुने गये थे, उनमे से कितने ऐसे हैं जिन्हें श्रम संबंधी मामलों का अनुभव नहीं था?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा

३८०६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी के लिए बनाई गई भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश के हाल ही में बनाए गए तीन सीमावर्ती जिलों पर भी लागू होगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के जिलों सहित नए सीमावर्ती जिलों का निर्माण करते समय यह इरादा था किन जिलों में डिप्टी कमिश्नरों और सब-डिविजनल अफ़सरों की जगह भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा (इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रटिव सर्विस) के अफ़सरों द्वारा भरी जायगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में इन जगहों पर अपने अफ़सर नियुक्त कर दिए हैं ।

पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ व्यापार

†३८०७. **श्री खिमजी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यपार निगम नें पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ संबद्ध व्यापार (लिंक्ड ट्रेड) के सिद्धान्त को मान लिया है ;

(ख) यदि हां तो विभिन्न विदेशों के साथ की गई 'लिंक' व्यवस्था के ब्यौरे क्या हैं तथा मद कौन कौन सी हैं और यह व्यवस्था कितने धन की की गई है; और

(ग) क्या अन्त में यह व्यवस्था देश के हित में होगी ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). राज्य व्यपार निगम नें कुछ व्यपारिक संगठनों के साथ एक व्यवस्था की है जिसका उद्देश्य यह है कि कठिनाई से बिकने वाली कुछ वस्तुओं का पश्चिम यूरोप में बाजार बनाया जाये और उनके बदले में आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाय। इस कारण यह व्यवस्था देश के हित मे है।

राज्य व्यापार निगम तथा गैर सरकारी व्यपार संगठनों के साथ की गई इस गैर सरकारी व्यवस्था के ब्यौरे बताना उचित नहीं होगा ।

मजूरी गणना

३८०८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री अपने मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ २८ के पैरा ५ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय मजूरी गणना का जो कार्य मार्च, १९६१ में समाप्त होने वाला था वह क्या इस बीच पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो रिपोर्ट तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) और (ख). सब में उद्योगों की वेंतन जांच संबंधी रिपोर्ट की तालिका और विश्लेषण का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हड़तालें

३८०९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े-बड़े बन्दरगाहों, रेलों, कोयला खानों और बैंकों में अब तक हुई इस साल की हड़तालों की अलग-अलग संख्या क्या हैं; और

(ख) यह संख्या पिछले साल इसी अवधि में हुई हड़तालों की संख्या की तुलना में कैसी है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख).

हड़ताल	१-१-६१ से ३०-६-६१ तक	१-१-६० से ३०-६-६१ तक
बड़े-बड़े बन्दरगाहों में	२३	२२
रेलों में .	—	२
कोयला खानों में	२८	३७
बैंकों में	१	१२२

काश्मीर

†३८१०. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महारानी एलिजाबेथ के दौरे के अवसर पर "पिटकिन्स पिक्टोरिल लिमिटेड, लन्दन" द्वारा प्रकाशित "पिक्टोरिल सर्वे आफ दि रायल टूअर आफ इण्डिया-पाकिस्तान" पुस्तिका में भारत के नक्शे में काश्मीर नहीं दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). सरकार ने मामले को ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त को भेज दिया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में दुकानों के काम के घंटे

†३८११. **श्री प्र० गं० देव :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :

क्या **श्रम और रोगगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड चैम्बर आफ ट्रेड एसोसियेशन दिल्ली ने दूकानों के काम के घंटों में कमी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

मिनसर गांव

३८१२. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** ५ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत के गांव मिनसर की क्या स्थिति है जिस पर १९५० तक भारत की सार्वभौम सत्ता थी और वह जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सीमा से कितनी दूरी पर है ;

(ख) इस गांव पर भारत की सार्वभौम सत्ता होने की सूचना भारत सरकार को कब मिली; और

(ग) इस सम्बन्ध में चीन सरकार को प्रथम विरोध-पत्र कब भेजा गया ?

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) मिनसर लद्दाख सीमा से लगभग १३० मील दूर गंगताक और मान सरोवर के काफ़ला मार्ग पर स्थित है ।

(ख) भारत सरकार को इस गांव पर अपनी प्रभुसत्ता की सदा से जानकारी रही है ।

(ग) सबसे पहला विरोध उस अनौपचारिक नोट में प्रकट किया गया था जो विदेश सचिव ने चीन के सहायक विदेश मन्त्री को २५ अप्रैल, १९६० को दिया था (भारत-चीन सम्बन्ध पर श्वेत पत्र—४ का पृष्ठ १०२) ; इसकी प्रति सदन की मेज पर पहले ही रख दी गई है ।

सीमेंट का उत्पादन तथा उसके मूल्य

†३८१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्यत था उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग सीमेंट के उत्पादन तथा उसके मूल्य के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने विचार कर लिया है और प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) आयोग की उपपत्तियां तथा सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री श्री मनभाई शाह**) : (क) से (ग). प्रशुल्क आयोग ने सीमेंट उद्योग पर विचार कर लिया है तथा सरकार उसके प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

रुई का आयात

†३८१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन अमरीकी रूई के सम्भरण का कुछ कोटा १ जुलाई, १९६१ को व्यपगत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो इसको व्यपगत होने से किस प्रकार बचाया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) कपड़ा आयुक्त द्वारा बनाई गई लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि अमरीकी पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन जारी किये गये 'क्रय प्राधिकरण' के धन का पूरा उपयोग किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईरान को भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल

†३८१५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्रायह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही एक भारतीय व्यापार शिष्ट मण्डल रुपये के भुगतान पर ईरान से तेल का आयात करने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये वहां गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). अप्रैल १९६१ में भारतीय व्यापार शिष्टमण्डल व्यापार समझौते के बारे में बातचीत करने के लिये ईरान गया था। बातचीत के दौरान में रुपये के भुगतान के आधार पर ईरान से तेल आयात करने की सम्भावनाओं पर भी बातचीत हुई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई समझौता न होने के कारण मई १९६१ में ईरान से किये गये व्यापार समझौते में इस विषय को नहीं रखा गया था।

आसाम के हेलाकांडी जिले में पुनर्वास

†३८१६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के हेलाकांडी जिले में शरणार्थी बसाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और पुनर्वास मन्त्रालय की सहायता से उनमें से कितनों का पुनर्वास किया जा चुका है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी, हां।

(ख) पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत ४,०३४ परिवारों को पुनर्वास सहायता दी गई है। फरवरी, १९६१ तक दिये गये ऋणों की कुल राशि ४४,२५,००० रुपये थी।

संयुक्त राष्ट्र-संघ और उसकी संस्थाओं को भारत का अंशदान

३८१७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेन्सियों को १९५९ से अब तक प्रति वर्ष कितना अंशदान दिया है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरु :** १९५९, १९६० और १९६१ के सालों के लिए भारत के वार्षिक अंशदानों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८१]**

नेपाल में भारतीय सहायता मिशन

†३८१८. **श्री कालिका सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में भारतीय सहायता मिशन ने क्या सफलतायें प्राप्त कीं;

(ख) भारतीय सहायता मिशन में कितने कर्मचारी हैं और उसका क्या गठन है; और

(ग) मिशन का गठन किस प्रयोजन विशेष के लिये किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय सहायता मिशन नेपाल में पिछले नौ वर्षों से काम कर रहा है। अभी तक विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं—जैसे छोटी सिंचाई परियोजनायें, सड़कें, हवाई अड्डे, जल-संभरण, ग्राम विकास, प्रसूति और शिशु-कल्याण, शिक्षा, कृषि, वन, उद्यानिकी, जल-विद्युतीय परियोजनायें, इत्यादि—पर लगभग ११ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। अभी तक लगभग १०० परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया है, जिन में से ये २५ पूरी हो चुकी हैं—त्रिभुवन राजपथ, गौचर हवाई अड्डा, रेलवे सर्वेक्षण, ७ सिंचाई योजनायें और १५ जल-संभरण योजनायें। अन्य परियोजनाओं का निर्माण अभी चल रहा है।

(ख) भारतीय सहायता मिशन का प्रधान एक निदेशक है, जिसकी सहायता के लिये १० सलाहकार हैं। उनके अतिरिक्त, लगभग ३०० भारतीय टेकनीशियन और अन्य कार्यकर्त्ता हैं। उन में से १०६ इंजीनियर हैं। ग्राम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, इंजीनियरिंग स्कूल और वनीय प्रतिष्ठान के लिये भारतीय शिक्षक रखे गये हैं। विश्वविद्यालय में ६ भारतीय प्राध्यापक और १५ लेक्चरार हैं।

(ग) भारतीय सहायता मिशन का गठन नेपाल को आर्थिक और प्राविधिक सहायता देने के प्रयोजन से किया गया था।

अमरीका को फैरो-मैंगनीज़ का निर्यात

†३८१९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पी० एल० ४८० के अन्तर्गत हुए माल के आदान-प्रदान के सौदे में अमरीका को फैरो-मैंगनीज़ का सम्भरण किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी मात्रा का सम्भरण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि माल के आदान-प्रदान के इस सौदे के अन्तर्गत अमरीका को फैरो-मैंगनीज़ का सम्भरण करने में राज्य-व्यापार निगम को ८ करोड़ रुपये का घाटा हुआ; और

(घ) अमरीका को फैरो-मैंगनीज़ पहुंचाने में कुल कितना विलम्ब शुल्क और तट-भरण-प्रभार अदा किया गया?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) भारत की ओर से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत नहीं, बल्कि अमरीका के कृषि व्यापार विकास तथा सहायता अधिनियम के शीर्षक ३ के अन्तर्गत हुए भारत-अमरीका करार के अनुसार ही फैरो-मैंगनीज़ का सम्भरण हो रहा है।

(ख) लगभग ८२,८७७ टन।

(ग) जी नहीं।

(घ) माल के आदान-प्रदान के सौदे में अमरीका क [illegible] ये भारत को कोई भी बिलम्ब-शुल्क नहीं देना पड़ा। हां, अभी तक तट-भरण-प्रभार की मद में कुल ६४,६५९ रुपये की अदायगी की गई है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में सस्ते कपड़े की दूकानें

†३८२०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी एक अर्से से अपनी बस्तियों में सस्ते कपड़े की दूकानें खुलवाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस सही मांग की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, भारतीय सूती कपड़ा मिल फैडरेशन द्वारा तैयार की गई सूती कपड़े के मूल्य-विनियमन की योजना के अन्तर्गत कई मिलों ने देश के कई भागों में, दिल्ली में भी, खुदरा बिक्री की दूकानें खोली हैं जहां खरीदारों को मुद्रांकित मूल्य पर ही कपड़ा मिलता है ।

नेहरू लियाकत समझौता

३८२१. **श्री बाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के मामलों की देख-रेख के लिए जो कार्यालय खोला था, उसे बन्द कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत समझौते की समाप्ति का सुझाव रखा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पाकिस्तान स्थित हिन्दू अल्पसंख्यकों की हित-रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां । पाकिस्तान सरकार ने इकतरफा तौर पर ढाका में अपना कार्यालय बन्द कर दिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) १९५० का प्रधान मंत्रियों का करार लागू है और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान किये जाने और उनकी अन्य कठिनाइयों के मामलों पर इस करार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत राजनयिक सूत्रों के ज़रिये पाकिस्तान सरकार के साथ लिखा-पढ़ी हो रही है ।

खेतिहार मजदूरों के लिये भूमि

†३८२२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त भूमि-सुधार सम्बन्धी विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की है कि खेतिहर मजदूरों के प्रत्येक परिवार को करीब $^1/_4$ एकड़ भूमि दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अनुमोदन किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या तृतीय योजना में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) तृतीय योजना काल में उड़ीसा में खेतिहर मजदूरों के कितने परिवारों के लिये ऐसी भूमि की व्यवस्था की जायेगी; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की ओर से कोई उत्तर मिला है ?

†**योजना उप-मंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). तृतीय पंच वर्षीय योजना के अध्याय २३ के पैरा ७ और १० की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) यह सूचना सुलभ नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

जम्मू तथा कश्मीर में आयात-निर्यात नीति

†३८२३. **डा० क० ब० मेनन :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर की आयात-निर्यात नीति और शेष भारत की आयात-निर्यात नीति में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). आयात-निर्यात नीतियां जम्मू तथा काश्मीर और शेष भारत पर समान रूप से लागू होती हैं। लेकिन जम्मू तथा कश्मीर के पुराने आयातकों को इस समय, अस्थायी तौर पर, उनके अभ्यंश से ५० प्रतिशत अधिक आयात करने की अनुमति दे दी गई है, केवल उन वस्तुओं के आयात के मामले में जिनके आयात पर प्रतिबन्ध नहीं है।

कहवा बोर्ड के कर्मचारी

†३८२४. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहवा-बोर्ड ने अपने यहां के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण की कोई योजना पेश की है;

(ख) क्या विक्रय का काम करने वाले और प्रचार सम्बन्धी काम करने वाले कर्मचारियों के समान श्रेणीकरण की सूची बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस सिफारिश का आधार वेतन का वर्तमान निर्धारण है अथवा बोर्ड में सेवा-काल; और

(घ) क्या बड़े-बड़े शहरों में कुछ कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था की जायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). कहवा बोर्ड ने सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय कर लिया है कि विक्रय का काम करने वाले और प्रचार सम्बन्धी काम करने वाले कर्मचारियों के लिये समान श्रेणीकरण सूची तैयार की जानी चाहिये। प्रस्तावित समान श्रेणीकरण सूची में वरिष्ठता निश्चित करने का आधार अभी तक निश्चित नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

प्रेस बटनों की स्प्रिगों के लिये आयात-अनुज्ञप्तियां

†३८२५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स दिल्ली स्मॉल-स्केल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को वर्ष १९६० के दौरान प्रेस बटनों की स्प्रिगों के लिये दी गई आयात-अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में सरकार को कुछ प्रतिनिधान मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रतिनिधानों के सम्बन्ध में उन्होंने कोई वचन दिया है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का;

(घ) क्या उसे पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां। मेसर्स 'ग्लोब मैटिल इंडस्ट्रीज़,' नई दिल्ली और 'मेसर्ज़ विशम्भर दास एण्ड सन्स', नई दिल्ली की ओर से प्रतिनिधान आये थे, जिनमें अनुरोध किया गया था कि 'दिल्ली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा को दिल्ली में इस प्रकार की तीनों फैक्टरियों के बीच समानरूप से वितरित किया जाना चाहिये, क्योंकि उन तीनों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ही मशीनें मिली हैं और उनको उत्पादन शुरू करने से प्रारम्भिक कठिनाई महसूस हो रही है।

(ख) और (ग). आयात की जाने वाली मात्रा में से इन दोनों फर्मों में से प्रत्यक को ८८४१ ग्रैट ग्रौज़स्प्रिगें आवंटित की गई थीं। दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से अनुरोध किया गया था कि वह उन दोनों फर्मों को आवंटित मात्रा दे दें और उन दोनों फर्मों से कहा गया था कि वे उसके मूल्य की अदायगी के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ७९,५६९ रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेज दें।

(घ) और (ङ). चूंकि 'दिल्ली स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड' ने आयात की गई स्प्रिगों की पूरी मात्रा का स्वयं ही उपयोग कर लिया था, इसीलिये निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को उन दोनों फर्मों को आवंटित मात्रा का फिर से आयात करना चाहिये और वह उन को दे देनी चाहिये। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम उसके सम्भरण के लिये, दोनों फर्मों से बैंक की गारंटी मिलने पर, विदेशी सम्भरणकर्त्ताओं को आर्डर भेजेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस बटनों की स्प्रिंगों[1] का आयात

†३८२६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक फर्म को एक निषिद्ध वस्तु, अर्थात् प्रेस बटनों को स्प्रिंगों (स्प्रिंग पार्ट्स) का आयात, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा अक्तूबर से मार्च १९६० तक की अवधि में करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत और कितनी मात्रा में आयात करने की अनुमति दी गई थी ;

(ग) उनको अधिक मात्रा में आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या उस फर्म के द्वारा स्थापित मशीनों की बढ़ी हुई क्षमता के आधार पर अनुज्ञा दी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

१·२८ लाख रुपये की छोटी लागत का आयात लाइसेंस अक्तूबर १९५९—मार्च १९६० के अर्ध वर्ष में दिल्ली की एक फर्म के लिये प्रेस बटनों के स्प्रिंग पार्ट्स का आयात करने के हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को दिया गया था यद्यपि साधारणतया प्रेस बटन निर्माताओं को प्रेस बटनों के स्प्रिंग पार्ट्स आयात करने नहीं दिया जाता । तथापि इस तथ्य के कारण कि कुछ मशीनें, जो दिल्ली की फर्म ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा पश्चिम जर्मनी से खरीदी थीं, नुक्स वाली पायी गईं और तुरन्त चलाई नहीं जा सकती थीं, इसलिये शीघ्र उत्पादन आरंभ करने के लिये सुविधा करने के लिये ऐसा किया गया । यह लाइसेंस तदर्थ था । ज्यों ही मशीनों ने नियमत उत्पादन आरंभ कर दिया, स्प्रिंग पार्ट्स के लिये और लाइसेंस नहीं दिया गया ।

उपरोक्त लाइसेंस की लागत बाद में, मशीनों की निर्माण क्षमता का वास्तव अनुमान लगाने पर दिल्ली की फर्म की अर्ध वार्षिक आवश्यकता से कुछ अधिक पाई गई । इन का आयात निगम के द्वारा किया गया ताकि फर्म अनुचित लाभ न उठा सके ।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर

†३८२७. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तत्समय के प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर के अधीन काम करने वाले श्रम निरीक्षकों ने हाल में ही गोरखपुर, कानपुर, झांसी में एम० ई० एस० ठेकेदारों मैसर्स बंकेले ऐंड डेकेले के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अफसरों ने अपने निरीक्षण में अनेक अनियमितताएं पकड़ीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन अफसरों ने उन अनियमितताओं की सूचना उस समय के प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर को दी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली को अभियोग के लिये मामला सौंपे बिना ही मामले समाप्त कर दिये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Spring Parts.

(ङ) क्या श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) अभियोग ने मामलों को ठप्प कराने में श्री बसु की सहायता की ; और

(च) सरकार तब के श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) और श्रम प्रादेशिक आयुक्त, कानपुर के विरुद्ध इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हाल ही में श्रम निरीक्षक ने बैंकेले ऐंड डेंकेले नाम के किसी प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं किया ।

(ख) से (च). सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर

†३८२८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री बसु, उस समय के प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर को बरेली के एक व्यापारी ने टीक की लकड़ी की दो अलमारियां भेंट कीं जब वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ठेकेदार के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने वहां गया ;

(ख) क्या इन अलमारियों की कीमत एक चैक के द्वारा चुकाई गई ;

(ग) क्या यह सच है कि इस व्यापारी ने जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० का ठेकेदार था, चैक नहीं भुनवाया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये अलमारियां चपरासी के द्वारा कानपुर में दी गईं ; और

(ङ) क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करवाने का विचार करती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) श्री बसु ने १०-१-५९ को बरेली की एक दुकान से दो छोटी लाईवुड की कैबनट खरीदी थीं। उसने तब किसी सी०पी०डब्ल्यू० डी० प्रतिष्ठान का निरीक्षण नहीं किया ।

(ख) सूचना मिली है कि कीमतं नकद दी गई ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

(क) कानपुर में श्री बसु की अनुपस्थिति में कैबनट उसके घरेलू नौकर द्वारा एक चपरासी की सहायता से छड़ाई गई ।

(ङ) जी नहीं ।

जयपुर हाउस, नई दिल्ली के तबेलों का किराया

†३८२९. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री बं० च० मलिक :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है क चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें जयपुर हाउस, नई दिल्ली के तबेलों में सरकारी आवास आवंटित किया गया था, १ जनवरी, १९६१ से बढ़ा हुआ किराया देने को कहा गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह वृद्धि सरकार के उस घोषित फैसले की भावना के विरुद्ध है जिसमें उन कर्मचारियों से जिनका वेतन १५० रुपये से अधिक नहीं है, उनके मूल वेतन का साढ़े सात प्रतिशत की दर से मकान किराया लेने को कहा गया था ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ;

(ङ) क्या यह सच है कि मकान किराये में वृद्धि के निर्णय के बारे में जयपुर हाउस के तबेलों के निवासियों को पहले से सूचना नहीं दी गयी थी ;

(च) क्या यह सच है कि जयपुर हाउस तबेलों के कुछ निवासियों ने किराये में ३०० प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप अपने क्वार्टर छोड़ दिये हैं ;

(छ) क्या यह भी सच है कि सरकार अब भी उन व्यक्तियों से मकान किराया वसूल कर रही है यद्यपि उन्होंने अपने क्वार्टर छोड़ दिये हैं ; और

(ज) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ताकि जयपुर हाउस के तबेलों में आवास स्थान दिये ग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ज). राजस्थान सरकार को देय प्रतिकर की राशि में वृद्धि के आधार पर जयपुर हाउस, नई दिल्ली से सम्बद्ध बहिर्ग्रहों और तबेलों के एफ० आर० ४५-क और एफ० आर० ४५-ख के अधीन निर्धारित किये गये स्टेन्डर्ड किराये में भूतलक्षी प्रभाव से परिवर्तन किया गया । कुछ परिवर्द्धनों और परिवर्तनों पर किये गये व्यय के कारण निवासियों से कुछ अतिरिक्त किराया भी मांगा गया । अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस मामले पर पुनः विचार किया गया और अब यह निर्णय किया गया है कि निवासियों से परिवर्द्धनों और परिवर्तनों के कारण कोई पृथक अतिरिक्त किराया न लिया जाये । 'स्टेन्डर्ड' किराये में, केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग द्वारा परिवर्द्धनों और परिवर्तनों पर किये गये व्यय और राजस्थान सरकार को देय प्रतिकर की दर में वृद्धि के आधार पर परिवर्तन किया जायेगा । इस प्रकार पुनरीक्षित किराये १ फरवरी, १६६० से लागू होंगे । उन निवासियों के मामले में जो एफ०आर०४५-क के अधीन किराया दे रहे हैं, वसूली उनके वेतन के १० प्रतिशत तक सीमित होगी (१५० रुपये प्रतिमास से कम लेने वाले पदाधिकारियों से ७ १/२ प्रतिशत) । किराये में वृद्धि के बाद केवल तीन पदाधिकारियों ने अपने निवास स्थान छोड़े परन्तु खाली करने की तिथि के बाद से उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता । जब तक उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में 'स्टेन्डर्ड' किराये का पुनर्निर्धारण नहीं हो जाता, एस्टेट निदेशालय से वहां के निवासियों से वही किराया वसूल करने को कहा गया है जो १ जनवरी, १६६१ से पूर्व लागू था ।

ब्रिटेन में भारतीय अध्यापकों के साथ भेदभाव

†३८३०. **श्री आसर :**
श्री मो० ब० ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अध्यापकों की भर्ती के मामले में ब्रिटेन सरकार के भेदभाव पूर्ण रवैय्ये के बारे में समाचार पढ़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जावेगी ।

(घ) लन्दन स्थित अपने उच्चायुक्त से जानकारी प्राप्त होने के बाद भारत सरकार उचित कार्यवाही करेगी ।

छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण प्रत्याभूति

†३८३१. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मनीपुर और त्रिपुरा के संघ-राज्य-क्षेत्रों में ऋण प्रत्याभूति योजना सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अभी ऋण प्रत्याभूति योजना मनीपुर और त्रिपुरा के संघ-राज्य-क्षेत्रों में लागू नहीं की गयी है ।

पाकिस्तान को त्रिपुरा के क्षेत्र का हस्तांतरण

†३८३२. **श्री दशरथ देब** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू-नून समझौते के फलस्वरूप पाकिस्तान को त्रिपुरा में लक्ष्मीपुर क्षेत्र के हस्तांतरण के कारण विस्थापित हुए परिवारों को कोई अन्य भूमि दी गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ प्रभावित परिवारों ने लक्ष्मीपुर के समीप त्रिपुरा में अपनी इच्छा से खास भूमि का कृष्यकरण किया है, जो भारतीय प्रदेश में है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा सरकार ने उनको उस भूमि को खाली करने के नोटिस दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनको खाली कराने के नोटिस दिये जाने और अभी तक अन्य भूमि न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (घ). भारत सरकार को लक्ष्मीपुर क्षेत्र में जनता के विस्थापित होने की कुछ खबर नहीं है । त्रिपुरा प्रशासन से अपेक्षित जानकारी देने का अनुरोध किया गया है, जो प्रतीक्षित है ।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर

†३८३३. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल-जून, १९५९ में कानपुर में भारत सरकार के तत्कालीन प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने अपनी बहन का अपनी पत्नी के नाम से इलाज करवाया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा उस डाक्टर द्वारा करायी गयी जो अधिकृत चिकित्सक से दो श्रेणी नीचे की श्रेणी का था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चिकित्सा बिल पर उस डाक्टर ने हस्ताक्षर किये थे जिसको भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों की चिकित्सा करने का अधिकार नहीं था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त ने कोई आपत्ति नहीं उठाई और बिल पास कर दिया ; और

(ङ) इस अनियमितता के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मिचलिन टायरों का आयात

†३८३४. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्ज़ आटो सप्लाई कम्पनी, दिल्ली मिचलिन टायरों के सोल आयातकर्ता हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्य आयातकों के क्या नाम हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). मिचलिन टायरों का आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में अथवा भारतीय सीमा-शुल्क भाड़ा में पृथक मद के तौर पर वर्गीकरण नहीं किया गया है । अतः ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, यह समझा जाता है कि मेसर्ज़ आटो सप्लाई कम्पनी, दिल्ली केवल उत्तर भारत के लिये मिचलिन टायरों के एजेन्ट हैं और सारे देश के लिये नहीं ।

समाचारपत्र रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट

†३८३५. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में अब तक 'एक्सप्रेस' दल के समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : वर्ष १९६०–६१ में ९५७५·८६ मीटरिक टन और वर्ष १९६१–६२ में (१२ महीनों की आवश्यकता के लिये) १२,२४२·७२ मीटरिक टन

उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) में रेडियो स्टेशन

†३८३६. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीमान्त डिवीज़न में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इन सीमान्त क्षेत्रों में लोगों की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). उत्तराखंड में एक नया केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी एक मीडियम वेव स्टेशन स्थापित करने में प्रविधिक कठिनाइयां हैं। तथापि इस बात के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में दिल्ली और लखनऊ से सन्तोषजनक रूप से कार्यक्रम प्रसारित किये जायें। रामपुर के समीप एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है जो लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा और जिसमें यह क्षेत्र शामिल होगा।

इस क्षेत्र से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में आकाशवाणी के प्राडक्शन यूनिट लोक-गीतों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रिकार्ड तैयार करने के लिये इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

छोटे पैमाने के उद्योग

†३८३७. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये क्रमशः कितनी कितनी राशि के औद्योगिक ऋण देने का प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : तृतीय योजना-काल में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित ऋण की कुल धन राशि और इन उपबन्धों में से पहाड़ी क्षेत्रों के लिये निर्धारित की गयी राशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

राज्य	प्रस्तावित औद्योगिक ऋण	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये निर्धारित पृथक औद्योगिक ऋण
उत्तर प्रदेश	३९८·००	३८·३५
पंजाब	३३९·३०	२७·१७
पश्चिम बंगाल	१२६·००	५·००
हिमाचल प्रदेश	१२·००	१२·००

तिब्बत के साथ व्यापार

३८३८. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत के साथ व्यापार की इस समय क्या स्थिति है और १९५४ की सन्धि के समय की स्थिति की तुलना में यह कैसी है ;

(ख) कितने भारतीय व्यापारी तिब्बत के साथ ऊन के व्यापार पर निर्भर थे ; और

(ग) उनकी सहायता के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५४ के साल के मुकाबले में, जब कि भारत-चीन क़रार सम्पन्न हुआ था, भारत-तिब्बत व्यापार की वर्तमान स्थिति (१९६०) इस प्रकार है :

(मूल्य हजार रुपयों में)

वर्ष	भारत में आयात	भारत से निर्यात	कुल
१९५४	१,२३,६०	२,३२,६९	३,५६,२९
१९६०	३९,६१	१९,८७	५९,४८

(ख) तिब्बत के साथ ऊन के व्यापार पर निर्भर करने वाले भारत के व्यापारियों की ठीक संख्या मालूम नहीं है, फिर भी ऊन ही व्यापार का मुख्य आधार था। दूसरे शब्दों में, भारत के लगभग सभी व्यापारी मुख्यतया तिब्बती ऊन में ही रुचि रखते थे।

(ग) भारत सरकार भारतीय व्यापारियों को सभी संभव सुविधायें देती रही है ताकि वे तिब्बत के साथ अपने परम्परागत व्यापारिक सम्पर्क बनाये रख सकें। तिब्बत स्थित भारतीय मिशन भी हमारे व्यापारियों को यथासंभव सहायता देते हैं। इस बीच, गिरते हुए व्यापार और उस पर चीनी अधिकारियों के कठोर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए (और यह विशेषकर ऊन पर लागू होता है), सम्बद्ध राज्य सरकारों ने कई विकास योजनायें शुरू की हैं जिनका उद्देश्य सीमान्त क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना है ताकि उससे विशेषकर हमारे उन व्यापारियों की कठिनाइयां दूर करने में सहायता दी जा सके जो अपने जीवन-निर्वाह के लिए तिब्बत के साथ परम्परागत व्यापार पर निर्भर नहीं कर सकते।

विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन का सर्वेक्षण

†३८३९. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय सरकार अभिकरण द्वारा विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इस अभिकरण का क्या नाम है ;

(ग) यह सर्वेक्षण पूरा करने में इसको कितना समय लगा ; और

(घ) सर्वेक्षण करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय।

(ग) यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किये जाने वाले वार्षिक कार्यों का एक भाग है और यह फसली वर्ष में पूरा हो जाता है।

(घ) तरीका कहीं भी कोई सा प्लाट चुनना और वहां पर फसल काटने का प्रयोग करना है। इस प्रकार काटी गयी फसल को तोला जाता है ताकि प्रति एकड़ उत्पादन का पता लगाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूलों के अध्यापकों को क्वार्टर दिया जाना

†३८४०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी बस्तियों में स्कूलों के अध्यापकों को कितने क्वार्टर अब तक दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक बस्ती में इन स्कूलों के अध्यापकों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार क्वार्टरों को नियत करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) राजसम्पत्ति निदेशालय में नियतन (ऐलौटमेंट) के अभिलेख सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के प्रकार के अनुसार नहीं रखे जाते। इस जानकारी को एकत्रित करने के लिए अपेक्षित समय और श्रम इससे उपलब्ध होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गीता कालोनी

३८४१. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमुना पार गीता कालोनी आदि बहुत सी पुनर्वास की बस्तियों का जमीन का स्तर जमुना नदी के स्तर से नीचा है जिसके परिणामस्वरूप उनमें बरसात के दिनों में पानी फैल जाता है ; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) जी, नहीं। जमुना का सामान्य स्तर ६५६·०७ आर० एल० है जबकि इन बस्तियों का स्तर ६६४ से ६६८ आर० एल० के अन्तर्गत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केशोराम काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता

†३८४२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केशोराम काटन मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंधकों ने श्रमिक भविष्य निधि का कार्य-भार निर्वाचित न्यासी बोर्ड को नहीं सौंपा है ;

(ख) क्या उस समवाय के प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिंग एजेंट) बिड़ला ब्रादर्स हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यासी बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) के चुनावों की वैधता को माना है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) न्यासी बोर्ड के अधिकारियों को प्रबन्धकों द्वारा मान्यता दिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं का पालन करने की व्यवस्था की जा रही है ।

कांगड़ा घाटी में चाय

†३८४३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांगड़ा घाटी में चाय का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). पंजाब सरकार ने कांगड़ा घाटी के लिये उपयुक्त चाय उत्पादन में अच्छे वैज्ञानिक तरीके निकलने के लिये अनुसंधान की एक योजना तैयार की है और वह चाय बोर्ड के विचाराधीन है ।

कपड़ा मिलें

†३८४४. **श्री कै० प० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों की संख्या समेत, जो अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं, उन कपड़ा मिलों की क्या संख्या है जिनमें काम नहीं हो रहा है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले दो वर्षों में विभिन्न कपड़ा मिलों को उनकी क्षमता के विस्तार के लिये कितनी धन राशि का ऋण दिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अब १७ मिलें पूर्णतः बन्द हैं । जहां तक उन मिलों की संख्या का संबंध है, जो अपनी पूरी क्षमता पर कार्य नहीं कर रही हैं, ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बन्द होने के मुख्य कारण वित्तीय कठिनाई, मिल का अलाभप्रद और अकुशल कार्यकरण और मशीनों की खराबी है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा सूती कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के जरिये दी जाती है । ये ऋण मिल को पुनः चलाने और इसके आधुनिकीकरण के लिये दिये जाते हैं और मिल की क्षमता बढ़ाने के लिये नहीं । १ अगस्त, १९५८ को निगम ने १४·२२ करोड़ रुपये के दीर्घ-कालीन ऋण मंजूर किये हुए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परामर्शदाता इंजीनियरिंग सार्थ

†३८४६. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से परामर्शदाता इंजीनियरिंग सार्थ स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, हां । भारत में परामर्शदाता इंजीनियरिंग सार्थ स्थापित करने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे सब सरकार के विचाराधीन हैं ?

क्वार्टरों का आवंटन

†३८४७. { श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम सेवक यादव :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि सरकारी कर्मचारियों को उस श्रेणी के क्वार्टर दिये जायें जिसके लिये वे हकदार हैं और सभी पदाधिकारी अपने वेतन के अनुसार किराया दें ताकि सरकार को किराये को कोई हानि न हो ;

(ख) यदि हां, तो १००० से १२९९ रुपये तक वेतन पाने वाले ऐसे पदाधिकारियों की क्या संख्या है जो 'एफ' और 'जी' श्रेणी के क्वार्टरों में रह रहे हैं जो कि २०-८-१९६१ को १०० रुपये से लेकर २५० रुपये तक वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं ;

(ग) क्या ये पदाधिकारी इन क्वार्टरों का 'स्टेन्डर्ड' किराया दे रहे हैं जो कि उनकी अपनी श्रेणी के क्वार्टरों के किराये से बहुत कम है ;

(घ) क्या सरकार उन पदाधिकारियों को, जो अपनी श्रेणी से चार श्रेणियां नीचे के क्वार्टरों में रहते हैं, उनकी प्राथमिकता के अनुसार कम से कम 'डी २' श्रेणी के क्वार्टर (स्थायी अथवा विशेष) देने पर विचार करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को उसी श्रेणी के क्वार्टर दिये जाते हैं जिसके लिये वे हकदार हैं परन्तु यदि वे आवेदन करें अथवा यदि आवंटन बिना बारी के किया जाये तो उनको अपनी श्रेणी से एक श्रेणी कम के क्वार्टर भी दिये जा सकते हैं । किराया नियमों के अनुसार अर्थात् उनके वेतन का १० प्रतिशत की दर से (१५० रुपये प्रति मास से कम वेतन पाने वाले पदाधिकारियों से ७१/२ प्रतिशत) अथवा उसका "स्टेन्डर्ड" किराया जो भी कम हो, लिया जाता है ।

(ख) वर्ष १९५९-६० के लिये क्वार्टरों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर ऐसा कोई भी पदाधिकारी नहीं है जिसका वेतन १००० रुपये से १२९९ रुपये प्रति मास तक हो और वह दिल्ली / नई दिल्ली में 'एफ' अथवा 'जी' श्रेणी के क्वार्टर में रहता हो । तथापि,

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ ऐसे मामले इस कारण हो सकते हैं कि उस उच्च श्रेणी में जिसमें के पदाधिकारी मकान पाने का पात्र हुआ हो, प्राथमिकता तिथि उस तिथि के बाद की हो जिस तक के लोगों को उस श्रेणी में मकान दिया जा चुका हो।

(ग) वर्तमान क्वार्टरों के लिये किराया एफ० आर० ४५-क के अधीन पूरे 'स्टेन्डर्ड' किराये अथवा जहां पर किराया 'पूल्ड' है, 'पूल्ड' किराया से अधिक नहीं लिया जा सकता।

(घ) और (ङ). किसी विशेष श्रेणी में क्वार्टरों का आवंटन उस श्रेणी के लिये संबंधित पदाधिकारी की प्राथमिकता तिथि पर निर्भर है।

आसाम राज्य परिवहन

†३८४८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आसाम राज्य परिवहन को एक निगम में बदलने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर आसाम सरकार का क्या उत्तर है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से अभी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

रद्दी चाय[1] से औषधियां

†३९४९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २० अगस्त, १९६१ के 'टाइम्स आफ़ इन्डिया' दिल्ली में प्रकाशित "रद्दी चाय से मूल्यवान औषधियां" नामक शीर्षक के अन्तर्गत लेख की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फेंकी हुई चाय की डंडियों और पुरानी पत्तियों से तैयार को हुई बेकार रद्दी चाय से भारत में एलो, प्लाटी-फिलीन आदि जैसी कीमती औषधियां के निर्माण के लिये, जैसी कि जार्जिया में बटूमी संयंत्र में बनायी जाती हैं, संयंत्र स्थापित करने चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) एलोज[2] और प्लाटीफिलीन[3] रद्दी चाय से तैयार नहीं की जातीं । जैसाकि लेख में स्पष्ट है, ये विभिन्न पौधों से तैयार की जाती हैं। एलो एलोज की विभिन्न किस्मों की पत्तियों का सुखाया हुआ रस है और प्लाटीफिलीन सेनिसियों (ग्राउन्डसेल) से पृथक किया हुआ तत्व है । जहां तक रद्दी चाय से औषधियां बनाने का सम्बन्ध है, रूसी सहायता से "इंडियन ड्रग्स और फारमेस्युटीकल्स लिमिटेड" के नाम से सरकारी कम्पनी के अधीन केरल में स्थापित किये जाने वाले फिटो केमिकल कारखाने में कैफ़ीन और विटामीन 'पी' के उत्पादन का आयोजन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Tea Waste.

[2] Aloes.

[3] Platyphyllin.

पूंजी वस्तुओं का आयात

†३८५०. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में नए एककों के लिए पूंजी वस्तुओं (संयंत्र और मशीनों) के आयात के लिए मंजूर की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य कितना है ;

(ख) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान एककों से दो और तीन पारियों में काम करने के लिए कहा गया है ;

(ग) क्या वर्तमान एककों में दो और तीन पारियों में काम चलाकर उत्पादन बढ़ाने की समग्र स्थिति पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९६१ तक की अवधि में, नए एककों के लिए पूंजी वस्तुओं (संयंत्र और मशीनों) के आयात के लिए ९०.२५ करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सिद्धांततः मंजूर की गई है ।

(ख) से (घ). किसी भी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिए विचार करते हुए वर्तमान एककों की दो अथवा तीन पारियों, जैसा मामला हो, के आधार पर क्षमता का विचार प्रत्येक उद्योग से सम्बन्धित वास्तविक परिस्थितियों की दृष्टि से, किया जाता है । इस प्रकार वर्तमान औद्योगिक एककों से अप्रत्यक्षतः कई पारियों में काम करने के लिए कहा जाता है जिससे न केवल नए संयंत्र अथवा मशीनों के लिए अन्यथा आवश्यक विदेशी मुद्रा की बचत होती है, वरन् साथ ही, कच्चे माल की उपलब्धता के अधीनस्थ, उत्पादन में भी वृद्धि होती है ।

एक फेज़ और कई फेज़ वाले बिजली के मीटर[1]

†३८५१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय एक फेज़ के घरेलू सेवा के बिजली के मीटरों और कई फेज़ वाले बिजली के मीटरों की मांग क्या है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक का पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में आयात एवं निर्माण किया गया है तथा प्रत्येक के पृथक-पृथक आंकड़े दिए जायें ;

(ग) इन दो वस्तुओं के निर्माण के लिए कितने तथा किन पक्षों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं और प्रत्येक की लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी है ;

(घ) इन लाइसेंस प्राप्त कारखानों में से कितने और कौन-कौन से कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ; तथा उनका मासिक उत्पादन एवं निर्माण क्षमता कितनी है ;

(ङ) क्या जिन कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है उनमें से किसी को उत्पादन की तारीख के बढ़ाए जाने की अनुमति मंजूर की गई हैं, और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Single Phase and Polyphase Electric Meters.

(च) कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) एक फ़ेज के घरेलू सेवा के बिजली के मीटरों और कई फेज के बिजली के मीटरों की वर्तमान मांग का अनुमान लघु विद्युत उद्योग विकास परिषद् द्वारा क्रमशः दस लाख और ११५,००० लगाया गया है ।

(ख) ए० सी० और डी० सी० के घरेलू मीटरों और वॉट आवर तथा अन्य इंटेग्रेटिंग मीटरों के वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	आयात			
	ए० सी० और डी० सी० घरेलू मीटर		वाटर आवर और अन्य इन्टेग्रेटिंग मीटर*	
	(संख्या)	(मूल्य रुपयों में)	(संख्या)	(मूल्य रुपयों में)
१९५८-५९ .	२०९,६७२	५९.९४	११,६९५	८.८९
१९५९-६० .	१२८,३४८	४३.७२	१४,२१३	१०.५२
१९६०-६१ .	१७१,०८२	५५.९८	८,०५८	७.८२

*इसमें कई फेज के मीटर भी सम्मिलित हैं ।

ए० सी० के एक फेज़ के घरेलू सेवा के मीटरों, जो अब देश में बनाए जा रहे हैं, के वर्ष १९५८ से १९६० तक के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं ।

१९५८	१९५९	१९६०
३४८,२३८	३७५,४३१	४८०,४३२

कई फ़ेज के मीटरों का अभी तक देश में निर्माण नहीं हुआ है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८२]**

(घ) विवरण में उल्लिखित २२ फर्मों में से पांच फर्मों में पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन हो रहा है और एक फर्म में फरवरी, १९६१ से उत्पादन प्रारम्भ हुआ है । उपरोक्त फर्मों का मासिक उत्पादन एवं वार्षिक स्थापित क्षमता नीचे दी गई है :—

एक पारी के आधार पर वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता	लाइसेंस प्राप्त अतिरिक्त वार्षिक क्षमता	वर्तमान औसत मासिक उत्पादन
४४४,०००	५८१,०००	५४,३९२

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) कुछ फर्मों को अपने कारखानों की स्थापना के लिए समय बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है। आवश्यक ब्यौरा विवरण में दिया हुआ है ।

(च) उत्पादन प्रारम्भ होने में विलम्ब का कारण मुख्यतः संयंत्र तथा मशीनों के आयात और विदेशी सहयोग की शर्तों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय में विलम्ब है ।

इन्टरनल कम्बश्शन डीजल इंजन

†३८५२. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनल कम्बश्शन इंजनों सम्बन्धी विकास-परिषद् ने इन्टरनल कम्बश्शन डीजल इंजनों के मूल्य के सम्बन्ध में विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो विक्रेताओं के लाभ को खरीदारों के लाभ में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कोल्हापुर और गाजियाबाद के छोटे उत्पादकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे परिषद् द्वारा रखी गई उत्पादकों की सूची में सम्मिलित नहीं हैं ;

(घ) इन छोटे उत्पादकों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर ही है ;

(ङ) क्या परिषद् की उपसिमिति से इस समस्या का अध्ययन करने के लिए कहा जाएगा; और

(च) परिषद् के अन्तर्गत एककों के कर्मचारियों की मजूरियों के प्रमापीकरण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) इन्टरनल कम्बश्शन इंजनों, विद्युत्-चालित पम्पों, एयर-कम्प्रेसरों, औद्योगिक पंखों और ब्लोअर्स से सम्बन्धित विकास परिषद् ने अपनी १८ अप्रेल, १९६१ की बैठक में डीजल इंजनों के मूल्यों के प्रश्न की चर्चा की थी । कुछ सदस्यों ने मूल्यों को बहुत अधिक बताया परन्तु परिषद् ने डीजल इंजनों के भूल्य कम करने के लिए कोई सिफारिश नहीं की ।

(ख) हाई स्पीड डीजल इंजनों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है । अभी केवल एक फर्म को उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल इंजनों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त है । हाल में अनेक फर्मों को अपने कार्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ताकि वे डीजल इंजनों का भी निर्माण कर सकें । ऐसे डीजल इंजनों का संभरण धीरे-धीरे बढ़ने की आशा है ।

(ग) बताया गया है कि कोल्हापुर और गाजियाबाद में छोटे पैमाने के आधार पर डीजल इंजनों का निर्माण करने वाली फर्मों को अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई हो रही है

---

†गूल अंग्रेजी में

‡Internal Combustion Diesel Engine.

क्योंकि उपभोक्ता अन्य फर्मों द्वारा बनाए गए इंजनों को अधिक पसन्द करते हैं जो अधिक अच्छी किस्म के हैं और जिनकी बिक्री के बाद मरम्मत भी की जाती है । विकास परिषद् निर्माताओं की कोई सूची नहीं रखती है ।

(घ) और (ङ). लघु उद्योग विकास आयुक्त से कोल्हापुर और गाजियाबाद के निर्माताओं की कठिनाई की जांच करने के लिए कहा गया है ।

(च) विकास परिषद् के क्षेत्र में आने वाले उद्योगों के कर्मचारियों की मजूरियों के प्रमापीकरण के लिए कोई विशेष कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

पीतल के बर्तनों के निर्यातक

†३८५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतल के बर्तनों के निर्यातकों को तांबा और जस्ता आयात करने के लिये आयात लाइसेंस मंजूर किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के आयात के लिये;

(ग) क्या सरकार का ध्यान २३, अगस्त, १९६१ के 'इकानामिक टाइम्स' में 'पीतल के बर्तनों के निर्यातक' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि निर्यातक ये धातुयें खुली तौर से चोर बाजार में बेचते हैं ; और

(घ) इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं कि ये धातुयें गैर-निर्माता निर्यातकों द्वारा न बेची जायें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आयात लाइसेंस निम्न प्रकार मंजूर किये जाते हैं :—

(१) पीतल के बर्तनों और अन्य उत्पादों के केवल उनके निर्माताओं द्वारा किये गये निर्यात पर निर्यात किये गये सामान में प्रयुक्त तांबे अथवा जस्ते के मूल्य के दुगने अथवा निर्यात किये गये सामान के स० प० नि० मूल्य के ४/७ में से जो कम हो, के बराबर ।

(२) पीतल की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात पर तांबे और जस्ते, पालिश की सामग्री और टिश्यू पेपर की वास्तविक आवश्यकताओं के बराबर निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीनस्थ :

१. तांबा और जस्ता मिला हुआ	३६½ प्रतिशत (६० प्रतिशत तांबा और ४० प्रतिशत जस्ता) जब उत्पाद तांबे और जस्ते का मिश्र हो ।
२. टिश्यू पेपर . .	१ प्रतिशत ।
३. पालिश की सामग्री .	२½ प्रतिशत ।

(ग) अभी तक ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) केवल पीपल के कलात्मक सामान का रजिस्टर्ड निर्यातक, जो धातुओं को पीतल के कलात्मक सामान में परिवर्तित करने के लिये संयंत्र एवं उपकरण का परिष्करण स्वयं करता हो अथवा जिसने ऐसे सामान के संभरण के लिये उत्पादकों के साथ व्यवस्था की हो, तांबे और जस्ते के आयात के लिये हकदार है। आयात लाइसेंस निर्यातक के पक्ष में जारी किया जाता है परन्तु यदि निर्यातक स्वयं निर्माता नहीं हो, तो लाइसेंस इस शर्त के अधीनस्थ जारी किया जाता है कि लाइसेंस में आने वाला सामान उसके द्वारा नामांकित निर्माताओं को दिया जायेगा। निर्यातक को ऐसे निर्माताओं को आयात किये गये कच्चे माल के वितरण का लेखा भी देना पड़ता है। आयात की गई धातुयें अलौह धातु नियंत्रण आदेश, १९५८ के उपबन्धों के अधीनस्थ भी हैं।

चाय बागान

†३८५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २० अगस्त १९६१ के इकौनोमिक टाइम्स के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के कई चाय बागानों में वित्तीय संकट आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो संकट से निकालने के लिये सरकार उनकी सहायता किस प्रकार करने जा रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इकौनौमिक टाइम्स में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत के कई चाय बागानों को वित्तीय सहायता की जरूरत है क्योंकि उन्हें मशीनों को बदलना तथा उनकी मरम्मत करनी है। इसके अतिरिक्त कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा और मंडी केबागानों में दोबारा पौदे लगाने हैं। सरकार को चाय बागानों के वित्तीय संकट के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है।

(ख) चाय बागानों को वित्तीय सहायता देने के लिये अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं: —

१. साधारण चाय की उत्पादन लागत कम करने के लिये भारत सरकार ने चाय बोर्ड द्वारा बनाई गई एक योजना स्वीकार की है जिसके अनुसार कछार और त्रिपुरा से कलकत्ते को चाय परिवहन लागत में सहायता की जा रही है तथा इन क्षेत्रों में उर्वरक के व्यय में सहायता की जा रही है। यह योजना अक्तूबर, १९५९ से लागू है।

२. सरकार ने ५ लाख रुपये के व्यय पर एक आरम्भिक योजना स्वीकार की है। इसमें से चाय मशीनों के बदलने तथा मरम्मत और दोबारा पौदे लगाने के लिये कछार, कांगड़ा और मंडी के बागानों को ऋण दिया जायेगा। योजना अब लागू है।

३. कांगड़ा में चाय उद्योग का पुनर्गठन तथा पुनर्वास करने के लिये चाय बोर्ड ने १९५७ में कांगड़ा में सहकारी चाय कारखाना बनाने के लिये वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया था। पंजाब सरकार से ब्यौरेवार योजना बनाने का अनुरोध किया गया था। योजना की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

४. २ करोड़ रुपये की चाय मशीन–हायर परचेज-योजना बनाई गई है। जिसके द्वारा हायर-परचेज के आधार पर एक चाय बागान के लिये चाय मशीन तथा अथवा उपकरण २ रुपये तक के लिये जा सकते हैं। चाय बोर्ड द्वारा योजना लागू है ।

५. चाय बोर्ड द्वारा चाय बागानों को ऋण देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है । जिसके अधीन तीसरी योजना विधि में दोबारा पौदे लगाने के कार्यक्रम को वह पूरा कर सकें ।

तिब्बत से काश्मीरी मुसलमानों को स्वदेश लौटाना

†३८५५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त, १९६१ तक तिब्बत से कितने काश्मीरी मुसलमानों को स्वदेश लौटा दिया गया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक काय मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : तिब्बत से ७५० काश्मीरी मुसलमान स्वदेश लौटा दिये गये हैं ।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट

†३८५६. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ के पहले पांच महीनों में भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में लक्ष्य से २० प्रतिशत की गिरावट आ गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात में और गिरावट को रोकने के लिये तथा गिरावट से पहले की स्थिति बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के अग्रिम प्राक्कलन वित्तीय वर्ष के नहीं बनाये जाते हैं अपितु कैलेंडर वर्ष के बनाये जाते हैं। १९६०-६१ में ९.२ करोड़ रुपये के निर्यात किये गये जबकि अग्रिम प्राक्कलन ८.५ करोड़ रुपये के बनाये गये थे। 'अप्रैल-मई' १९६१ की निर्यात सांख्यकी प्राप्त है। उनके अनुसार निर्यात आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

	लाख रुपये
अप्रैल, १९६१	९८.०१
मई, १९६१ . . .	८२.३६
जोड़	१८०.०३

(आंकड़े इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने बताये हैं) ।

†मूल अंग्रजी में

पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह निर्यात अधिक है।

	लाख रुपये
अप्रैल, १९६०	७०.०७
मई, १९६०	७४.५३
जोड़	१४४.६०

यद्यपि इन दो महीनों के आंकड़ों से यह पता नहीं लगता है कि निर्यात पूरे वर्ष के प्राक्कलनों के अनुपात में नहीं है क्योंकि निर्यात का झुकाव देखने के लिये दो वर्ष की अवधि बहुत कम है और कूलर, रैफ्रीजरेटर, छाता आदि की बिक्री मौसम के अनुसार होती है।

(ख) और (ग). इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है।

गोल मार्केट, नई दिल्ली के क्वार्टर

†३८५७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष में गोल मार्केट, नई दिल्ली के 'डी' टाइप के कितने क्वार्टर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित कर दिये गये हैं ;

(ख) इन क्वार्टरों के कितने अलौटियों को अब तक दूसरा स्थान दे दिया गया है; और

(ग) ऐसे अलौटियों को दूसरा निवासस्थान न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** (क) जुलाई तथा अगस्त, १९६१ में ऐसे ग्यारह क्वार्टरों को खतरनाक घोषित किया गया है।

(ख) इन क्वार्टरों के अलौटियों को दूसरा निवासस्थान दे दिया गया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय हाथ करघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई

†३८५८. **श्री मोहन स्वरूप** : **क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड बम्बई को ऋण अनुदान अथवा छट के रूप में कोई वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था को अब तक, प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितनी सहायता दी गई; और

(ग) सरकार ने इसकी जानकारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की है यदि इस समाज ने सहायता का उचित उपयोग किया है अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत अनुदान
	रुपये	रुपये
१९५५-५६	४,००,०००	—
१९५६-५७	११,७३,०००	—
१९५७-५८	१५,००,०००	४,९८,४८१
१९५८-५९	२०,००,०००	२०,६४२
१९६०-६१	—	३,०७,९५०

इसके अतिरिक्त समाज को समय-समय पर स्वीकृत दरों पर ग्राहकों को दी गई छट के रूप में अनुदान मिलता है । इस समय २ रुपये से अधिक की हथकरघे की फुटकर बिक्री पर रुपये में ५ नये पैसे छूट मिलती है ।

(ग) महाराष्ट्र सरकार के सहकारी समाज के रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर्ड होने के कारण समाज के लेखों की लेखापरीक्षा महाराष्ट्र सरकार के पदाधिकारी करते हैं । इसके अतिरिक्त इसकी लेखा पुस्तिकाओं की लेखापरीक्षा वाणिज्य, इस्पात और खान, बम्बई के लेखापरीक्षा उपनिदेशक भी कर सकते हैं ।

हथकरघा बोर्ड के प्रतिनिधि समाज के बोर्ड के निदेशक भी हैं ।

अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई

†३८५९. **श्री मोहम स्वरूप** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ मार्च, १९६१ तक खरीदे गये ६ करोड़ रुपये के हथकरघा कपड़े के कुल स्टाक में से ५ करोड़ रुपये का हथकरघा कपड़ा अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, बम्बई ने सहकारी क्षेत्र के बाहर से खरीदा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में पूछताछ की है कि इस समिति को सरकार की ओर से दी गई सहायता सहकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग के विकास के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये क्यों काम में लायी गई ;

(ग) क्या कोई पूछताछ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

†मूल अंग्रेजी में

गौहाटी में आकाशवाणी के कर्मचारी

†३८६०. **श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौहाटी में स्थानान्तरित कुछ कर्मचारियों को भाषा की कठिनाई के कारण गौहाटी में काम करने में बहुत कठिनाई हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें अपने मूल स्थान पर पुनः स्थानान्तरित किया गया है ;

(ग) जो गौहाटी में स्थानान्तरित किये गये थे क्या उन्हें गौहाटी म क्वार्टर दिये गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) .आकाशवाणी में हाई पावर ट्रांसमीटर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों तथा कुछ इमारतों पर रहने वाले चौकीदारों को छोड़ कर किसी को क्वार्टर नहीं दिये जाते । फिर, कई स्थानों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास संग्रह में से या राज्य सरकार के जरिये या गैर-सरकारी मकानों में जगह मिल जाती है । गौहाटी में जगह की भारी कमी को देखते हुये आकाशवाणी अपने कर्मचारियों के लिये खास तौर से कुछ क्वार्टर बना रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरे वाले क्वार्टर

†३८६१. **श्री राम गरीब :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रभात कार :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर बनाने और एक कमरे वाले बर्तमान आवास को दो कमरे वाले आवास में बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस दशा में ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरे वाले क्वार्टर बनाने की योजना पर विचार हो रहा है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उसके नकशे और लागत के अनुदान तैयार कर रहा है । बर्तमान एक कमरे वाले आवास को दो कमरे वाले आवास में बदलने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रम विधियों की कार्यान्विति के बारे में व्यापक प्रकाशन

*३८६२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी (केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के) उपक्रमों में श्रम विधियों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में कोई व्यापक प्रकाशन है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रकाशन निकालने की कोई योजना है ताकि उन अधिनियमों की कार्यान्विति के बारे में संपूर्ण भारत की स्थिति मालूम हो सके ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी नहीं । विभिन्न श्रम विधियों की कार्यान्विति के बारे में अलग अलग वार्षिक रिपोर्टें हैं ।

(ख) जी नहीं ।

पूर्वी यूरोपीय देशों को प्रतिनिधिमंडल

†३८६३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही पूर्वीय यरोपीय देशों की छः सप्ताह की यात्रा पर इस दृष्टि से एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार है कि वहां चाय, काफी, पटसन वस्तुओं, वस्त्र और इंजिनीयरी सामान की मांग का पता लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल कब भेजा जायेगा ; और

(ग) यात्रा विवरण में कौन कौन देश सम्मिलित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). अभी प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

*३८६४. **श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कानपुर और मोदीनगर में जिन व्यक्तियों का बीमा किया गया है उनके लिए अस्पताल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बीमाकृत व्यक्तियों के गंभीर रोगों की चिकित्सा के लिए मोदी नगर का मेरठ के जिला अस्पताल से संबंध होने के कारण वहां रोगियों को ले जाने के लिए एम्बुलेन्स-कार भी नहीं है यद्यपि मोदी नगर और मेरठ में चौदह मील की दूरी है ;

(ग) यदि हां, तो मोदीनगर में गम्भीर रोगियों की चिकित्सा के लिए क्या प्रबन्ध है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि अस्पताल चिकित्सा की उचित व्यवस्था न होने से देश में चहुं ओर उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बीमा किये गये व्यक्तियों में असन्तोष बढ़ रहा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क)

(१) **कानपुर**	(१) **सामान्य अस्पताल** : निर्माण समाप्त होने वाला है ।
	(२) **क्षयरोग अस्पताल** : योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।
(२) **मोदी नगर**	भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही हो रही है ।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार को मोदी नगर में एक एम्बुलेन्स देने की अनुमति पहिले ही दे दी गई है । आजकल मेरठ अस्पताल से एम्बुलेन्स मंगाने का प्रबन्ध है और सवारी का भी व्यय योजना उठाती है । तुरन्त चिकित्सा वाले रोगियों की चिकित्सा असैनिक अस्पताल, गोविन्दपुरी में होती है और अन्य रोगी मेरठ के असैनिक अस्पताल भेज दिये जाते हैं ।

योजना के अन्तर्गत अस्पताल चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

चाय का नीलाम बाजार

†**३८६५. श्री प्र० च० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम की चाय के लिए देश में ही एक नीलाम बाजार बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). सरकार को कोई जानकारी नहीं है । समाचार पत्रों में छपा है कि असम सरकार इस दृष्टि से एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है कि राज्य के चाय उद्योग के लिए देश में नीलाम बाजार बनाने के मार्गोपायों का पता लगाया जाये । आगे यह भी छपा है कि नीलाम बाजार गोहाटी के पास पाण्डू के बन्दरगाह के पास बन सकता है । समाचार में आगे कहा गया है कि राज्य सरकार के अनुसार ऐसा करने से राज्य के चाय उद्योग को बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि इससे उद्योग का माल कलकत्ता भेजने का, जहां प्रवेश कर देना पड़ता है, व्यय ही कम नहीं होगा अपितु स्थानीय करों की भी बचत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ऊनी वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री

†३८६६. **श्री अगाड़ी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा १९५४–५५ से अद्यतन कितनी संस्थावार वार्षिक आर्थिक सहायता दी गई ;

(ख) क्या सरकार को विदित हुआ है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी वस्तुओं पर, जिनका न तो उत्पादन हुआ और न बेची गईं, आर्थिकसहायता ले ली है ;

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बर्मा में भारती राष्ट्रजन

†३८६७. **श्री रमेश प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नागरिकों द्वारा भारत को मनीआर्डर आदि भेजने पर बर्मा सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण अनेक ऐसी भारतीय स्त्रियों को, जो विधवा हो गई हैं और बर्मा में अपनी सम्पत्ति बेच कर भारत आना चाहती हैं, ऐसा करने से रोका जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन स्त्रियों को सहायता देने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). हमें ऐसी किसी भारतीय विधवा स्त्री की जानकारी नहीं है जिसे आस्तियों के प्रत्यावर्तन के कारण भारत वापस आने से रोका जा रहा हो । भारत में आश्रितों को प्रति व्यक्ति प्रति मास २० क्यात (२० रु० के बराबर) मनी आर्डर भेजा जा सकता है अतः इसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है । बर्मा से आस्तियों के प्रत्यावतन की सारी प्रार्थनाओं पर उस देश के विनिमय नियन्त्रक कार्यवाही करते हैं और उन्हें गुणानुसार बेच देते हैं । जो ठेका अधिकारी तथा अन्य भारतीय हमारे राजदूत से सहायता मांगते हैं उन्हें वह सहायता देते हैं ।

ग्रामीण गृह-निर्माण के दावे

†३८६८. **श्री रा० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर के प्रादेशिक निपटान आयुक्त ने विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर नियमों के नियम ५४ के अन्तर्गत कृषि दावों के लिए नकद भुगतान करके कितने गृह-निर्माण के दावों को अस्वीकार कर दिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने दावेदारों ने गृह-निर्माण अनुदान और भूमि के लिए प्रार्थना की थी ; और

(ग) मध्य प्रदेश राज्य में अब तक गृह-निर्माण के अनुदान तथा भूमि के कितने दावे अस्वीकार किये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । फिर भी, हो सकता है कि नियम ५४ के अन्तर्गत नकद भुगतान करके ३००–४०० तक दावे अस्वीकार किये गये हों ।

(ख) ६ ।

(ग) २ ।

आकाशवाणी

†३८६९. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, दिल्ली के कर्मचारियों के नये वेतन-क्रम दूसरे वेतन आयोग के अन्तर्गत निर्धारित हो गये हैं और बकाया राशि का भुगतान हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किस अनुभाग को अभी लाभ नहीं पहुंचा है ;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के समाचार डिविजन में यह नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् । जिन व्यक्तियों ने पुराने और नये वेतन-क्रमों में से किसी एक के लिए अपनी पसंद नहीं दी है तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के वेतन-क्रम निर्धारित नहीं किये गये हैं ।

(ख) आकाशवाणी के किसी भी ऐसे अनुभाग को वंचित नहीं रखा गया है ।

(ग) नहीं, श्रीमान्, कुछ पदों को छोड़ कर ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कुछ पदों के बारे में, जो रह गये हैं, शीघ्र ही निश्चय हो जायेगा ।

आकाशवाणी

†३८७०. **श्री तंगामणि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के 'ए' श्रेणी का नगर होने से आकाशवाणी के लगभग ५०० कर्मचारी-कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्ट्स) को मिलने वाला भत्ता नहीं मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति पी० टी० ओ०, मकान भत्ता आदि नहीं मिलते ; और

(घ) इन कर्मचारी-कलाकारों के अधिक भत्ता देने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) (ख) और (घ). आकाशवाणी के कर्मचारी-कलाकार (स्टाफ आर्टिस्ट) नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उन्हें विभिन्न केन्द्रों के लिये उत्पादन-कार्य के ठेके की शर्तों के अनुसार समन्वित राशि मिलती है। अतः उन्हें किसी भी समय कोई भत्ता नहीं मिला है। समन्वित राशि सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

(ग) कर्मचारी-कलाकारों को छुट्टी-यात्रा-रियायत (पी० टी० ओ०) जो कि नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, और रहने के मकान मिलने की भी सुविधा दी गई है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†३८७१. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जिले में एक काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंगे ; और

(ग) विद्यमान दफ्तरों की संख्या, राज्यवार क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) ३७ ।

(ग)

राज्य का नाम	३१-७-६१ को काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या
१. आंध्र प्रदेश	२१
२. असम	१४
३. बिहार	२२
४. गुजरात	१६
५. जम्मू तथा काश्मीर	२
६. केरल	९
७. मध्य प्रदेश	२९
८. मद्रास	१४

†मूल अंग्रेजी में

राज्य का नाम	३१-७-६१ को काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या
९. महाराष्ट्र	२८
१०. मैसूर	१९
११. उड़ीसा	१३
१२. पंजाब	२५
१३. राजस्थान	१८
१४. उत्तर प्रदेश	५३
१५. पश्चिम बंगाल	१९
१६. दिल्ली	३
१७. हिमाचल प्रदेश	४
१८. मनीपुर	१
१९. त्रिपुरा	१
२०. पांडिचेरी	१
योग	३१२

श्रम मंत्रालय में अनुसंधान अनुभाग

†३८७२. **श्री तंगामणि :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में एक अलग अनुसंधान रिसर्च सेल बनाने का प्रस्ताव है !

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कार्य हैं;

(ग) सेल कब बनाया जायेगा और इस कार्य में कौन कौन व्यक्ति लगेंगे ;

(घ) क्या अनुसंधान के परिणाम सभा को बताये जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो किस किस समय पर ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) हां।

(ख) श्रम समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिये।

(ग) से (ङ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

†मूल अंग्रेजी में

मैसर्स रिचार्डसन एण्ड क्रुडास, बम्बई के मामले

†३८७३. **श्री गोरे :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई के मैसर्स रिचार्डसन एंड क्रुडास के मामलों की जांच करने के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये विशेषाधिकारी की सहायता के लिये कोई विशेषाधिकारी नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य अंशधारियों[1] की कोई अस्थायी सूची तैयार है ;

(ग) कम्पनी में श्री मूंदड़ा तथा उनके सहयोगियों के कितने वास्तविक और फर्जी अंश थे ; और

(घ) जीवन बीमा निगम के कितने वास्तविक और फर्जी अंश थे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) बम्बई के मैसर्स रिचार्डसन एंड क्रुडास का प्रबन्ध करने के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किये विशेषाधिकारी ने सामान्य अंशधारियों का एक रजिस्टर बनाया है ।

(ग) और (घ). सामान्य अंशधारियों के रजिस्टर में केवल वास्तविक और अविवादास्पद अंशों का ही उल्लेख है । किसी भी अंशधारी के फर्जी अंशों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । अस्थायी रजिस्टर में उल्लिखित जीवन बीमा निगम और श्री मूंदड़ा तथा उनके सहयोगियों के अंश निम्न हैं :—

अंश धारी	अधिमान प्राप्त अंशों की संख्या	समान अंशों की संख्या
भारत का जीवन बीमा निगम	१९,०३०	१,१२,७५०
श्री हरिदास मूंदड़ा तथा सहयोगी . . .	१,८१०	१५,९२५

पूना के बाढ़ पीड़ितों के लिये मकान

†३८७४. **श्री गु० के० जेधे :**
श्री पांगरकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में तत्काल सहकारी आधार पर बाढ़ पीड़ितों के लिये मकान बनाने का सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पानवेत बांध की बाढ़ से पीड़ित ग्रामवासियों के लिये वैसा ही कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Equity Share holders.

निर्माण, आवास और सभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (घ). पूना तथा समीपवर्ती गांवों में बाढ़पीड़ितों के लिये मकानों की व्यवस्था करना मूलतः महाराष्ट्र सरकार का काम है। सन्देह नहीं कि वह इस कार्य के लिये ऐसे साधनों (सहकारी समितियों सहित) से काम लेगी जो अतिशीघ्र और सन्तोषजनक कार्य करेंगे।

यह कहा जा सकता है कि इस मंत्रालय की आवास योजनायें (अर्थात् आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना और ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना), जिन्हें संबंधित राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं, अन्य बातों के साथ सुपात्र व्यक्तियों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देती है। यह महाराष्ट्र सरकार की इच्छा पर है कि वह इस मंत्रालय की आवास योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये धन का प्रयोग संबंधित योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये करे।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कुछ खानों में दुर्घटनायें

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

> बुर्राग़ढ़, कुसांडा नयाडीह, गुआ, चिनाकुरी और राटीबाटी खानों में दुर्घटनाओं का तांता।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: वक्तव्य काफी लम्बा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं।

अध्यक्ष महोदय : वह रख सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र : वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

माननीय सदस्यगण जानते ही हैं, कि इस वर्ष जून-जुलाई के महीनों में बुर्राग़ढ़, कुसाण्डा नयाडीह, गुआ, चिनाकुरी और राटीबाटी खानों में दुर्घटनायें हुई थीं, जिनमें १३ जानें गई हैं। उनमें चार दुर्घटनायें छत या बग़ल की दीवारें गिरने से और पांचवीं एक कारतूस के समय से पहले फट जाने के कारण हुई थीं। खान पर्यवेक्षणालय ने उन सभी की पूरी-पूरी जांच की थी। १०-६-६१ को जब बुर्राग़ढ़ खान में छत को सहारा देने वाले सभी खम्भे हटाये जा रहे थे, तभी अचानक एक छत धसक पड़ी और लकड़ी का काम करने वाले ४ व्यक्ति उसमें दब गये थे। उसी दिन, कुसाण्डा नयाडीह खान में बग़ल की दीवार से कोयले की एक बड़ी शिला गिरने से माल ढोने वाले दो कर्मचारियों को घातक चोटें आ गईं थीं। २६–६–६१ को गुआ लौह अयस्क खान में तरल आक्सीजन की एक नली को उतारते समय चार कर्मचारी काम आ गये थे। १३–७–६१ को चिनाकुरी खान में छत संभालने वाले खम्भों को हटाते समय छत में से कोयले के ठिम्मे गिरने के कारण दो कर्मचारी मारे

---

†मूल अंग्रेजी में

गये थे। राटीबाटी खान में १४-७-६१ को छत गिरने से एक दुर्घटना हो गई थी। किसी भी दुर्घटना का कारण नियमों या विनियमों का उल्लंघन नहीं था। इसलिये सभी दुर्घटनाओं को दुःसाहस के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की श्रेणी में रखा गया है।

२. खानों में हर वर्ष औसतरूप से लगभ ४,००० दुर्घटनायें होती हैं उनमें से लगभग ३०० घातक होती हैं और लगभग ४०० व्यक्तियों की मृडयु हो जाती है। विषय चिंतनीय तो है, परन्तु खनन जैसे दुसाध्य कार्य में कुछ खतरा तो हमेशा ही रहेगा। हां, उसे कम से कम करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है। और, धीरे-धीरे यह किया भी जा रहा है। १९६० में कोयला खानों में काम करने वाले प्रति १,००० खनिकों में से केवल ०.५९ को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जब कि १९५१ में उसका अनुपात ०.९० बैठता था। इन्हीं वर्षों में अन्य खानों में इसका अनुपात क्रमशः ०.५१ और ०.७७ था। इसलिये इस क्षेत्र में हमने प्रगति ही की है।

३. केवल विधान बना कर खानों में सुरक्षा का एक अधिक ऊंचा मानदण्ड स्थिर नहीं किया जा सकता। अनेक दुर्घटनायें खनिकों की गलतियों के कारण होती हैं, जिसका कारण यह है कि उचित प्रशिक्षण द्वारा उनमें सुरक्षा के प्रति पर्याप्त सावधानी पैदा नहीं की जाती। उचित सुरक्षा उपकरण न होने, थकान और दुर्बलता के कारण भी दुर्घटनायें होती हैं। फिर खानों की सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ प्राविधिक समस्यायें भी हैं---जैसे धूल, प्रकाश और स्वच्छ वायु, इत्यादि--- जिनका हल करना अत्यावश्यक है।

४. खान-सुरक्षा के सम्बन्ध में १९५८-५९ में एक सम्मेलन किया गया था। उसी की सिफारिश पर कई समितियां नियुक्त की गई थीं, जो अलग-अलग समस्याओं की जांच-पड़ताल कर रही हैं। तीन समितियों ने अब तक अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं और उनकी सिफारिशों पर काम हो रहा है।

५. मैंने आपको बताया कि खनन कार्य कितना पेचीदा है और उसकी समस्यायें कितनी विभिन्न हैं। विधान बना कर और उनको लागू करने वाले विभागों के अधिकारियों की संख्या बढ़ा कर दुघटनायें कम करने की ओर प्रगति की गई है।

६. मैंने खान-सुरक्षा के सम्बन्ध में सदस्यों नें परिचालित करने के लिये एक नोट तैयार कराया है, जिसमें सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ऐसा प्रबन्ध कर सकता हूं कि वे स्वयं खानों में जा कर अपनी आंखों से वहां के काम का तौर-तरीका देख लें।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अभी १२ और अविलम्बनीय विषयों पर ध्यान दिलवाने वाले नोटिस है, जबकि नियम १९७ (३) के अन्तर्गत एक दिन में एक से अधिक ऐसे नोटिस को अनुमति नहीं दी जाती। आज इस सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण ही मैंने उनको कार्यक्रम में सम्मिलित करा दिया है। ऐसे सभी वक्तव्य माननीय मंत्रिगण पटल पर रख दें। सदस्यगण उनको देख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : नियम, १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाती हूं। और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों की उपलब्धियों में कटौती करने की नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कथित सिफारिश।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपने एक पत्र में सरकार को संविधान के अनुच्छेद ३१४ में सन्निहित पारिश्रमिक सम्बन्धी गारंटी के बारे में अपने विचार बताये हैं। उन्होंने विशेषकर १४ अगस्त, १९४७ के बाद निकले पदों पर नियुक्त राज्याधिकारियों के भूतपूर्व सचिव को दिये जाने वाले पारिश्रमिक का उल्लेख किया है। उन्होंने संविधान की व्यवस्थाओं की जो व्याख्या की है उसके बारे में वित्त और विधि मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। उसके सम्बन्ध में निर्णय होते में कुछ समय लगेगा।

फरुखाबाद में रेलगाड़ी का रोका जाना

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

२६ अगस्त, १९६१ को फरूखाबाद स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे की फर्रूखाबाद-शिकोहाबाद पैसेंजर गाड़ी का रोका जाना।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

२६-८-६१ को रक्षाबन्धन का त्यौहार था। उस दिन सुबह फरूखाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एक बड़ी भीड़ आ गई और सभी ने ८ बज कर ४० मिनट पर फर्रूखाबाद से शिकोहाबाद जाने वाली गाड़ी से यात्रा करनी चाही। उनमें से बहुतों के पास ठीक-ठीक टिकट भी नहीं थे और कई गाड़ी की छतों पर बैठ कर भी यात्रा करना चाहते थे। रेलवे अधिकारियों ने उनको रोकने की नाकाम कोशिश की। इसलिये १० बज कर ४५ मिनट पर उन्होंने असैनिक पुलिस बुलाली। गाड़ी की छत पर बैठे यात्रियों को उतार दिया गया और निर्धारित समय से २ घण्टे २० मिनट बाद, ११ बजे गाड़ी चली, लेकिन खतरे की जंजीर बार-बार खींचने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। वहां खड़ी भीड़ ने पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिये गये, जिससे रेलवे-न्यायाधीश, फरूखाबाद के पुलिस कोतवाल, एक सिपाही और इंजन चालक को चोटें आ गईं। अन्त में, पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट, एक रेलवे न्यायाधीश, रेलवे संरक्षण बल और पूर्वोत्तर रेलवे फतेहगढ़

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

के डिवीजनल ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेण्ट के संरक्षण में ही दोपहर को २ बज कर ५ मिनट पर गाड़ी चल सकी ।

जख्मी सिपाही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और शेष सभी का प्राथमिक उपचार किया गया । रेलवे सम्पत्ति को इतनी ही क्षति पहुंची कि चेतावनी देने के काम के दो सिगनल भीड़ ने गिरा दिये । बिना टिकट यात्रा करने वाले और पत्थर चलाने वाले लगभग सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया ।

उड़ीसा के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी** (केन्द्रपाड़ा) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये किये गये आवंटन के पुनरीक्षण का प्रस्ताव ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

भारत सरकार को मालूम है कि उड़ीसा सरकार उड़ीसा विकास योजना का, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ही एक भाग है, अध्ययन कर रही है । उड़ीसा विधान सभा के सामने २१ अगस्त, १९६१ को उड़ीसा के राज्य पाल ने जो अभिभाषण दिया था उसमें इसका संकेत था । परन्तु राज्य सरकार की ओर से अभी तक योजना आयोग के पास राज्य की योजना के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

हाल में उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ पराद्वीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात के विकास सम्बन्धी अस्थायी प्रस्तावों पर चर्चा की थी । उनको सुझाव दिया गया था कि उससे पहले राज्य सरकार को पराद्वीप पत्तन को वर्ष भर चालू रह सकने वाला पत्तन बनाने के सम्बन्ध में एक परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करना चाहिये और देतारी-तोम्का लौह अयस्क निक्षेपों के खनन की व्यवस्था कर लेनी चाहिये । सड़क और रेल द्वारा लोहे के परिवहन के व्ययादि के सम्बन्ध में भी तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिये । उनको यह भी बता दिया गया था कि सभी सुलभ संसाधनों का, विदेशी मुद्रा के संसाधनों समेत, बंटवारा किया जा चुका है ।

कुछ संघ क्षेत्रों में नई राजनैतिक व्यवस्था

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वतव्य दें :—

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रस्तावित नयी राजनीतिक व्यवस्था का जारी किया जाना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

मैंने २५ अगस्त, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ९६१ के उत्तर में सभा को बताया था कि संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है । सरकार उसके विभिन्न पहलुओं पर अभी विचार कर रही है और आशा है कि संसद् के अगले सत्र में इसके बारे में कोई घोषणा करने की स्थिति में होगी ।

हथ करघे के कपड़े के लिये गोदी पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्ण गिरि) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अबिलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

तूतीकोरन से निर्यात के लिये २० लाख रुपये के मूल्य के हथ करघे के बने कपड़े के लिये गोदी पर्यवेक्षण प्रमाण- पत्र जारी करने में सूती वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की कथित असफलता ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं एक वक्तव्य सभा -पटल पर रखता हूं :—

वक्तव्य

वतमान प्रक्रिया के अनुसार निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत आयात का अधिकार चाहने वाले सभी कृत्रिम रेशमी वस्त्रों को जहाज पर चढ़ाने से पहले अनिवार्य रूप से उनका पर्यवेक्षण कर लिया जाता है । यह दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से किया जाता है ।

२. 'हैण्डलूम टैक्सटाइल एक्सपोर्टर्स सोसाइटी, कोमारपाल्यम्, ने १–९–६१ को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को तार द्वारा सूचित किया था कि निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत लंका को निर्यात के लिये भेजे २० लाख रुपये के मूल्य के कृत्रिम रेशमी वस्त्रों को, सूती वस्त्र आयुक्त के गोदी पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र के न होने के कारण, तूतीकोरन पत्तन पर रोक लिया गया है । सूती वस्त्र आयुक्त से उसी समय उसकी कैफियत तलब की गई ।

३. सूती वस्त्र आयुक्त के विवरण के अनुसार, तूतीकोरन पत्तन पर निर्यात के लिये हथकरघे के बने कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के ३७० बंडल आये थे । उस माल की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें आने के कारण, मद्रास के सूती वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय और सूती वस्त्र निधि समिति के मुख्य पर्यवेक्षक ने उस माल की विशेष तौर पर जांच करने की व्यवस्था की । ४ सितम्बर, १९६१ तक २०७ बंडलों के निर्यात की अनुमति दी जा चुकी थी । एक-दो दिन में ही शेष के लिये भी अनुमति मिल जायेगी । सूती वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने उस माल की जांच करने और निर्यात की अनुमति देने में बड़ी तत्परता दिखाई है । सूती वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की ओर से अनुचित विलम्ब करने का प्रश्न ही नहीं । निर्यात किये जाने वाले माल की, निर्यात से पहले, जांच की जाती है कि उनकी किस्म ठीक है या नहीं । और उस औपचारिकता में ही थोड़ा समय लग गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहे की कतरन का निर्यात

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

लोहे की कतरन के निर्यात और इस पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

इस्पात उद्योग के लिये लोहे और इस्पात की छीलन एक अत्यंत आवश्यक कच्चा माल है । उसके निर्यात की सुलभता के सम्बन्ध में हमारे देश के छीलन-उपभोक्ताओं और निर्यातकों में मतभेद हैं । सरकार ने २९–४–१९६१ को एक समिति नियुक्त कर दी है, जो अन्य बातों के साथ साथ —

(क) आगामी पांच वर्षों में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न श्रेणियों की छीलन की संभावित सुलभ मात्रा का पक्की तौर पर पता लगायेगी ;

(ख) उसी काल में देश के अन्दर छीलन के उपयोग-वर्तमान और संभावित उपयोग का अध्ययन करेगी ;

(ग) उसके वितरण की वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करेगी और उसके सुधार का सुझाव देगी ;

(घ) छीलन सम्बन्धी मूल्य और नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली और उसे जारी रखने की आवश्यकता का अध्ययन करेगी ;

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के छीलन के निर्यात की संभावना और अनुज्ञप्तियों सम्बन्धी वांछनीय नीति की जांच-पड़ताल करेगी; और

(च) वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये छीलन के आयात की आवश्यकता की जांच करेगी ।

आशा है कि समिति इस वर्ष के अन्त तक अपना प्रतिवेदन दे देगी । १९६१ के उत्तरार्ध के लिये निर्यात नीति के निर्धारण के समय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने सरकार को बताया था कि लोहा गलाने वाली भट्टियों के लिये गलाने के काम की छीलन प्राप्त करने में काफी कठिनाई पड़ रही है । इसीलिये भारी उद्योग में गलाने के काम आने वाली छीलन पर प्रतिबन्ध लगाना जरूरी हो गया कि २, २क और ३ श्रेणी की चादरों की कतरनों के पांच टन निर्यात के स्थान पर एक ही टन हो । २, २क और ३ श्रेणियों की चादरों की कतरन के निर्यातकों को संख्या १ श्रेणी की कतरनों को प्रति टन पर एक टन की जो सुविधा उनको प्रोत्साहित करने के लिये पहले दी गई थी उसे आधी कर देना पड़ा । कुछ प्रतिनिधान इस संबंध में भी आ थे कि स्टैनलैस स्टील (जंग रहित लोहे) की छीलन का उपयोग देश में ही किया जा सकता है । इसलिये अनुज्ञप्तियों के चालू काल में उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । पहले उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार की सदा ही यही नीति रही है कि उन्हीं श्रेणियों की छीलन के निर्यात की अनुमति दी जाये जिनका उपयोग देश में नहीं किया जा सकता। वर्ष १९६१ के उत्तरार्ध में भी यही नीति जारी रही ।

यह सही है कि जनवरी में छीलन के व्यापारियों को सूचित किया गया था कि चूंकि छीलन के संबंध में शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने का निर्णय हो चुका है इसलिये छीलन संबंधी निर्यात-नीति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, परन्तु उस समय हमारा ख्याल था कि समिति का प्रतिवेदन सितम्बर के अन्त तक हमें मिल जायगा। अब उसमें विलम्ब होने के कारण और उल्लिखित परिस्थितियों को देखते हुए, देश में उपयोग में आ सकने वाली छीलन की किस्मों के संरक्षित रखने के लिये छीलन सम्बन्धी निर्यात नीति में उपर्युक्त परिवर्तन करना आवश्यक और अविलम्बनीय हो गया था।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां का दिया जाना

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में सरकारी नीति में कथित परिवर्तन ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में सरकारी नीति में केवल एक ही परिवर्तन किया गया है। यह कि जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय ६,००० रुपये से अधिक हो, उनको छात्रवृत्तियां नहीं दी जायेंगी। आगे चल कर, शिक्षा के लिये दी जाने वाली सहायता की एक मात्र कसौटी आर्थिक पिछड़ेपन की ही रखी जानी चाहिये, जातिगत पिछड़ेपन की नहीं। निधियां सीमित होने के कारण ही, 'आय सम्बन्धी परीक्षा' का आयोजन किया गया है। अनुमान यह है कि न्यूनतम संविहित सीमा से अधिक आय वाले एसे विद्यार्थियों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसलिये इस परिवर्तन से कोई बड़ा प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा।

विज्ञान संवर्धन सस्था, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-मंत्री का ध्यान दिलाती हूं, और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

विज्ञान संवर्धन संस्था, कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

ऐसी खबर है कि भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था, कलकत्ता के कर्मचारियों के संघ ने संस्था को एक नोटिस दिया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे ११ सितम्बर, १९६१ से हड़ताल करेंगे ।

संस्था एक स्वायत्त निकाय है । उसे केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल की ओर से निम्न प्रकार से सहायक अनुदान दिये जाते हैं :—

(क) ६:१ के अनुपात में आवर्ती व्यय के लिये ।

(ख) २:१ के अनुपात में अनावर्ती व्यय के लिये ।

केन्द्रीय सरकार का कर्मचारियों की मांगों से और कोई संबंध नहीं ; यदि कुछ है तो केवल इतना कि उनका प्रभाव सहायक अनुदानों पर पड़ सकता है। कर्मचारियों द्वारा की गई वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण की मांग का प्रभाव केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान पर पड़ सकता है । संस्था इस प्रश्न पर एक अर्से से विचार कर रही है और वह इस मंत्रालय के सचिव के साथ कलकत्ता में १७ जुलाई, १९६१ को इस पर चर्चा भी कर चुकी है । संस्था की परिषद् ने २० जुलाई, १९६१ की एक अपनी बैठक में निर्णय किया था कि संस्था के कर्मचारियों के वेतन कलकत्ता विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के समान करने की सिफारिश की जाये । संस्था का प्रस्ताव आने पर, हम पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके उस पर कोई निर्णय करेंगे ।

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

†**श्री ओझा** (झालावाड़) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) की ओर से पंचाट देने में विलम्ब ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं :—

वक्तव्य

बैंक कर्मचारियों की मांग मार्च, १९६० में एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपी गई थी । उसकी सुनवाई चल रही थी, परन्तु बीच में ही कर्मचारी संघों ने बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ३४-क की वैधता को चुनौती दी । न्यायाधिकरण ने वह याचिका ठुकरा दी थी । बाद में कर्मचारियों द्वारा अपील करने पर, बम्बई उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय की ही परिपुष्टि की । कर्मचारियों के संघों ने बाद में उच्चतम न्यायालय में भी याचिका दी कि उक्त धारा को संविधान की शक्ति से परे घोषित किया जाये । उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर विचार करना स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से तब तक पंचाट न देने के लिये कहा । उच्चतम न्यायालय ने भी २८ अगस्त, १९६१ को उक्त धारा को वैध बताते हुए, याचिकायें रद्द कर दीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब न्यायाधिकारण ने उसकी सुनवाई पुनः आरम्भ कर दी है और आशा है कि इसी महीने के अन्त तक वह समाप्त हो जायगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म-हत्या

†**श्रीमती मैमूना सुलतान** (भोपाल) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म-हत्या।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :—।

वक्तव्य

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सूचित किया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले एक अनुसंधान —सहायक, श्री पी० एन० गम्भार नेशनिवार, २ सितम्बर, १९६१ को शाम के ६ बजे आत्म-हत्या कर ली है। प्राणिकीय विभाग के 'न्यू ब्लॉक' की प्रयोगशाला में उन्होंने अपनी मेज पर जो पुर्जा छोड़ा था, उस में भी यही कहा गया है। श्री गम्भरि का अनुसंधान-कार्य विभिन्न प्रकार के 'प्रोटोजोआ' पर पोटेशियम साइनाइड के प्रभाव का पता लगाने के संबंध में था। शनिवार, और रविवार २ और ३ सितम्बर, १९६१ को विश्वविद्यालय की छुट्टी थी। सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१ को सुबह ९ बजकर ३० मिनट पर प्रयोगशाला का दरवाजा खुलने पर एक अनुसंधान -अध्येता कुमारी आर० विमला देवी और प्रयोगशाला में झाड़ू देने वाले ने उनकी लाश देखी। तुरंत ही झाड़ू लगाने वाले ने प्राणिकीय विभाग के कार्यकारी प्रधान डा० एल० एन० जौहरी को सूचित किया। डा० जौहरी ने तुरंत विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र से फोन पर अनुरोध किया कि श्री गम्भरि के शरीर की जांच के लिये एक डाक्टर भेजा जाय। कुछ ही मिनटों में डाक्टर वहां पहुंच गया। उसने बताया कि श्री गम्भरि की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उनका शरीर कड़ा पड़ चुका था। डा० जौहरी ने रजिस्ट्रार को सारी परिस्थिति बताई। रजिस्ट्रार के सलाह पर ही, डा० जौहरी ने रोशनारा पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उसकी सूचना दी और चन्द मिनटों में पुलिस आ गई। और उसने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। श्री गम्भरि की मेज़ पर २ सितम्बर, १९६१ का लिखा एक पुर्जा मिला। उस में लिखा था :

> "प्रतिक्रिया देखने के लिये, पोटेशियम साइनाइड के कुछ ग्रामों का इंजैक्शन लगाया है। यदि मृत्यु हो जाय तो शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाय और फूल यमुना में प्रवाहित कर दिये जायें। अनुसंधान -कार्य को मेरा अंतिम नमस्कार। सभी को मेरा अंतिम नमस्कार। मुझे किसी का कुछ भी नहीं देना है।" उसी मेज़ पर पर एक और लिफाफे में ८४.०२ रुपये भी मिले, जिस पर लिखा था "यह अंतिम संस्कार के लिये है।"

श्री गम्भरि की मेज़ के नीचे बिखरे कागजों और पुस्तकों में काग़ज के कुछ फटे टुकड़े भी मिले थे। जहां तक बन सका, डा० जौहरी ने उनको इकट्ठा कर के दिया। उन में शाम के ६ बजे से सवा छः बजे तक के बीच शरीर पर विष पर की प्रतिक्रिया का कुछ विवरण था। पुलिस ने उनको श्री गम्भरि की रद्दी कागजों की टोकरी से चना था और उनको मेज पर रख दिया गया था। अभी मामले की जांच हो रही है और पुलिस ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

———

नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल किये जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबन्ध में एक वक्तव्य दें :—

निकाले हुए ३०० से अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर न रखने और कर्मचारियों के संघों तथा फेडरेशनों की मान्यत बहाल करने में विलम्ब ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

सबसे हाल की सूचना के अनुसार इस समय १७० कर्मचारियों को निकालने और १०२ कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के आदेश प्रभावी हैं । विभागीय कार्यवाही तो ४६,००० कर्मचारियों के विरुद्ध शुरू की गई थी और उनमें से २,०७९ को निकाल दिया गया था और २,१३७ को सेवामुक्त कर दिया गया था। उसे देखते हुए, तो यह संख्या बहुत कम कम है । इससे स्पष्ट है कि अंधाधुंध कार्यवाही नहीं की गई है । हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी अनुशासनहीनता के नहीं, विधि द्वारा दण्डनीय अपराधों के भी दोषी थे । इसलिये उनको पूरी माफी दे देना लोकहित में नहीं होगा । हां, वे उपयुक्त अधिकारियों के सामने अपील कर सकते हैं । उन पर विचार किया जायेगा ।

२. सरकार अभी संघों और संस्थाओं की मान्यता बहाल करने या रद्द करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और कुछ ही दिनों में अपना निर्णय घोषित करेगी ।

उड़ीसा में बाढ़

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

इस सप्ताह उड़ीसा में बड़ी बड़ी बाढ़ों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति ।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं—

वक्तव्य

इस सप्ताह उड़ीसा में आई बाढ़ों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में ध्यान दिलाओं नोटिस मेरे मंत्रालय को शाम को साढ़े आठ बजे मिला था । हमने उसी समय राज्य सरकार से फोन द्वारा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया, परन्तु कोई काम की सूचना नहीं मिल सकी । हमारे कहने पर, उड़ीसा सरकार ने अपने एक विशेष अधिकारी को पूरी परिस्थिति का पता लगाकर हमें सूचित करने का काम सौंप दिया है । अभी उसने हमारे पास कोई भी सूचना नहीं भेजी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे मंत्रालय को अन्तिम बार २ सितम्बर को इस सम्बन्ध में सूचना मिली थी । उड़ीसा सरकार के एक बुलेटिन में कहा गया था कि वैतरिणी और ब्राह्मणी नदियों में जल का स्तर खतरे के निशान के नीचे था ।

हमें ७ सितम्बर को ही अखबारों और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों से पता चला कि दोनों नदियों में बाढ़ आ गई है । इस मंत्रालय ने उसी समय उड़ीसा सरकार को तार भेज दिया था, परन्तु अभी तक हमें कोई उत्तर नहीं मिला है। उसका ब्यौरा मिलते ही, मुझे बता दिया जायेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में, सूची की मद संख्या ९ के बारे में, माननीय शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य पटल पर रखा है, मुझे उसी के बारे में बताना है । कुछ कालेज अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पेशगी छात्रवृत्तियां दे रखी थीं । अब सरकार की नीति में परिवर्तन होने के कारण उनसे रुपया वापस मांगा जा रहा है । माननीय मंत्री को इस संबंध में कुछ करना चाहिये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा है उस में सरकार की नीति स्पष्ट रूप में रखी गई है । यदि कोई कठिनाई पड़े तो माननीय सदस्य राज्य सरकार का या मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य पटल पर रख दिया है । अब मैं इस पर अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । यदि माननीय सदस्य और अधिक सूचना चाहें, तो माननीय मंत्री को लिख सकते हैं । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह उन कठिनाइयों को दूर करने की ओर ध्यान दें ।

कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में संविलयन

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

हाल में ८–९ सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में संविलयन ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को इस से पूर्व सूचना के लिये बहुत कम समय मिल पाया है । मैं उनके उत्तर की एक प्रति श्री ब्रजराज सिंह और श्री जगदीश अवस्थी को भिजवा दूंगा । माननीय मंत्री अपना वक्तव्य लोक सभा सचिवालय को भेज दें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड का वर्ष १९६० का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके संबंध में सरकार की समीक्षा

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड की वर्ष १९६० का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२१६/६१]

बाढ़ स्थिति के संबंध में वक्तव्य

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं देश में बाढ़ स्थिति के सम्बन्ध में २८ और ३० अगस्त, १९६१ को हुए वाद-विवाद में उठायी गई कुछ बातों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३२१७/६१]

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

१. पहला विवरण चौदहवां अधिवेशन, १९६१

२. अनुपूरक विवरण संख्या ७ तेरहवां अधिवेशन, १९६१

३. अनुपूरक विवरण संख्या ८ बारहवां अधिवेशन, १९६०

४. अनुपूरक विवरण संख्या १२ ग्यारहवां अधिवेशन, १९६०

५. अनुपूरक विवरण संख्या १७ नवां अधिवेशन, १९५९

६. अनुपूरक विवरण संख्या २० आठवां अधिवेशन, १९५९

७. अनुपूरक विवरण संख्या २५ सातवां अधिवेशन, १९५९

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८३ से ८९]

कहवा (तृतीय संशोधन) नियम, १९६१

†**श्री कानूनगो** : कहवा अधिनियम १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५४ में प्रकाशित कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२२५/६१]

दिल्ली मोटरगाड़ी नियम, १९५० में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४०

---

†मूल अंग्रेजी में

में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२ / ५७/६०—परिवहन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३२२६/६१]

मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६१

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८५ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२२७/६१]

विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) वर्ष १९५९–६० के लिये भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारियों का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३२२८/६१ और एल० टी० ३२२९/६१]

बैंकिंग समवाय अधिनियम १९४९ के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३४ में प्रकाशित रायला सीमा बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे इण्डियन बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(दो) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३७ में प्रकाशित पाई-मनी बैंक (प्राइवेट) लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग सिन्डीकेट लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(तीन) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३९ में प्रकाशित मूलकी बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग सिन्डीकेट लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

(चार) दिनांक २८ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०८९ में प्रकाशित तेजपुर इन्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(पांच) दिनांक २८ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०९२ में प्रकाशित जी० रघुनाथमल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(छै) दिनांक २९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०९८ में प्रकाशित मर्चेंट्स बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे तंजोर परमानेंट बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(सात) दिनांक २९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१०० में प्रकाशित कटक बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और, उसे यूनाइटेड बैंक, ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(आठ) दिनांक १ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१०८ में प्रकाशित सतारा स्वदेशी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—३२३८/६१]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र में हुई इक्कीसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश क सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है, कि लोक सभा द्वारा ३१ अगस्त, १९६१ को पारित भारतीय दंड संहिता विधेयक, १९६१ को राज्य सभा ने अपनी ६ सितम्बर, १९६१, की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि लोक सभा द्वारा ४ सितम्बर, १९६१ को पारित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६१, को राज्य सभा ने अपनी ६ सितम्बर, १९६१, की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(३) कि राज्य सभा ने अपनी ७ सितम्बर, १९६१ की बैठक में निम्न लिखित प्रस्ताव पारित किया है—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा धार्मिक न्यास विधेयक १९६० से सम्बन्धित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिये श्री हरिहर पटेल के राज्य सभा से पद त्याग करने के कारण हुए रिक्त स्थान पर श्री लोक नाथ मिश्र को समिति का सदस्य मनोनीत किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक लेखा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चतुर्वेदी** (एटा) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९५९–६० और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६१ के बारे में लोक लेखा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ३२३९/६१]

सदस्य द्वारा वक्तव्य

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय श्रम मंत्री ने २ मई, १९६१ को १७ और १८वें श्रम सम्मेलनों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि जुलाई, १९६० में डाक तथा तार विभाग में हुई हड़ताल से सम्बन्धित १७,७०० मामलों में केवल ६ मामले अनिर्णीत हैं । मैं ने उसी समय कहा था कि ६२ मामले अनिर्णीत हैं । मेरी जानकारी है कि अब भी डाक तथा तार विभाग में कोई २५ मामले, और लेखा परीक्षा, रेलवे और प्रतिरक्षा विभाग में जिन में डाक तथा तार विभाग शामिल हैं, लगभग ३०० मामले अनिर्णीत हैं ।

इन मामलों के सम्बन्ध में जो विभिन्न आश्वासन इस सभा में दिये गये हैं उन्हें पूरा करने के लिये सरकार तुरन्त कदम उठाये ।

†**श्री नन्दा** : भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें सत्र की चर्चा के दौरान २ मई, १९६१ को यह कहा गया था कि परिवहन तथा संचार मंत्रालय में मेरे सहयोगी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डाक तथा तार विभाग के १७,७०० मामलों में से केवल ६ मामलों में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

सही स्थिति यह है कि जुलाई के महीने में १५ ऐसे मामले थे जिन में डाक तथा तार विभाग के हड़ताल से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध मूल कार्यवाही की जा रही थी । इसके अतिरिक्त पुनर्विचार आदि के ३८ मामले अनिर्णीत हैं । इसके पहले दिये गये वक्तव्य में जिन ६ अधिकारियों का उल्लेख किया था वे ऐसे मामले थे जिन में अधिकारियों को दिये गये दंड की पुष्टि करके उन मामलों में अपरिवर्तनशील निर्णय दिये गये हैं । किसी गलत धारणा के कारण ये मामले अनिर्णीत बता दिये गये थे ।

आय कर विधेयक

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विधान सम्बन्धी कार्य आरम्भ करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर तथा अधिकर को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

"खंड १३

(१) पृष्ठ २३, पंक्ति २४ में "this Act" ("यह अधिनियम") शब्दों के पश्चात्, "any income thereof" ("उस से होने वाली कोई आय") शब्द रख दिये जायें ।

खंड ८८

(२) पृष्ठ ७३, पंक्ति १८ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

'(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) this section shall apply to donations given for the renovation or repair of any temples, mosque, gurdwara, church or any other place which is notified by the Central Government in the Official Gazette to be of historic, archaeological or artistic importance

['(६) उपधारा ५ में किसी बात के रहते हुए भी यह धारा उस मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा अथवा किसी अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर एतिहासिक पुरातत्वीय अथवा कलात्मक महत्व का घोषित किया हो, उसके जीर्णोद्धार अथवा मरम्मत के लिये दिये गये दान पर लागू होगी ।]

खंड २८८

(३) पृष्ठ १०७ में

(१) पंक्ति ३१ के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

'(v) any person who has passed any accountancy examination recognised in this behalf by the Board; or

(vi) any person who has acquired such educational qualifications as the Board may prescribe for this purpose; or"

['(५) ऐसा कोई व्यक्ति जिस ने बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त लेखापालन की कोई परीक्षा पास की हो, अथवा (६) ऐसा व्यक्ति जिस के पास बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये विहित शिक्षा अर्हतायें हों, अथवा

(२) पंक्ति ३२, कोष्ठकों और

"(v)" अक्षर, "५" के स्थान पर कोष्ठकों और अक्षर " (VII)" "(७)" रख दिया जाये' ।"]

आय कर विधेयक पर राज्य सभा में २९५९ और ४–९–६१ को चर्चा हुई । यद्यपि इस पर कई संशोधन प्रस्तुत किये गये तथापि वे या तो वापस ले लिये गये या अस्वीकृत हुए । तथापि राज्य सभा ने तीन संशोधन स्वीकृत किये हैं और यह सिफारिश की है कि यह सभा भी उन्हें स्वीकृत करे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १३ में किया गया पहिला संशोधन औपचारिक प्रकार का है वह इस विधेयक के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिये है।

दूसरे संशोधन का उद्देश्य खंड ८८ द्वारा प्रस्तावित लाभ को पूर्व संस्थाओं को दिये गये उपदानों के संबंध में विस्तार करना अर्थात् किसी मंदिर, मस्जिद गिरजाघर की मुरम्मत आदि के संबंध में या किसी अन्य स्थान के संबंध में जिसे केन्द्रीय सरकार ने एतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व वाला अधिसूचित किया हो । संशोधन के पीछे जो उद्देश्य हैं वह प्रशंसनीय है। अतः उसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

खंड २८८ में जो तीसरा संशोधन किया गया है उस से वकीलों और अधिकृत लेखापालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी अपने को अधिकृत प्रतिनिधि पंजीयन कर सकते हैं।

वर्तमान अधिनियम के अधीन केवल तीन व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रतिनिधि माना गया है। वे वकील लेखापाल और आयकर वकील हैं। विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि केवल उन आयकर वकीलों को छोड़ कर जो कि इस समय काम कर रहे हैं आयकर वकीलों के वर्ग को समाप्त किया जाये । तदनुसार खंड २८८ की शब्दावलि बनायी गयी थी । इस संबंध में कई अभ्यावेदन किये गये कि आय-कर वकीलों के वर्ग को बना रहने दिया जाये अन्यथा इस से छोटे करदाताओं को बहुत कठिनाई होगी। राज्य सभा में इस संशोधन पर आग्रह किया गया तथा इस संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि न्यूनतम अर्हताओं का प्रश्न केन्द्रीय राजस्व बोर्ड पर छोड़ दिया जाये ।

मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त तीनों संशोधन स्वीकार कर लिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद ११७ (१), ११७ (३) और २७४(१) के अधीन राष्ट्रपति ने लोक सभा में इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा कोई संशोधन नहीं कर सकती है। वह केवल लोक सभा से यह सिफारिश कर सकती है कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाये । यदि हम इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे तो यह माना जायेगा कि विधेयक दोनों सभाओं द्वारा राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : क्या वाणिज्य विषय के स्नातकों को भी जो कि छोटे व्यवसायियों के यहां काम करते हैं उन्हें प्रतिनिधित्व करने दिया जायेगा ?

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : क्या संशोधन संख्या २ के अधीन मंदिर शब्दों में अन्तर्गत 'अग्नि मंदिर' भी शामिल है ?

†**श्री मोरार जी देसाई** : जी हां, इस में अग्नि मंदिर भी शामल हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

"खंड १३

(१) पृष्ठ २३, पंक्ति २४ में "this Act" (यह अधिनियम) शब्दों के पश्चात्,

"any income thereof" ("उस से होने वाली कोई आय ")

शब्द रख दिये जायें ।

खंड ८८

(२) पृष्ठ ७३, पंक्ति १८ के पश्चात् निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

'(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) this section shall apply to donations given for the renovation or repair of any temple, mosque gurdwara, church of any other place which is notified by the Central Government in the Official Gazettee to be of historic, archaeological or artistic importance.

[(६) उपधारा ५ में किसी बात के रहते हुए भी यह धारा उस मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा अथवा किसी अन्य स्थान जिसे केन्द्रीय सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर ऐतिहासिक पुरातत्वीय अथवा कलात्मक महत्व का घोषित किया हो, उस के जीर्णोद्धार अथवा मरम्मत के लिये दिये गये दान पर लागू होगी ।]

खंड २८८

३. पृष्ठ १०७ में

(१) पंक्ति ३१ के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :—

(v) any person who has passed any accountancy examination recognised in this behalf by the Board; or

(vi) any person who has acquired such educational qualifications as the Board may prescribe for this purpose; or"

[" (५) ऐसा कोई व्यक्ति जिस ने बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त लेखापालन की कोई परीक्षा पास की हो, अथवा

(६) ऐसा व्यक्ति जिस के पास बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये विहित शिक्षा अर्हतायें हों, अथवा

(२) पंक्ति ३२, कोष्ठकों और

"(V) अक्षर" ५" के स्थान पर कोष्ठकों और अक्षर "(VII)" "(७)" रख दिया जाये । "]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाये "

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

जमा धन बीमा निगम विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब जमा धन बीमा निगम विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : कल सभा सूची संख्या ३ के संशोधन संख्या ५ पर विचार कर रही थी । सभा की राय थी कि श्री श्रीनारायण दास का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये । तथापि मुझे उसे उसी रूप में स्वीकार करने में कुछ संकोच है । क्योंकि वर्तमान शब्दों के अनुसार सरकार को यह स्वविवेक है कि यदि किसी व्यक्ति का घनिष्ठ संपर्क है तो हमें उसे नियुक्त न करने का अधिकार है । अतः मैं इस संबंध में एक और संशोधन रखना चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

" पृष्ठ ५, पंक्ति ३४,--

"insured bank" ["बीमा कृत बैंक "] के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें "Or is in the opinion of the Central Government, otherwise actively connected with such bank"

[" अथवा जो केन्द्रीय सरकार की राय से अन्यथा किसी बैंक से सक्रिय रूप से संबंधित हो "] (१४)

मान लिया जाये कि हम ने बोर्ड में एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की तदुपरांत वह किसी अन्य बैंक में अवैतनिक परामर्शदाता का पद ग्रहण कर लेवे तो ऐसे व्यक्ति को सक्रिय रूप से संबद्ध माना जायेगा । इस संशोधन के द्वारा हमें अपना अभिप्राय पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता है ।

इस विधेयक में बीमाकृत बैंक के निदेशक या अधिकारी या कर्मचारी की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गयी है तथापि सक्रिय रूप से संबंधित शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिये हमने यह संशोधन रखा है ।

इन शब्दों को खंड ६(४) (ग) के अंत में जोड़ दिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ५, पंक्ति ३४,--

"insured bank" (" बीमा कृत बैंक ") के पश्चात् यह शब्द रख दिये जायें "Or is in the opinion of the Central Government otherwise actively connected with such bank"

["अथवा जो केन्द्रीय सरकार की राय से अन्यथा किसी बैंक से सक्रिय रूप से संबंधित हो"](१४)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ से ९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं खंड ११ और १२ पर अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० से १५ विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० से १५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १६ (बीमाकृत जमा धन के बारे में निगम का दायित्व)

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ १०, पंक्ति २ , में —

"Board" ["बोर्ड"] शब्द के **स्थान में** "Corporation" ["निगम"] शब्द रख दिया जाये ।* (९)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १० पंक्ति २ में—

"Board" [" बोर्ड "] शब्द के **स्थान** में "Corporation" ["निगम "] शब्द रख दिया जाये । (९)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री वासुदेवन नायर : (तिरुवेल्ला): मैं संशोधन संख्या ११ और १२ प्रस्तुत करता हू ।

मैं यह चाहता हूं कि १५०० रु० की सीमा को बढ़ाकर ३००० रु० कर दिय जाये । आजकल की स्थितियों के देखते हुए यह राशि बहुत कम है ।

†**श्री ब० रा० भगत**: मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं श्री वासुदेवन नायर के संशोधन का समर्थन करता हूं । आज बैंक उद्योग की दशा पर्याप्त ठोस है इस कारण यदि यह राशि बढ़ाकर ३००० रु० भी कर दी गई तो भी निगम के लिये अधिक खतरा नहीं है । इस से छोटे निक्षेपकों को प्रोत्साहन मिलेगा और उन में बैंकों में बचत करने के स्वभाव की वृद्धि होगी ।

† **श्री नलदुर्गकर** : मैं संशोधन संख्या ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे संशोधन का आशय यह है कि जब निगम ने १५०० रु० का दायित्व लिया है तो वह १५०० रुपये तक की पूरी राशि भी अदा करे । खंड १६ (३) का उपबंध अस्पष्ट है अत: उस के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से मैं ने संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : जहां तक अधिनियम में सीमा की वृद्धि करने का प्रश्न है उपधारा १ के तीसरे परन्तुक में कहा गया है कि सरकार की स्वीकृति से यह राशि बढ़ाई जा सकती है । वस्तुतः १५०० रु० की राशि भी बड़ी कठिनता से निश्चित की गई है । वस्तुतः १००० रु० और २००० रु० के बीच समझौता किया गया । भविष्य में इस राशि के बढ़ने की ही संभावना है ।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, यह विधेयक की भावना के अनुसार नहीं है । १५०० रु० केवल २ स्थितियों में ही चुकाये जायेंगे । (१) यदि किसी बैंक का दिवाला निकल जाये (२) तथापि यदि शोधकाल तथा विलयन के फलस्वरूप केवल ७०० रु० मिलेंगे तो निगम अवशेष ८०० रु० देगा । अतः इस ८०० रु० की राशि के अलावा १५०० रु० देना उचित नहीं है ।

उन्होंने एक अन्य संशोधन में यह कहा है कि बैंक के लाभ से मिलने वाला प्रीमियम निक्षेपकों को नहीं दिया जाता है । कुल सामान्य चर्चा में यह प्रश्न भी उठाया गया था । हमारा अभिप्राय यह है कि इसे निक्षेपकों को न दिया जाये । यद्यपि यदि वे निक्षेपकों को यह राशि देना चाहेंगे तो उसका पता लगाना बहुत कठिन हो जायेगा । बिल में रखने से भी हमारी उपेक्षा की जा सकती है और इसका पता लगाना कठिन हो सकता है । अतः मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

†**श्री नलदुर्गकर** : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह करता हूं ।

संशोधन संख्या ३ और ४ सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये

†**श्री वासुदेवन नायर** : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता हूं ।

सशोधन संख्या ११ और १२ सभा की अनुमति से वापस लिये गये

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

खंड १६ संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७ से ५१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

पहिली और दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खंड १, अधिनियम सूत्र, विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को संशोधित रूप, में पारित किया जाये

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री कासलीवाल द्वारा यूरोपीय साझा बाजार पर प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ब्रिटेन की सरकार के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार किया जाये "

मुझे इस बात की आशंका है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के निर्णय से भारतीय निर्यात व्यापार को बहुत हानि होने की संभावना है, यदि हम अपने निर्यात व्यापार के प्रश्न की जांच करेंगे तो ज्ञात होगा कि सरकार निर्यात व्यापार की ओर गम्भीर रूप से विचार नहीं कर रही है और निर्यात व्यापार हमारी योजना का अन्यतम अंग कभी नहीं बन सका है। विश्व के निर्यात व्यापार की तुलना में पहिले हमारे देश के निर्यात व्यापार का प्रतिशत २·१ था जो अब घट कर १·१ प्रतिशत ही रह गया है ।

मेरे विचार से ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने का निश्चय केवल इस कारण किया कि इससे उसे मुनाफा होगा । अन्य यूरोपीय देश जो इ० इ० सी० में शामिल हुए हैं उन्हें काफी लाभ हुआ है । और उनके निर्यात व्यापार की प्रगति हुई है । इसके अतिरिक्त इ० इ० सी० के ६ आंतरिक देशों ने अन्य देशों को यह नोटिस जारी किया कि यदि वे इसमें शामिल नहीं होंगे तो वर्तमान प्रशुल्क जो १५ से २५ प्रतिशत है बढ़ा कर २५ से ५० प्रतिशत कर दिया जायेगा । इस कारण भी ब्रिटेन को यह निश्चय करना पड़ा ।

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कई प्रश्न पूछे गये तथापि उन्होंने किसी प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । केवल यही कहा कि इस संबंध में यथोचित कार्यवाही की जा रही है । वस्तुतः यह एक तलवार की तरह है जो कभी भी हमारे सर पर गिर सकती है । पिछले दो वर्षों में हमें इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई ।

हमारे विरुद्ध दो प्रकार का पूर्वाधिकार काम करेगा । जहां तक यूरोपीय साझा बाज़ार के देशों का सम्बन्ध है, न केवल ब्रिटेन को पूर्वाधिकार प्राप्त होगा, बल्कि इन देशों को भी ब्रिटेन में पूर्वाधिकार प्राप्त होगा । हमारा निर्यात व्यापार मुख्यतया ब्रिटेन के साथ है और हम उसे चाय, सूती कपड़े, चमड़ा, खली और तम्बाकू निर्यात करते हैं । १९६० में इस निर्यात की राशि १७४ करोड़ रुपये थी और यह हमारे कुल निर्यात का २६ प्रतिशत भाग है । ब्रिटेन के इस बाजार में सम्मिलित होने से हमारा यह सारा निर्यात खतरे में पड़ जायेगा ।

माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि वह हमारे निर्यात व्यापार की रक्षा के लिये क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं]

सरकार को यह भी बताना चाहिये कि वह ब्रिटेन की सरकार तथा युरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित देशों की सरकारों से प्रतिकर के रूप में क्या रियायतें प्राप्त करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में हमें ५,७५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जिसमें से ३,७०० करोड़ रुपये हमें निर्यात से मिलने की आशा है। ब्रिटेन के निर्णय के फलस्वरूप हमारी निर्यात की आय घट कर केवल २,७०० करोड़ रुपये रह जायेगी। यह एक गम्भीर घटना होगी, जिसका सामना हमें साहस के साथ करना पड़ेगा।

हमारी निर्यात संवर्द्धक परिषदें उतना अच्छा काम नहीं कर रहीं, जितना कि उन्हें करना चाहिये था। निर्यात व्यापार में विभिन्नता लाने के कार्य में हमें सफलता नहीं मिली।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चितलदुग) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज़फ्फरपुर) : ब्रिटेन को यथार्थ तथ्यों से विवश हो कर यूरोप के साझे बाजार में आना पड़ा है। यदि वह इस संगठन से बाहर रहता तो संभव है वह आर्थिक गड़बड़ का शिकार हो जाता और सम्भव है वह हमारे लिये बढ़ती हुई मंडी की व्यवस्था न कर सकता। इन कठोर तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिये।

वर्तमान यूरोपीय साझा बाजार शायद विश्व का सब से बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। निर्यात और आयात दोनों की दृष्टि से यह सब से बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है और इसकी उन्नति की रफ्तार भी बहुत तेज़ है। हमें संसार के इस महान् और उन्नतिशील बाजार का लाभ उठाने के लिये उपायों की खोज करनी होगी।

यदि ब्रिटेन साझे बाजार में सम्मिलित हो जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि १९६६ तक अर्थात् हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ब्रिटेन के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में १,००० लाख डालर तक की वृद्धि हो जायेगी। इसलिये वह हमारे लिये खपत की और भी मंडियां उपलब्ध करा सकेगा। परन्तु मेरा विचार है कि प्रशुल्क की दरें अधिक ऊंची नहीं होंगी। यह लगभग १२ प्रतिशत होगी जिसे पूरा करना हमारे लिये कठिन नहीं होना चाहिये।

जब कि ई० ई० सी० काफी तेज़ी से उन्नति कर रहा है, कम विकसित देशों के साथ इसके व्यापार की गति बढ़ नहीं रही। मूल्यों को स्थिर करने के मामले पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया। हमें व्यापार में अधिकाधिक उदारता लानी होगी और कम विकसित देशों के साथ व्यापार बढ़ाना होगा। इस बड़े व्यापार क्षेत्र से हमें कृषि उत्पाद के मूल्यों में स्थिरता लाने में सहायता मिलेगी।

एक सुझाव यह है कि विकसित देश एक दिशा के खुले व्यापार को प्रोत्साहन दें। इसका बहुत से विशेषज्ञों ने समर्थन किया है और इस संभावना की खोज की जानी चाहिये। तीसरा सुझाव यह है कि हमें ऐसी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात पर जोर देना चाहिये जिसमें पूंजी कुछ हद तक सीमित रहे और जिसमें हम इस कमी को अपनी श्रम की अधिक क्षमता से पूरा कर सकें। भारत के लिये कृषि उत्पाद का निर्यात करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हमारे लिये किस हद तक यह संभव होगा कि हम आधिक्य जमा करके लाभप्रद मूल्यों पर उसका निर्यात कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

अफ्रीका में लोहा अयस्क का उत्पादन बढ़ रहा है, विशषकर लाइबरिया में। तीन चार वर्षों में वह २,००० लाख टन अयस्क निर्यात कर सकेगा। इस दिशा में भी हमें प्रतियोगिता करनी वाली मंडियों का सामना करना पड़गा।

हमारा भविष्य औद्योगिक निर्यात विकसित करने में है। ये औद्योगिक वस्तुयें ऐसी नहीं होनी चाहियें जो औद्योगिक रूप से अत्यधिक उन्नत देश पैदा करते हैं बल्कि ऐसी वस्तुयें जैसे सूती कपड़ा।

हमारे लिये साझा बाजार पर दांत पीसने से कोई लाभ नहीं होगा। यह संभव है कि इस से कुछ राजनीतिक कठिनाइयां पैदा होंगी। यह भी संभव है कि अन्त में यह विश्व में खिचाव कम करने में भी सहायता देगा।

वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे उन्नत देशों के साझे बाजार में आ जाने से विकसित होने वाले देशों को नुकसान के बजाय लाभ पहुंचे और इनके विकास की गति तेज़ हो।

अन्तिम बात यह है कि भारत को संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के क्षेत्रीय प्रबन्ध करने के बारे में सोचना चाहिये। इन संभावनाओं की खोज करने के लिये एक अध्ययन मंडल बनाना चाहिये। हमें केवल राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रीय सहकारिता की दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिये।

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : साम्राज्यवादी देशों की सदा यह नीति रही है कि उनकी ओर से निर्यात अधिक हो और हमारी तरफ से कम हो। वे हमें अपनी औद्योगिक वस्तुओं के अधिक दाम देने के लिये भी विवश करते हैं। इन तथ्यों से कोई इन्कार नहीं कर सकता।

पौंड पावने के संबंध में हमारा ब्रिटेन से गठबन्धन है, इसलिये हमें निकट भविष्य में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। स्थिति का सामना करने के लिये हमें अपनी व्यापार नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये और हमें अन्य वस्तुओं का निर्यात करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें। इन वस्तुओं के निर्यात की कल्पना समाजवादी बाजार और अफ्रीका और एशिया के नवोदित देशों के बाजार को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। हमें विश्व में हुये परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिये और हमें ऐसे सब देशों के साथ व्यापार करना चाहिये जो हमारे साथ बराबरी का बर्ताव करने और हमें अपनी अर्थ व्यवस्था के विकास में सहायता देने के लिये तैयार हों।

जब तक हमारा निर्यात व्यापार विदेशी व्यापार संस्थाओं के हाथ में रहेगा तब तक हम भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निर्यात संबंधी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः सब से महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारा निर्यात व्यापार हमारे हाथों में लाया जाये। सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी चाहिये कि अन्य देशों के सहयोग के लिये जो करार किये जाते हैं उनमें हमारे देश से अन्य देशों को निर्यात किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध न रहे।

अन्तिम बात यह है कि निर्यात को बढ़ावा देने के नाम से हम श्रमजीवी वर्ग पर कोई भार न डालें और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के नाम से भी उन पर अधिक भार न पड़ने दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें ब्रिटेन या किसी अन्य देश के साथ गठजोड़ किये बिना अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति बनानी चाहिये। स्थानापन्न प्रस्ताव में जो सिफारिशें की गई हैं, उन्हें मान लिया जाना चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (वाराणसी) : इस प्रस्ताव पर किसी जोश के साथ नहीं बल्कि केवल आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। केवल इसलिये ब्रिटेन को बुरा भला कहना कि उसने अपने हितों की रक्षा के लिये एक कदम उठाया है, ठीक नहीं है । इस कदम के पीछे राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। इसलिये यह स्पष्ट है कि यह केवल आर्थिक प्रबन्ध नहीं है ।

वित्त मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया है कि ब्रिटेन के साझा बाजार में सम्मिलित हो जाने पर हमें कम से कम निकट भविष्य में तो हानि हो सकती है, इस समय तक हमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं—हमारी कुछ वस्तुयें निःशुल्क वहां भेजी जा सकती हैं। अब यदि यह प्रक्रिया बदल दी गई, जैसा कि वित्त मंत्री के वक्तव्य के पैरा ९ से मालूम होता है, हमें यह देखना होगा कि हम अपने हितों की रक्षा कैसे करें। हम ब्रिटेन को मुख्यतः पटसन, चाय, सूती कपड़ा और कृषि उत्पाद का निर्यात करते हैं। हमें कुछ वस्तुओं के निर्यात में न केवल ब्रिटेन में वरन् सभी पश्चिमी यूरोपीय बाजारों में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा।

जहाँ तक चाय का संबंध है, हमारे प्रतियोगी देश लंका तथा पूर्वी अफ्रीका हैं परन्तु यदि हम सतर्क रहें तो ब्रिटेन तथा दूसरे देशों में हमारी चाय की मंडी बनी रह सकती है ।

हमारे समक्ष इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने निर्यात व्यापार का निर्माण करें। इस दिशा में मुख्य बात यह है कि हमारे निर्यात की जो वस्तुयें हैं, वे न केवल मूल्य में अपितु गुण और कोटि में भी संसार भर की मंडियों में प्रतियोगिता कर सकें। गत १० वर्षों में आयोजित विकास के बावजूद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें अपने निर्यात पदार्थों में कुछ भिन्नता और कुछ विशेषता लानी चाहिये। सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि श्रमिक अधिक से अधिक उत्पादन करे और साथ ही उत्पादन की लागत में कमी हो। इस विषय पर विचार करते हुये हमें बड़े-बड़े वेतन लेने वाले अधिकारियों की बात भी सोचनी चाहिये जोकि प्रायः कुछ भी नहीं करते हैं। बल्कि कई बार वे भ्रष्टाचार का ही साधन बन जाते हैं ।

बिक्री के मामले में भी कुछ जोश देखने में नहीं आता। मंडी में वस्तुओं के विक्रय के जो साधन हम अपना रहे हैं, उनमें उपक्रम की भावना दिखाई नहीं देती । चाय के मामले में यह विशेष रूप से देखा गया है। चाय बोर्ड का कार्य भी सन्तोष-जनक नहीं कहा जा सकता । भारतीय चाय के पक्ष में प्रचार का नितान्त अभाव रहा है। निर्यात व्यापार बढ़ा नहीं, इसका एक कारण यह भी है कि हम अपनी व्यापारिक शुद्धता कायम नहीं रख रहे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

मेरा विचार है कि आर्थिक मामलों में तो हम तटस्थ नीति नहीं अपना रहे। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि किस ढंग से हम एशिया और अफ्रीका के देशों में अपने लिये अच्छी मंडियाँ तलाश कर सकते हैं, जिससे हमारे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हो । ब्रिटेन के यूरोपीय सांझे बाजार में दाखिल होने से हमें अपनी मार्केट को बढ़ाने में अधिक शक्ति और उपक्रम मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० कृष्णास्वामी** (चिंगलपट) : मुझे इस बात का हर्ष है कि हम यूरोपीय सांझा बाजार के विषय पर सभा में विवाद कर रहे हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सांझे बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश होने के तथा जिन शर्तों पर वह उक्त बाजार में दाखिल होगा, के परिणामों में हमें बहुत रुचि है। हमें उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये हमें ऐसा प्रतीत नहीं होना देना चाहिये कि हम भयभीत हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपने व्यापारिक ढाँचें में मौलिक परिवर्तन कर देने चाहिये। मैं इस सुझाव को व्यवहारिक नहीं मानता। इससे समस्या हल नहीं हो सकती।

जो स्थिति है और जिन शर्तों पर ब्रिटेन को सांझे बाजार में लाने का प्रबन्ध किया गया है, वे स्वयं ब्रिटेन पर ही निर्भर नहीं करती हैं, उनका संबंध दूसरे देशों से भी है। अतः मेरा मत तो यह है कि हमें यह पता करना होगा कि हम इस परिस्थिति का किस उत्तम रीति से सामना कर सकते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यूरोप में गुटबन्दी के नये ढांचे के फलस्वरूप जिस सीमा तक हमें हानि उठानी पड़ी है, उसको ध्यान में रखते हुये उन देशों का नैतिक दायित्व काफी अधिक हो जाता है। नैतिक दृष्टि से उन्हें हमारी यह हानि पूरी करनी चाहिये, क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि हमारा लक्ष्य एक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना करना है।

यह बात आज की प्रचलित विचारधारा के अनुसार ही है। इसलिये मेरा कहना है कि भारत दूसरे उन देशों के साथ मिल कर जिन पर ऐसा ही प्रभाव पड़ा है अपने मामले को पेश करे। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही विश्व के नीति विशारदों की विचारधारा पर प्रबल प्रभाव पड़ेगा। आज नहीं कल इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही होगा। और हानि की पूर्ति की बात माननी ही होगी। अच्छे पड़ौसी होने के नाते, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को विश्व के उस भाग की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान देना ही होगा जिसमें हम रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधि पश्चिमी यूरोप के देशों के सामने इस दृष्टिकोण को बलपूर्वक रखेंगे। अन्त में मैं हार्दिक कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर माननीय वित्त मंत्री महोदय अन्तर्राष्ट्रीय वित्त मंत्री सम्मेलन में जा रहे हैं वह सफल हो।

†**श्री सोमानी** (दोसा) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन के सांझा बाजार में सम्मिलित होने के कारण हमारे निर्यात व्यापार पर बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। इस समय भारत, पाकिस्तान और हॉगकांग से सूत खुला ब्रिटेन में जा सकता है। उस पर किसी प्रकार आयात शुल्क नहीं देना पड़ता। दूसरे देशों को ऐसा करने पर ७ $^{१}/_{२}$ प्रतिशत सूत पर और १७ $^{१}/_{२}$ प्रतिशत कपड़े पर शुल्क देना पड़ता है। १९६० में ब्रिटेन ने राष्ट्र मंडलीय देशों से ३,९४० लाख वर्ग गज कपड़े का आयात किया। इसमें से २,३१० वर्ग गज केवल भारत का ही था। इसके अतिरिक्त ९२ लाख पौंड भारतीय सूत भी ब्रिटेन में आयात हुआ। अतः स्पष्ट है कि इस व्यवस्था को आघात तो पहुंचेगा ही। अतः इसके कुछ निवारक उपाय किये जाने चाहिएं। वर्तमान स्थिति में भी पूर्व यूरोप के देश ब्रिटेन के साथ अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सफल हुए हैं तथा जब यह व्यवस्था कायम नहीं रही तो हमारे निर्यात व्यापार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को स्थिति का सामना करने के लिए सरकार तथा उद्योग को समस्या के दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन हल की खोज करनी चाहिए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी वस्तुओं को प्रतियोगिता के समर्थ बनाने के लिए अपने निर्माण की लागत में कमी करनी चाहिए तथा उनके गुण प्रकार में अपेक्षित सुधार करने चाहिएं। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समस्या का हल आधुनिक करण की गति को तेज करने में तथा हमारे विभिन्न उद्योगों में वैज्ञानिकन की प्रणाली को लाने में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ब्रिटेन तथा दूसरे देशों के साथ समझौता वार्ता के दौरान हमें इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे निर्यात लक्ष्यों को इस प्रकार से निर्धारित किया जाय जिससे हमें न केवल ब्रिटेन में प्रत्युत्त अन्य पश्चिमी यूरोप के देशों में अधिमान व्यवहार प्राप्त हो सके। और हमें इस दिशा में सचेत रहना चाहिए ताकि हम निर्यात मंडी से बाहर न निकाल दिए जायें। हमें अपने उत्पादन व्यय कम करने चाहिएं और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय और उसके लिए समुचित संरक्षण प्रदान किये जाने चाहिएं।

†**श्री मुहम्मद इमाम** (चित्तलदुर्ग) : सांझे बाजार की समस्या सचमुच बड़ी विकट समस्या है। अपने मूल प्रस्ताव में भी मैंने यही व्यक्त किया है। इस बात को लेकर राष्ट्र मंडलीय देशों में नहीं अन्य देशों में भी तरह-तरह के विवाद हो रहे हैं। इस दिशा में मेरा निवेदन यह है कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारा निर्यात कम न हो। यह भी खेद की बात है कि हमारी सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है, इस पर भी हमारा व्यापार सन्तुलन कम होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त सब से महत्वपूर्ण बात जिसका सम्बन्ध हमारे हितों से है वह यह कि यूरोपीय सांझा बाजार में ब्रिटेन के शामिल हो जाने पर यदि हमें दी गयी विशेष रियायतें समाप्त कर दी गयीं तो हमारा व्यापार निश्चय ही घट जायेगा। यदि हमारी यह इच्छा है कि हमारा निर्यात व्यापार बढ़े तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वस्तुएं विदेशी बाजारों में मूल्य और किस्म में अन्य देशों से प्रतियोगिता करने के योग्य होनी चाहिएं। और इस दिशा में काफी सचेत रह कर हमें मंडियों में अपना स्थान प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो हम इस दिशा में काफी पिछड़ जायेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रिटेन को हमारी ओर से इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि हमें अब तक जो रियायतें मिलती रही हैं वे सांझा बाजार के अन्य देशों द्वारा भी दी जाती रहें। यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि हमारे हितों की रक्षा करना इंग्लैंड का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि ब्रिटेन का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि उनके यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने से यदि राष्ट्रमंडलीय देशों के हितों को हानि पहुंचती है तो उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। वह भारत के हितों के प्रति काफी जागरूक हैं और देश के हित को हानि नहीं पहुंचने देंगे, यह जानकर मुझे काफी सन्तोष है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : आप कहें तो मैं पांच मिनट में ही खत्म कर दूं। सभापति महोदय, मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं :

मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर सदन में विचारों में काफी सहमति है, और जो अपना वक्तव्य वित्त मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में दिया उसकी तफसील में किसी को कोई मतभेद हो तो हो लेकिन साधारण रूप से सभी सहमत हैं। जहां तक ब्रिटेन के यूरोपियन कामन मार्केट में शामिल होने का सम्बन्ध है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, यह सही है, पर इसी के साथ साथ यह भी सही है कि इस तरह के संगठन प्रतिक्रियावादी होते हैं। यदि एक ओर कहीं कोई अविकसित या अर्द्धविकसित क्षेत्र हो और दूसरी तरफ कोई विकसित क्षेत्र हो और उनमें कोई इस तरह का संगठन हो तो कहा जा सकता है कि एक तरफ से कच्चा माल चला जायेगा और दूसरी तरफ से बना हुआ माल आ सकेगा और आपस में संगठन होगा तो किसी का शोषण नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जो संगठन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

बना है जिसमें ब्रिटेन शामिल होने को है, वह दुनियां के उन देशों का शोषण कर सकता है जो कि अर्द्ध-विकसित या अविकसित हैं जिनमें हिन्दुस्तान और अफ्रीका के दूसरे देश भी शामिल हैं ।

रोम की जो सन्धि है उसके जो आर्टिकल्स हैं उनमें साफ इस तरह की बात है कि जो उनके डिपेंडेंट मुल्क हैं, उन देशों से जो कि उनके ऊपर निर्भर होंगे, उनसे उसके विशेष सम्बन्ध होंगे । इसके माने हैं कि वह उनका शोषण करना चाहता है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि जहाँ पर हिन्दुस्तान के हितों की, हिन्दुस्तान के व्यापार की हितों की रक्षा की जानी चाहिए, उसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ब्रिटेन से हमेशा के लिये सम्बन्ध रख कर हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते । इसलिये बिना किन्हीं ब्लाकों का ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान का विदेशी व्यापार सभी देशों के साथ अधिक से अधिक बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिये ।

यह सही है कि आप हिन्दुस्तान से ज्यादातर कच्चे माल का निर्यात कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हिन्दुस्तान बने हुए माल के निर्यात करने की स्थिति में होगा । उस वक्त मैं समझता हूं कि यूरोप के उन देशों के साथ, जिन्हें ई० ई० सी० या ई० सी० एम० के देश कहा जा सकता है, हिन्दुस्तान से माल के निर्यात होने का प्रश्न अधिक नहीं उठेगा । जब तक कच्चा माल जाता है तब तक ही यह सावल उठेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार इस समस्या पर गम्भीर रूप से इस तरह से सोचे कि पश्चिमी यूरोप के अलावा भी जो मुल्क ऐसे हैं जिनसे हमें पक्का या बना हुआ माल बड़ी तादाद में मिल सकता है उनसे उसे लिया जाय । जब तक इस तरह की स्थिति नहीं होती है तब तक मैं समझता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं हो सकता कि हम ब्रिटेन से यह सिफारिश करें, ब्रिटेन पर यह जोर डालें, कि हिन्दुस्तान को अभी तक जो सुविधायें ब्रिटेन को माल निर्यात करने के लिये मिलती रही हैं, वे उनको प्राप्त रहें । यह स्पष्ट है कि इस सदन में जो चर्चा हुई है और मुल्क के बाहर जो विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये गये हैं उनसे मालूम होता है कि हिन्दुस्तान का जो माल ब्रिटेन जा रहा है और उसकी जो सुविधायें भारत को मिली हुई हैं, अगर वे सुविधायें नहीं रहती हैं तो निश्चित रूप से हम इन मुल्कों से, जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था विकासशील है, मुकाबला नहीं कर सकेंगे । खास तौर से जो कपड़े का सवाल है, जो चाय का सवाल है, जो जूट का सवाल है, यह इस तरह के सवाल हैं जिनसे हम काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं, और जिस पर हमारा विदेशी व्यापार भी बहुत बड़ी तादाद में निर्भर करता है । इसलिये जहाँ तक हो सके वित्त मंत्री को यह प्रयत्न करना चाहिए कि जो सुविधाएं हिन्दुस्तान को अब तक रही हैं वे रहें और इसके लिये मैंने अपने संशोधन में एक बात रखने की कोशिश की थी । मुझे मालूम पड़ा कि यह संशोधन इस प्रस्ताव में नहीं आ सकता कि हिन्दुस्तान को कामनवेल्थ से अलग हो जाना चाहिए ।

कहा जा सकता है कि हम कुछ लोग हैं जो हमेशा एक ही तरह सोचते हैं, चाहे दिन हो या रात हमेशा हम यही कहेंगे कि हमें कामनवेल्थ में नहीं रहना चाहिए ।

†**सभापति महोदय**: मैंने इस अंश को हटा दिया है । यह राजनीतिक प्रश्न नहीं, आर्थिक प्रश्न है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं यह जानता हूं कि आपने इसे आउट आफ आर्डर घोषित कर दिया है जहां तक राजनीतिक प्रश्न का सवाल है, यदि हम इस सारे यूरोपियन कामन मारकेट की व्यवस्था को देखें तो यह सब राजनीति से सम्बन्धित है, लेकिन मैं आपके आदेश को मानता हूं और इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि अगर ब्रिटेन को यह मालूम होता कि

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान हमेशा हमेशा के लिए उसका पिछलगुआ बनने वाला नहीं है तो शायद वह यूरोपियन कामन मारकेट में शामिल होने से पहले कुछ ज्यादा ध्यान इस बात पर देता। लेकिन चूंकि ब्रिटेन को मालूम है कि हिन्दुस्तान हमारा पिछलगुआ है, चाहे वह विदेशी नीति का मामला हो या कोई और मामला हो, इसलिये उसने इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया।

यह यूरोपियन कामन मारकेट एक राजनीतिक प्रश्न है, इसमें आर्थिक कोई चीज नहीं है। यह तो पूर्वी यूरोप के प्रदेशों के साथ कम्पिटीशन करने के लिऐ एक प्रकार की गुटबन्दी है। लेकिन मैं इसमें इस समय नहीं जाना चाहता। इस समय तो मैं हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा के बारे में कहना चाहता हूं।

जहां तक हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा का प्रश्न है हम को प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश मारकेट में इस समय जो सुविधायें मिली हुई हैं उनको कायम रखा जाय भले ही ब्रिटेन कामन मारकेट में शामिल हो जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी समझता हूं कि हिन्दुस्तान को कुछ नए मार्गों का भी दर्शन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि दुनिया का जो राजनीतिक मार्ग है उसी के अनुसार यह आर्थिक मार्ग भी होगा। वे देश जिनकी नीति हिन्दुस्तान की नीति से मेल खाती है और जो अविकसित या अर्ध-विकसित हैं, जिनमें एशिया के बहुत से देश आते हैं, और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र जो नई नई आजादी प्राप्त कर रहे हैं उनको एकत्र होकर अपने व्यापार के सम्बन्ध में भी समुचित नीति निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि भविष्य के लिये कुछ अच्छी नीति निर्धारित की जा सकेगी।

मुझे मालूम है कि वित्त मन्त्री जी इस सम्बन्ध में चर्चा चलाने के लिये बाहर जा रहे हैं। मुझे आशा है कि वह हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा करने में समर्थ होंगे :

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : साझे बाजार सम्बन्धी इस विवाद में जिन महानुभावों ने भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इतनी बातों के सुनने के पश्चात् भी मैं यह समझ नहीं सका कि इस दिशा की कठिनाइयों को सुलझाने के लिये क्या किया जाय। यदि ब्रिटेन साझा बाजार में सम्मिलित हो गया तो यह वास्तविकता है कि हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना ही होगा। मैं यह भी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने ब्रिटेन को यह बता दिया है कि हमें उसके साझा बाजार में सम्मिलित होने के निर्णय से व्यापक चिन्ता हो गयी है। हमने उसे यह भी स्पष्ट कहा है कि वह जो भी कार्य करे उसमें हमारी कठिनाइयों की ओर उसका ध्यान हमेशा रहना चाहिये। उन कठिनाइयों को देखते हुए ही इस दिशा में कोई निर्णय करना चाहिये। हमारे हित में क्या बात है और ब्रिटेन को क्या करना चाहिये यह हमने उसे बता दिया है, परन्तु करना न करना तो उसके अपने हाथ में। ब्रिटेन चाहता यही है कि सांझा बाजार के देश इस बात को स्वीकार कर लें। परन्तु हमारी कीमत पर ब्रिटेन को अपने लाभ की बात नहीं सोचनी चाहिए।

मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हम इस मामले को लेकर ब्रिटेन पर अथवा कुछ अन्य देशों पर दोषारोपण करें तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमारा हित इस बात में है कि हम अपना निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार करें और हो सके तो विभिन्न देशों से इस मामले पर बातचीत करते रहे। इसके लिये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस दिशा में भिन्न भिन्न

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

वस्तुओं को निर्यात करने के लिये प्रयत्नशील हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी वस्तुओं का और देशोंमें भी अधिक से अधिक निर्यात हो। इससे हमें स्थायी लाभ होगा और व्यापार में हमारा स्थान बनेगा।

[श्री हेडा पीठासीन हुये]

और आज वैसे भी स्थिति हमारे पक्ष में काफी सुधर रही है हम इसमें किसी से पीछे नहीं हैं। परन्तु जो रियायतें मिलती रही हों उन्हें त्याग देना भी कठिन होता है। क्योंकि उन्हें एकाएक छोड़ देने से हानि पहुंचने का भारी खतरा रहता है। आज भी लगभग स्थिति ऐसी ही है। परन्तु हमें कोई निराशा नहीं है। अन्ततोगत्वा हम अवश्य इसका ऐसा समुचित हल ढूंढ लेंगे कि हमारे हित में अच्छा ही रहेगा।

यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि यूरोप का साझे बाजार में सम्मिलित होना हर प्रकार से हमारे लिये हानिकारक होगा। यह सम्भव है कि यदि कुछ और प्रबन्ध किये जायें तो यह हमारे व्यापार वृद्धि में सहायता पहुंचा सकता है। यदि वे प्रबन्ध न किये गये तो इससे हमें अधिक हानि भी हो सकती है। ये दोनों ही बातें सच हैं। किन्तु जब बातचीत चल रही हो तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि हमें क्या करना चाहिये अथवा क्या नहीं करना चाहिये बड़ा कठिन है। ऐसी स्थिति में, जबकि बात चल रही है, उन्हें बन्द कर देना भी बुद्धिमानी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बारे में कोई सूचना न तो ठीक ही और न उचित ही यही कारण था कि मैंने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी थी। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जिन्होंने कि यह प्रस्ताव रखा है वह आशा नहीं करेंगे कि मुझे कुछ बताना चाहिये। यह एक ऐसा मामला है जहां हमारे हित समान हैं। यदि हमारे काम करने के तरीके भी एक समान हो जायें तो हमारी स्थिति और भी मजबूत हो जाये। अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि हमारी स्थिति निरन्तर दृढ़ होती चली जाये।

निर्यात का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे विकास के लिये अभी ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आगामी समय में भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। हमें उस स्थिति पर पहुंच जाना है जहां हमारे निर्यात हमारे आयात की अपेक्षा अधिक हो जायें। आजकल हमारा आयात अधिक है। हम पूंजीगत माल, कच्चा सामान, पुर्जे, आदि का आयात करते हैं जो हमारे औद्योगिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी आशा है कि कुछ समय तक हमारा यह आयात बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारा निर्यात उसी अनुपात से नहीं बढ़ रहा है।

मेरा विचार है कि यह कहना गलत होगा कि निर्यात बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। इस विश्व में जहां कि प्रतियोगिता काफी बढ़ी चढ़ी है, निर्यात बढ़ाना सरल कार्य नहीं है। किन्तु हम ऐसे विभिन्न उपायों की खोज कर रहे हैं जिनसे हम निर्यात व्यापार बढ़ाते जा सकें। इसी प्रयोजन से हम अपने उद्योगों का विकास कर रहे हैं और अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं। कोई भी देश हम से चीजें हम को खुश करने अथवा हम पर आभार प्रकट करने के लिये नहीं खरीदता। यह भी सच बात है कि सहायता व्यापार का रूप नहीं ले सकती। एक समय वह भी था जबकि विकसित देशों ने अपना विकास दूसरों के आधार पर किया था। आज वे इस बात का अनुभव करते हैं कि उनका ऐसा करना विश्व के लिये हितकर नहीं है। आज सभी इस बात को मानने लगे हैं। लेकिन मानना एक बात है और अपने हित को छोड़ना दूसरी बात है। जो माननीय सदस्य मुझे ऐसा करने की सलाह देते हैं क्या वे स्वयं ऐसी स्थिति में ऐसा करने को तत्पर होंगे। यह ठीक है कि आज पिछड़े हुये देशों की सहायता की जा रही है, परन्तु किसी भी कीमत पर हमारी सहायता हो ऐसा हम कदापि नहीं चाहते। हम तो उन सभी साधनों को खोज निकालना चाहते हैं जिससे कि निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। ब्रिटेन में जितने का हम जितना निर्यात करते हैं लगभग उतनी राशि

का वहां से इधर आयात भी हो जाता है। यह आदान प्रदान की राशि लगभग १८० करोड़ रुपये की है। श्री ब्रजराज सिंह ने एशिया अफ्रीका के देशों में जाने की बात कही है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि इन देशों से वे चीजें नहीं मिलतीं जो हम आयात करना चाहते हैं, हमें आयात करना ही पड़ता है। एशिया अफ्रीका के देशों को तो हमें यह भी कहना पड़ेगा कि जितना वे हमें निर्यात करते हैं उतना हम से भी खरीदा करें। जिससे हमारा और उनका व्यापार सन्तुलित अवस्था में आ सके।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

इसी दृष्टि से हम अपने उद्योगों का विकास कर रहे हैं। और योजनाओं में भी यही कार्यक्रम निहित है। जो कुछ मैंने अपने वक्तव्य में कहा है उससे स्पष्ट बात इस दिशा में और क्या कही जा सकती है। इससे अधिक मेरे बस की बात नहीं है। और यह बात भी नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों से कुछ छिपा रहा हूं। और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसके लिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे सारे सदन का समर्थन प्राप्त है। क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके सामने देश का हित ही मेरा लक्ष्य है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मेरा निवेदन यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे समस्या हल होती दिखाई नहीं देती। इस दिशा में श्री मुहम्मद इमाम का संशोधन भी समस्या को हल नहीं करता। मेरा निवेदन है कि ब्रिटेन के समक्ष यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने की जो कठिनाई है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह स्थिति इस लिए पैदा हुई है कि ब्रिटेन अब ऐसी स्थिति में है कि उसने यह जान लिया है कि उसे सांझा बाजार में शामिल होना ही पड़ेगा। आशा है कि वर्तमान कठिनाई हमें अपने निर्यात को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगी। हम क्या कर पायेंगे इसके बारे में एक दम क्या कहा जा सकता है। वैसे ब्रिटिश प्राधिकार हमें सारी परिस्थिति की जानकारी देता रहता है। स्थिति को देखते हुए हम सांझा बाजार के देशों से अपने सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापारिक सन्तुलित कायम रहे। अतः यह श्री इमाम के संशोधन से भी समस्या हल नहीं होती।

दूसरा संशोधन श्री ब्रजराज सिंह का है। हम एशिया और अफ्रीका के देशों से अधिक से अधिक व्यापार सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं, परन्तु इसका यह अर्थ कि अन्य देशों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध ही हैं नहीं। मेरा मत यह है कि इससे कुछ सहायता नहीं मिलती। इसी प्रकार का तीसरा संशोधन मेरे माननीय कम्यूनिष्ट मिड़ का है। इसी प्रकार का संशोधन राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया गया था। मेरा निवेदन है कि यदि हम अपने निर्यात व्यापार का इस समय राष्ट्रीकरण करें, तो हम अपने व्यापार में कमी कर लेंगे। बल्कि हम उससे हाथ ही धो बैठेंगे। जहां तक विदेशों से किये गये करारों का सम्बन्ध है हम भारतीय उत्पादित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबन्धों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि कोई हमारे साथ व्यापार या उद्योग में सहकारिता देता है, तो वह ऐसा स्वयं को हानि पहुंचा कर नहीं कर सकता। मैं यह भी कहूंगा कि वे यह भी अनुभव करते हैं कि यह चीज अधिक देर चल नहीं सकतीं। अतः हमें सहयोग देना और भारत में मंडिया बनाना उन के लिए हितकर है। प्रत्येक देश अपने लिए अवसर पैदा करना चाहता है। इस लिए इस मामले में हमें सभी लोगों के प्रति ठीक रवैय्या रखना चाहिए यदि हम हर तरफ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं।

निर्यात व्यापार केवल कहने से नहीं हो जाता। निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए बात चीत और बहुत सी अन्य चीजें करनी पड़ती हैं। यदि राष्ट्रीयकरण द्वारा ऐसा हो सकता तो हम कर देते, किन्तु मुझे विश्वास है कि इस समय राष्ट्रीयकरण करने से हम अपना व्यापार खो बैठेंगे।

हमारी व्यापारिक नीति का पुनरीक्षण प्रतिवर्ष और प्रतिमास होता है और होता रहेगा; क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपना निर्यात व्यापार बनाये रख सकते हैं।

[श्री मोरारजी देसाई]

हम यथासंभव यह भी कोशिश करते हैं कि हमारा निर्यात व्यापार भारतीय बैंकों द्वारा हो, किन्तु जिस देश के साथ हमारा व्यापार है, वह भी ऐसा करेगा। जो हमारे फायदे में हो, हम वही करते हैं ।

निर्यात संवर्द्धक परिषद के काम के पुनर्गठन के बारे में कहा गया है। ऐसी परिषदें एक नहीं कई हैं और हम उन का काम बढ़ा रहे हैं। माननीय सदस्यों को शायद यह मालूम नहीं ।

इस संशोधन में कोई नई चीज नहीं है । जो हमारे लिए लाभदायक हो, पुरानी बातें तो पहले चल ही रही हैं। अतः मैं कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव रखता हूं ।

†**श्री मुहम्मद इमाम** : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ पर आग्रह नहीं करता ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

†**श्री ब्रजराज सिंह** :मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ पर आग्रह नहीं करता ।

स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या २, सदन की अनुमति से, वापस ले लिया गया ।

स्थानापत्र प्रस्ताव संख्या ३, अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

नवास्सवीं रिपोर्ट

†**सरदार अ० सिं० सहगल (जंजगीर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नवास्सीवें प्रतिवेदन से, जो ६ सितम्बर, १९६१ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नवास्सीवें प्रतिवेदन से जो ६ सितम्बर, १९६१ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २५ अगस्त, १९६१ को प्रस्तावित डा० क० ब० मेनन के निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरंभ करेगा :

"इस सभा की यह राय है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों के उपलब्ध अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अन्य नगरों में जारी की जाये"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) . संकल्प का एक उद्देश्य अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है । दूसरा उद्देश्य यह है कि इस योजना को अन्य क्षेत्रों में भी चालू किया जाये ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

यह योजना दिल्ली में लगभग एक लाख बीस हजार सरकारी कर्मचारियों और उन के परिवारजनों पर लागू होती है । इन की कुल संख्या ५ लाख के करीब है । अब समय आ गया है कि उन लोगों को भी डाक्टरी सहायता दी जाये, जो इन सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकते ।

दिल्ली और नई दिल्ली में इस योजना के अन्तर्गत ४० केन्द्र और ५ गाड़ियां हैं । इन ४० केन्द्रों में से १४ में जैसा कि चांदनी चौक, पहाड़गंज, गोल मार्केट आदि में बहुत भीड़ रहती है और इस लिए सेवा संतोषजनक नहीं होती ।

१९५९ के एक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष में सामान्यत: व्यवस्था यह रहती है कि लगभग १२० लोगों को एक डाक्टर प्रतिदिन देखता है । एक औषधालय में ९०० से १००० तक रोगी आते रहे । मेरा विचार है कि दिन भर में एक डाक्टर ७२ रोगियों से अधिक को देख नहीं सकता । १०० से अधिक रोगी तो किसी भी अवस्था में एक डाक्टर के सुपुर्द नहीं होने चाहियें । और इसके लिये अधिक डाक्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिये । औषधालयों में भीड़ भाड़ बहुत अधिक रहती है । डाक्टरों के काम का बोझ कम किया ही जाना चाहिये । इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि काम का विकेन्द्रीयकरण किया जाना चाहिये और अधिक संख्या में औषधालय खोले जाने चाहियें । इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोगों को औषधियां समुचित रूप में और ठीक समय पर मिल सके । वित्रण केन्द्रों से विभिन्न औषधालयों को औषधियां शीघ्रता से भेजी जानी चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि रोगियों को विशेष दवाइयों के अभाव के कारण हानि उठानी पड़े । दवाइयों के गुण प्रकार का प्रभाव भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये

काम शीघ्रता से हो इस बात को दृष्टि में रखते हुये मेरा यह भी निवेदन है कि डाक्टरों का अधिक से अधिक समय रोगियों को देखने में ही लगना चाहिये । उन पर लिखा पढ़ी का काम नहीं डाला जाना चाहिये दवाइयों इत्यादि के हिसाब रखने के काम का बोझ भी उन पर नहीं होना चाहिये इन कामों के लिये नर्सें नियुक्त की जानी चाहियें मेरा यह भी कहना है कि स्टाफ नर्सों तथा कलर्कों की संख्या बढ़ाई जानी चाहियें । औषधालयों में कलर्कों के कार्य के लिये भी महिलाओं को ही नियुक्त करना चाहिये ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : सभानेत्री महोदया, संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

अन्त में मेरा यही कहना है कि यह सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है । परन्तु फिर भी इसमें सुधारों की गुंजाइश है । लोगों को सन्तोषजनक सेवा प्राप्त हो, रोगियों को सन्तोषजनक ढग से देखा जाय और डाक्टरों को ठीक ढंग से मुआवजा मिले । डाक्टरों के लिये कार्यस्थान के निकट ही कहीं आवास व्यवस्था भी की जानी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं माननीय मंत्री उनका परीक्षण करेंगे ।

जो प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य डा० क० ब० मेनन ने सदन् के सामने उपस्थित किया है उसके पीछे जो खयाल है वह बहुत ही सुन्दर है । अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना चला कर केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को डाक्टरी सहायता देने की जो योजना बनाई है वह भी एक प्रशंसा की चीज है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव का आशय यह है कि जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना दिल्ली और नई दिल्ली में चल रही है उसको अन्य शहरों के लिये भी जहां कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हों, बढ़ा दिया जाय। उनके लिये भी इस योजना को लागू किया जाय। अब वैसे देखा जाय तो यह विचार बहुत अच्छा है लेकिन जैसे कि अभी उन्होंने अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए बतलाया कि दिल्ली और नई दिल्ली में यह योजना जो चालू की गई है और उसके अन्तर्गत को जो काम हो रहा है वह हर तरीके से संतोषप्रद नहीं है तो फिर यह कैसे समझा जाय कि अन्य शहरों में यह योजना बगैर खामी के चल सकेगी और संतोषजनक सिद्ध हो सकेगी ? दवाओं के समुचित वितरण के अभाव में, डाक्टरों की कमी में या दूसरे जो और काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें कमी होने के कारण लोगों की जिस प्रकार से उचित देखभाल और सेवा सुश्रुषा होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है। जहां तक मैं ने इस सेवा योजना के संचालन को देखा है यद्यपि डाक्टर्स लोग बहुत महनत से काम करते हैं और इसके कर्मचारी भी जहां तक हो सकता है अधिक से अधिक समय देने की कोशिश करते हैं और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि रोगी की सुश्रुषा और देखभाल ठीक तरह से हो फिर भी डाक्टरों के अभाव में और दूसरे कर्मचारियों के अभाव में जिस मुस्तैदी और जिस तत्परता के साथ सेवा सुश्रुषा का काम होना चाहिये यह नहीं हो पा रहा है . . . .

मैं यह कह रहा था कि जो सेवा की योजना है उसमें बहुत खामियां आ गई हैं और दिल्ली और नई दिल्ली में भी सेवा योजना का जिस तरीके से संचालन होना चाहिये वह कई कारणों से जैसे दवाओं के अभाव या डाक्टर्स के अभाव अथवा दुसरे कारणों से, जिस तरीके से इसका संचालन होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। इसमें खामियां पाई जाती हैं।

बीमारी की जांच के लिये जो अस्पतालों में क्लीनिकल अरेंजमेंट है जहां तक मुझे मालूम हो सका है वहां भी जांच करने वाले डाक्टरों का बहुत ही अभाव है। एक तो रोग की जांच ठीक से नहीं की जाती है क्योंकि जांच करने के वास्ते बहुत काफी तादाद में पर्चे मौजूद रहते हैं और समय चूंकि बहुत कम रहता है इसलिये जांच ठीक से नहीं हो पाती है। उस ओर भी ध्यान देने और आवश्यक सुधार करने की बहुत गुंजाइश है।

जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने भी बतलाया है डाक्टर्स और दूसरे कर्मचारी जितने होने चाहियें वह आज मौजूद नहीं हैं और इसके अलावा भी जो दवा की व्यवस्था है और जैसा कि मैं ने सुना है और जाना है कि डिस्पैंसरीज में जो डाक्टर्स बैठते हैं उनको सभी दवाएं मरीजों को देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी रोगी को कोई खास दवा देने की जरूरत महसूस होती है तो डिस्पैंसरी के डाक्टर्स को दूसरे डाक्टर अर्थात् अस्पताल के स्पेशलिस्ट्स के पास उनको भेजना पड़ता है और नतीजा यह होता है कि समय पर रोगी को उचित व आवश्यक दवाई नहीं मिल पाती है। इसके अलावा ऊपर के डाक्टर के पास रेफर करने में भी उनको जरा आनाकानी होती है कि वह क्या समझेगा और अक्सर होता यह है कि रोगी को जो दवा मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है। यही सब देख कर मैंने अपना सब्स्टीच्यूट मोशन रक्खा है कि इस सेवा योजना को अन्य शहरों में बढ़ाने के सवाल पर विचार करने के हेतु एक कमेटी की स्थापना की जाय जो तमाम समस्या पर गौर करे। जब दिल्ली और नई दिल्लीं में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में खामियां मौजूद हैं तब मैं नहीं समझता कि अगर इस योजना को अन्य शहरों में बढ़ाया गया तो वहां यह अधिक कारगर सिद्ध हो सकेगी और वर्तमान हालात में इससे लोगों को विशेष फायदा नहीं होगा इस लिये कुछ दिनों तक दिल्ली और नई दिल्ली में तजुर्बा कर के उस तजुर्बे के आधार पर अगर दूसरे शहरों में इस योजना का विस्तार किया जायगा, तो कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा। मेरे संशोधन

का तात्पर्य यह है कि एक कमेटी बिठाई जाये, जो इस बातकी जांच करे कि उन अन्य शहरों में, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं, कहां तक इस योजना का विस्तार किया जा सकता है। अगर समुचित जांच-पड़ताल के बाद वह कमेटी इस मत पर पहुंचे कि दूसरे शहरों में इस का विस्तार होना चाहिए, तो फिर वह एक कार्यक्रम (प्रोग्राम) बनाये कि किन किन शहरों में और किस तरीके से इस की व्यवस्था की जाये ।

जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, मैं समझता हूं कि अभी सरकार के लिये इस को मन्जूर करना सम्भव नहीं है । मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी हम दिल्ली और नई दिल्ली में इस का पूरा तजुर्बा हासिल नहीं कर पाये हैं और जो प्रबन्ध डाक्टरों, कर्मचारियों और दवायों आदि का करना चाहिये, वह पूरी तरह से नहीं कर पाये हैं । ऐसी हालत में दूसरे शहरों में इस योजना का विस्तार करना लाभदायक नहीं होगा । लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिल्ली और नई दिल्ली में इस योजना से लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरे शहरों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी इस का फ़ायदा जल्द से जल्द मिले, इस का कार्यक्रम बनाना जरूरी है । यह तभी हो सकता है, जब कि एक छोटी सी कमेटी बनाई जाये, जो इस विषय में जांच-पड़ताल कर के दूसरे शहरों के लिये कोई कार्यक्रम बनाये ।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन को पेश करता हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को कम से कम मान लेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना दूसरे शहरों में जल्द से जल्द लागू की जा सके ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र, डा० के० बी० मेनन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जहां तक इस योजना का ताल्लुक है, इस में कोई शक नहीं कि यह एक बहुत अच्छी और लाभदायक योजना है और दिल्ली में रहने वाले चाहे कोई भी, कैसे भी कर्मचारी हों, वे इस से फ़ायदा उठा रहे हैं । जहां तक मैं ने देखा है, वहां पर दवाओं का अच्छा बन्दोबस्त है और डाक्टर भी अच्छे तरीके से मरीज़ों की देख-भाल करते हैं, जिस की वजह से इस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है । बहुत सी आटानोमस बाडीज़ और सैमी-गवर्नमेंट आरगेनाइज़ेशन्ज़ ने इस बात की कोशिश की है कि कान्ट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस की योजना उन के यहां भी लागू की जाये । मुझे बताया गया है कि दिल्ली में चौबीस एसी संस्थायें हैं, जिन्होंने इस में सफलता प्राप्त की है और उन के कर्मचारी इस से लाभ उठा रहे हैं । जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा है, यहां पर चालीस सैंटर हैं, जिन में ३८ सैंटर काम कर रहे हैं और दो सैंटर अभी बाकी हैं, जिन को जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है ।

जहां तक इस योजना का सवाल है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास वगैरह में रहने वाले जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उन को भी इस से लाभ हो, मैं समझता हूं कि यह बड़ा अच्छा ख्याल है और अब न सही, आगे चल कर सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वे लोग भी इस योजना से लाभ उठा सकें । मैं तो इस से भी आगे बढ़ कर यह चाहता हूं कि सूबों की सरकारें भी इस योजना को अपनायें और केन्द्रीय सरकार उस सिलसिले में उन की सहायता करे ।

जहां तक हैल्थ का सवाल है, सरकार का यह फ़र्ज़ है कि वह लोगों की तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिये उन के इलाज के लिये अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे । मैं देखता हूं कि इस दिशा में कान्ट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस स्कीम का जो कार्य चल रहा है, वह संतोषजनक है । बहुत सी जगह, जहां यह योजना लागू नहीं है, मैं देखता हूं कि अस्पतालों में डाक्टर हैं, तो दवायें नहीं हैं । मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी की बात कहना चाहता हूं कि मैं ने बहुत से ऐसे अस्पताल देखे हैं, जहां एक एक साल से

[श्री मोहन स्वरूप]

डाक्टर नहीं हैं, दवाओं और स्टाफ़ की तो बात ही दूसरी है। बहुत सी जगह मैं ने देखा है कि दवायें हैं और डाक्टर नहीं हैं और कहीं डाक्टर नहीं है और स्टाफ़ मौजद है। ऐसी स्थिति में जनता की सेहत का कैसे इन्तज़ाम हो सकता है और कैसे उस के इलाज की व्यवस्था हो सकती है ? इस लिये मैं चाहता हूं कि कान्ट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस स्कीम सूबों में भी लागू हो और केन्द्रीय सरकार इस के लिये अच्छी तरह से सहायता करे, क्योंकि यही एक योजना है, जिस के अन्तर्गत लोगों को दवायें मिल सकती हैं और चिकित्सा की दूसरी सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं।

इस सिलसिले में मैं कांट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस स्कीम की कमियों के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं ने यह देखा है कि बाज़ ऐसे मर्ज़ हैं, जिन की दवा तीन महीने के बाद नहीं मिलती है। कहा जाता है कि तीन महीने तक सरकार की तरफ़ से दिये जाने की इजाज़त है और उस के बाद अपनी जेब से ख़रीदिये। मेरे कुछ साथियों को डायबिटीज़ की शिकायत है, लेकिन उन को रेस्टीनान की गोलियां नहीं मिलती हैं। मैं चाहूंगा कि जहां और महंगी महंगी दवाओं का प्रबन्ध है, वहां रेस्टीनान जैसी दवाओं का भी प्रबन्ध होना चाहिए। कोई भी मर्ज़ हो, उस का समुचित इलाज होना चाहिए और जो दवायें उस के लिये आवश्यक हैं, उन का प्रबन्ध होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सिलसिले में उचित व्यवस्था करेंगे।

जो घनी बस्तियां हैं, जहां लोग काम-काज में बहुत ज्यादा मसरूफ़ रहते हैं, वहां मोबाइल वन्ज़ का इन्तज़ाम हो, जिन में डाक्टर बैठे और दवाओं का भी वहां इन्तज़ाम हो। मैं समझता हूं कि इस तरह से उन बस्तियों में रहने वाले कर्मचारियों की सेहत की देख-भाल का अच्छा बन्दोबस्त हो सकता है।

मैं ने देखा है कि रात के समय डाक्टर सैंटर पर नहीं रहते हैं। पांच के बाद वे चले जाते हैं। अगर कुछ और न हो सके, तो कम से कम एक कम्पाउंडर सैंटर पर रहे, जो टैम्प्रेचर ले सके और दवा की थोड़ी बहुत व्यवस्था कर सके।

कान्ट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस स्कीम के सैंटर्ज़ में मैटर्निटी फ़ैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर कोई ऐसी आवश्यकता होती है, तो वहां से दूसरे अस्पतालों में भर्ती करने के लिये रीकमेंड कर दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि अगर सब सैंटर्ज़ में नहीं, तो कम से कम सिलेक्टिड सैंटर्ज़ में मैटर्निटी फ़ैसिलिटीज़ मुहैया की जायें और वहां पर लेडी डाक्टर, नर्सों और इस किस्म की दवाओं की व्यवस्था हो।

अक्सर देखा गया है कि एलोपैथिक दवायें नहीं मिलती हैं। आज जब कि हिन्दुस्तान में देसी चीज़ों की तरफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इन सैंटर्ज़ में देसी दवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस के अलावा होम्योपैथिक डिस्पैंसरीज़ कायम कर के उन में हाम्योपैथिक दवाओं का प्रचलन हो। इस से फ़ीस को कम कर के तीन रुपय से एक, डेढ़ रुपया किया जा सकता है। यह व्यवस्था सस्ती भी होगी और मरीज़ों को दवायें भी अच्छे तरीके से मिल सकेंगी।

जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा है, बाज़ औकात दवायें जब खत्म हो जाती हैं, तो इन्डेन्ट भेजना पड़ता है और उस में दो तीन दिन लग जाते हैं। अगर मरीज़ को समय पर दवा न मिले—उस को सुबह ज़रूरत हो और दवा उस को दूसरे दिन मिले—तो इससे अच्छा असर पड़ने वाला नहीं है। दवाओं के स्टाक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा है—जिस से मैं बिल्कुल सहमत हूं—डाक्टरों का दवाओं के स्टाक से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक सैंटर में

एक स्टाक-मैन हो, जो कि दवाओं की देख-भाल करता रहे और इस बात का ख्याल रखे कि जो दवा खत्म हो रही है, उस को मंगाने का प्रबन्ध किया जाये । इस से काफ़ी सुधार हो सकता है ।

डाक्टर साहब ने यह भी कहा है—और मैं भी महसूस करता हूं—कि सैंटर्ज़ में दवाओं का जो स्टाक आता है, वह फ्रैश नहीं होता है । बाज़ औकात देखा गया है कि ऐसी दवायें दी जाती हैं, जिन की एक्स्पायरी डेट करीब है और करीब एक महीने या पंद्रह रोज़ का फ़र्क रह गया है । ऐसी दवाओं का प्रभाव ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे वे सल्फ़ा ड्रग्ज़ हों और चाहे एन्टी-बायाटिक्स । इस लिये मेरा सजेस्शन है कि वहां पर फ्रैश दवायें मंगाई जायें और आउट-डेटिड दवायें स्टाक में न रखी जायें ।

मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक्स-रे का इंतिज़ाम बहुत ही कम जगहों पर है । जब किसी को एक्स-रे करवाने के लिए कहा जाता है तो ऐसा करवाने के लिए उसको बिलिंगडन अस्पताल या किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है । वहां पर भी एक तरह का डिसक्रिमिनेशन किया जाता है । कुछ लोगों को तो एक्स-रे का फोटो फ्री मिल जाता है और कुछ दूसरे लोग हैं जिन को इस के लिए फी देनी पड़ती है । आज जबकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और समाजवाद की बात की जाती है तो यह जो सुविधा है, यह सभी को समान रूप से मिलनी चाहिये और किसी प्रकार भी कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये । एक को काफी फ्री मिलती है तो दूसरे को भी फ्री मिलनी चाहिये । ऐसा इंतिज़ाम भी होना चाहिये कि एक्स-रे की आज जो दिक्कत है, वह दूर हो ।

एक और भी दिक्कत की बात है । सी० एच० एस० सैंटर्ज़ में अगर किसी को यूरीन और ब्लड टैस्ट करवाने के लिए कहा जाता है तो मरीज़ों को दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए कहा जाता है और दो तीन दिन के बाद टैस्ट हो कर वह चीज़ आती है । अगर इसका प्रबन्ध सभी सैंटर्ज़ में नहीं किया जा सकता है तो कम से कम सिलैक्टिड सैंटर्ज़ में तो किया ही जा सकता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि सिलैक्टिड सैंटर्ज़ में यूरिन और ब्लड को टैस्ट करने का समुचित प्रबन्ध हो ताकि आसानी से और जल्दी इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो सके ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि यह स्कीम कामयाब हो और चाहते हैं कि इसका प्रचलन ज्यादा से ज्यादा हो तो जो कमियां मैंने बताई हैं, उन को दूर करने का वह प्रयत्न करें ।

मैं एक बार फिर जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसका विस्तार दूसरे शहरों में भी हो और साथ ही साथ राज्यों में भी इसका विस्तार हो और केन्द्रीय सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करे ।

श्री शंकर देव (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सभानेत्री जी, इस प्रस्ताव का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त चलाई जा रही है, इसके अन्तर्गत एलोपेथिक सिस्टम को ही कम्पलसरी किया गया है, एलोपेथिक ड्रग्ज़ का ही उसके अन्दर इंतिज़ाम किया जाता है । इसका मतलब यह हुआ कि तमाम गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स या और भी जो कोई इसका मैम्बर बनता है, उन सब को कम्पलसरिली एलोपेथिक दवायें लेनी पड़ती हैं । जो लोग इस सिस्टम में विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग आयुर्वेदी के अंदर विश्वास रखते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अन्दर विश्वास रखते हैं, नेचर क्योर के अन्दर विश्वास रखते हैं या किसी दूसरे सिस्टम के अन्दर विश्वास रखते हैं, उनके लिए कोई भी इसके अन्दर इंतिज़ाम नहीं है कि वे इन सिस्टम्ज़ से इलाज करवा सकते हैं । इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं ।

[श्री शंकर देव]

हमारा देश गांधी जी के आदर्शवाद को ले कर चल रहा है और गांधी जी ने अपने जीवन में नेचर क्योर का प्रयोग किया है, प्राकृतिक चिकित्सा का उन्होंने प्रयोग किया है और उन्होंने लोगों से भी यह कहा है कि यही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जोकि किसी रोग को भी जड़ से खत्म करती है और दूसरी जो दवायें हैं वे रोग को जड़ से निकाल बाहर नहीं फेंकती हैं, केवल ऊपर से ही लीपा पोती करती हैं । इस चीज़ को पश्चिम के लोगों ने भी रीयलाइज़ कर लिया है । मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है कि मैं पश्चिम के देशों मे जाऊं और मैंने देखा है अमरीका के अन्दर, कनाडा के अन्दर,यू०के० के अन्दर तथा दूसरे देशों के अन्दर भी जहां मैं घूमा हूं कि इस एलोपेथिक सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ा रिएकशन हुआ है । असल में पश्चिम के देशों के अन्दर जब कोई चीज़ चलती है तो वह जब तक हिन्दुस्तान के अन्दर आती है, तब तक पुरानी पड़ जाती है और पुरानी हो कर ही यहां वह आती है । व लोग दूसरी चीज़ों को शुरू कर देते हैं और वह उनके लिए नई होती हैं लेकिन जब तक वह नई चीज़ भी यहां आती है, वह पुरानी हो चुकी होती है । जब वह यहां आती है तो हमारे लिए वह नई होती है । इसी तरह से एलोपेथी एक नई चीज़ हमारे देश में आई ऐसा लोग समझते भी हैं । लेकिन वास्तव में देखा जाये तो पता चलेगा कि पश्चिम के लोगों ने इस ड्रगिंग के सिस्टम को इस वास्ते छोड़ दिया है क्योंकि यह पुराना पड़ गया है और इसके खिलाफ एक बड़ा विद्रोह सा खड़ा कर दिया है । आज हम नये नये इंजैक्शंज़ लोगों को दे रहे हैं, पैनिसिलीन दे रहे हैं और इस तरह की सभी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और बड़े शौक के साथ कर रहे हैं । लेकिन मेरा कहना यह है कि ये सब चीजें पुरानी पड़ गई हैं । आज हमें अपने जीवन को नेचर के, प्रकृति के नजदीक लाने की कोशिश करनी चाहिये और इस दृष्टि से गांधी जी के उपदेश को अपने जीवन के अन्दर उतारना चाहिये। उन्होंने एक बहुत बड़ा सन्देश दिया है अपनी वाणी के द्वारा और अपने साहित्य के द्वारा । बड़ा सुन्दर साहित्य उन्होंने इस विषय में लिखा है । आप उसको देख सकते हैं । इस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि सी० एच० एस० के द्वारा सब लोगों के गले इस एलोपैथी को उतारना गलत चीज़ है । आनरेबल मैम्बर्ज़ से भी कांस्टीट्यूशन कम्पलसैरिली काटा जाता है । इस वास्ते वे लोग सोचते हैं कि क्यों इन दवाओं को लेने के लिये उनको मजबूर किया जाता है । इस बात को सभी जानते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम किसी बीमारी में इमिडिएट रिलीफ तो देता है और ऐसे ही देता है जैसे भूसे पर लीपना लेकिन किसी भी रोग को यह सिस्टम और भी अधिक कम्पलीकेटेड बना करके चला जाता है । इस चीज को जो साइंटिस्ट हैं वे भी स्वीकार करते हैं ।

ऐसी हालत में मेरा यह कहना है कि इस सी० एच० एस० को एक्सटेंड करने से पहले हम लोग यह भी सोचें कि क्या इस बारे में हम लोगों के साथ जबर्दस्ती करें और अगर ऐसा किया जाता है तो क्या यह उचित होगा और क्या हम उन्हें कहें कि उनको एलोपैथी ड्रग्ज़ का उपयोग करना ही पड़ेगा ? इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं कि इसको और जगहों पर भी एक्सटेंड किया जाए । इसके अलावा आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है और दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं और मैं चाहता हूं कि जिनकी तनख्वाह में से पैसा काट लिया जाता है उनको यह अल्टरनेटिव दिया जाए कि जिस सिस्टम के अन्दर उनका फेथ है, उस सिस्टम से वे अपना इलाज करवा सकते हैं । मैं हूं, मैं आयुर्वेद में फेथ रखता हूं तो मुझे सहूलियत दी जानी चाहिए कि मैं इस सिस्टम से इलाज करवा सकूं । इसी तरह से अगर मेरा विश्वास प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है तो मेरे लिये उसका प्रबन्ध होना चाहिये । अगर किसी का एलोपैथी के अन्दर विश्वास नहीं है तो इसके अन्दर यह भी प्राविज़न होना चाहिए कि यह चीज उसके ऊपर जबर्दस्ती नहीं लादी जायेगी। इस वास्ते जबतक ऐसा नहीं होता है तब तक

तो इसको बिल्कुल ही एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए । अगर कोई यह लिख देता है कि उसका होम्योपैथी के अन्दर विश्वास है या आयुर्वेदी के अन्दर विश्वास है या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अन्दर विश्वास है तो उसके ऊपर यह सी० एच० एस० लागू नहीं होनी चाहिये । अगर इसको कम्पलसरी किया जाता है तो मैं मंत्रालय से कहूंगा कि वह इन तमाम सिस्टम्ज़ के जरिये इलाज करवाने का प्रबन्ध करे ।

एक आयुर्वेद के डाक्टर ने कहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली जो है वह एक दैवी चिकित्सा पद्धति है डिवाइन ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है वह मानवीय चिकित्सा पद्धति है, ह्यूमन सिस्टम है और जो एलोपैथी है वह राक्षसी चिकित्सा पद्धति है क्योंकि वह चीरफाड़ में विश्वास करती है । चीरफाड़ के अलावा वह कुछ नहीं करती । अगर किसी को टांसिल्ज़ हो गए तो कोई यह नहीं देखता है कि क्या ये पेट की खराबी की वजह से तो नहीं हुए हैं या किसी और चीज़ के खराब होने की वजह से तो नहीं पड़े हैं बल्कि वे छुरी लेकर उनको काट देंगे । अगर किसी को पाइल्ज़ हो गए तो यह नहीं देखेंगे कि कंटिनुअस कांस्टीपेशन की वजह से तो ये नहीं हैं और छुरी लेकर पाइल्ज़ को काट देंगे । इस राक्षसी सिस्टम को हमने एडाप्ट किया है ।

मैं चाहता हूं कि हम महात्मा गांधी के आदर्श को सामने रखें और मैं यह भी चाहता हूं कि उनके आदर्श के अन्दर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम इस बात का इन्तिजाम होना चाहिए कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति द्वारा वे अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो वह हो सके । मैं यह नहीं कहता हूं कि इसको आप कम्पलसरी करा दें । जिनका जिसमें विश्वास है उनको उस पद्धति द्वारा इलाज करवाने की सहूलियतें दी जानी चाहिये ।

इसको एक्सटेंड किये जाने का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं और जो इस वक्त नियम है, इसको भी खत्म करके आल्टरनेटिव अगर लोगों को दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा ।

यहां पर हमारे एक बन्धु थे, शायद उनको बोलने का मौका नहीं मिल सका, इसलिये मैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूं कि कंट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जो नेम्स कार्ड के अन्दर रहते हैं केवल उन्हीं को दवा मिलती है । उनके साथ जो रिलेटिव्ज रहते हैं उनको नहीं मिलती ।

एक माननीय सदस्य : सर्वेंट्स को भी नहीं मिलती है ।

श्री शंकर देव (गुलबर्गा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : तो मेरे दोस्त का यह सजेशन है । कि जो रिलेटिव्ज बाहर से आते हैं उनको भी दवा मिलनी चाहिए, भले ही वह **अनपेमेंट** हो । बात यह है कि कहीं पर एक ही अस्पताल है और किसी को तकलीफ हो गई, भले ही वह उसका भाई बन्धु या चपरासी हो, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दूसरे अस्पताल दूर पर होते हैं और वहां पर उसको जाना पड़ता है जब कि अपने लिये उसको सी० एच० एस० से दवा मिल सकती है । इसलिये मैं मंत्रालय से विनती करूंगा कि कम से कम १से लेकर जो कार्ड-होल्डर क बन्धु हैं उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं, लेकिन मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं कि उसको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके अन्दर कम से कम खर्च आता है और उसमें संयम है, नियम है, एक पूरे जीवन का आदर्श है जो कि जीवन को सुधारता है । महात्मा गांधी जी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा को पुरजोर तरीके से चलाया । इसका पूरा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि हमको योग्य चिकित्सक मिल सकें । गवर्नमेंट को इसको

[श्री शंकर देव]

रिकग्नाइज़ करने से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों के अन्दर संयम और नियम के प्रति आदर बढ़ेगा। यही मुझको आयुर्वेद के सम्बन्ध में भी कहना है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : सभापति महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, केवल एक बात ही कहना चाहती हूं कि जो एम० पी० ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं रहती हैं, उनके नौकरों को भी सी० एच० एस० से दवा मिलनी चाहिये।

†**श्री कोंडियान** (क्विलोन-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्तुत संकल्प का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सुधार करने के जो सुझाव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनका भी मैं समर्थन करता हूं। इस संकल्प को पारित किया जाना चाहिए। कुछ बातें इस दिशा में भी प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन यह है कि औषधालयों में बच्चों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। डाक्टरों के घरों में टेलीफोन लगाने चाहिएं ताकि हर समय आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस योजना के अन्तर्गत चलने वाले औषधालय रविवार को खुलने चाहिएं, डाक्टरों को सप्ताह में एक दिन उसके बदले में छुट्टी दी जा सकती है। इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सरकार को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर भी विचार करना चाहिये। अच्छा तो यह होगा कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में बदल दिया जाये। सरकारी क्षेत्र में दवाइयों के निर्माण की भी योजना बनाई जानी चाहिए, जिससे लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकें।

सरदार अ० सि० सहगल (जंजगीर) : सभानेत्री महोदया, जो रिजोल्यूशन हमारे आनरेबिल मैनन साहब लाए हैं, उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अभी उस पर दिल्ली और नई दिल्ली में तजरबा किया जा रहा है। इससे सरकारी नौकरों को फायदा मिल रहा है। हमको अभी यह देखना है कि हम इस स्कीम को दिल्ली और नई दिल्ली में कहां तक कामयाब बना सकते हैं।

श्री मैनन ने कहा है कि इस स्कीम को दूसरे शहरों में भी बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि अभी वह वक्त नहीं आया है कि इसको दूसरे शहरों में बढ़ाया जा सके। अभी हमको यहां एक कमेटी बना कर यह देखना है कि ये स्कीम यहां पर किस हद तक कायमयाब रही है और इसको आगे बढ़ाने की कहां तक गुंजाइश है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स सामने आती हैं और इस स्कीम को अपनाती हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इस स्कीम को अपनाएंगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको जरूर मदद मिलेगी, यह निश्चित है।

मैं आपके सामने बड़े अदब के साथ कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। आपकी जो कंट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम है यह विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में है और वहां लोग जाते हैं और उनको दवायें और डाक्टरी मदद मिलती है। मैं अर्ज करूं कि सफदरजंग अस्पताल के पास आपने आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस खोला हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप सफदरजंग अस्पताल को इस इस्टीट्यूट में मिला दें और कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम को उससे अलग रखें। इससे यह होगा कि जो सीरियस केसेज होंगे वे इंस्टीट्यूट में जायेंगे जहां पर उनके बारे में अच्छी तरह रिसर्च भी हो सकेगी और उनको अच्छी मदद भी मिल सकेगी। इसके अलावा आपने इस आल

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस में एम० बी० बी० एस का कोर्स भी रख दिया है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा न करें। आप इस इंस्टीट्यूट को केवल रिसर्च के लिये रखें ताकि इसमें खास खास बीमारियों के बारे में खोज की जा सके। यहां पर रिसर्च स्कालर्स को रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनका ठीक से इन्तिजाम कीजिए। आज हालत क्या है ? आपने एक प्रेसीडेंट बना दिया है। लेकिन उस प्रेसीडेंट में और आपके हैल्थ डिपार्टमेंट में खींचतान रहती है जिससे उनको जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। मेरा सुझाव है कि इसका प्रेसीडेंट खुद मिनिस्टर को होना चाहिए ताकि वहां के काम में ढील न हो।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरों को डाइबटीज की दवा देना बन्द कर दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : तीन महीने के बाद।

सरदार अ० सि० सहगल : जो भी हो, लेकिन यह चीज अच्छी नहीं है। जब कि वह कंट्रीब्यशन देते हैं और उनको यह बीमारी है तो उनको मदद की जानी चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर विचार करें।

इस स्कीम के लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि अभी इसमें कुछ कमियां हैं। डाक्टरों की कमी के कारण और स्टाफ के पूरे तौर पर ट्रेंड न होने के कारण लोगों को पूरी सहूलियत नहीं मिल पाती। इस कमी को दूर करने पर आपको विचार करना चाहिये। इसी लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे शहरों में यदि आप इस स्कीम को बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारी चीजों पर विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे।

अगर आप आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंस और सफदर जंग अस्पताल को मिला दें तो मैं समझता हूं कि खर्च में कमी हो जायेगी। मैं यह नहीं चाहता कि कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम से लोगों को फायदा न हो, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने खर्च को कम कर सकें और हमारे जो मैडिकल एक्सपर्ट हैं उनको इस इंस्टीट्यूट में रखा जाए। मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने आदमी यहां ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिये और ये लोग यहां से जाकर अपने प्रान्तों में प्रचार करें। ये जो एक्सपर्ट तैयार हो कर अपनी स्टेटों में जायेंगे वहां यह काफी अच्छा काम कर सकेंगे।

अगर हमारी कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम के बारे में रिपोर्ट फेवरेबिल आती है तो हम इसको आगे बढ़ा सकेंगे। अभी तो मैं जो यह दिल्ली और नई दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम है इसका समर्थन करता हूं, पर जहां तक उसको दूसरे शहरों में एक्सटेंड करने का सवाल है मैं समझता हूं कि उसके लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं डा० मेनन के संकल्प का समर्थन करता हूं। वेतन आयोग ने भी इस प्रकार की सिफारिश की है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे नगरों में भी चालू किया जाना चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि उन असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को, जिनके प्रधान कार्यालय कोन्टोन्मेंट क्षेत्र में हैं या जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते, और उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। मेरा इस दिशा में निवेदन है कि इस मामले में किसी से पक्षपात नहीं होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

योजना का विस्तार तो होना ही चाहिए परन्तु मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि विस्तार करने से पूर्व उसकी कार्य सम्बन्धी त्रुटियां दूर की जानी चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत क्षय रोगियों की उचित चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाये और उन्हें सवेतन छुट्टी भी दी जाय। एक बात की ओर मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत किसी श्रेणी के आधार पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। इन शब्दों से मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : सभानेत्री महोदया, इस प्रस्ताव पर विचार करते समय मुझे क्षोभ होता है और मुझे लगता है कि सदन के दूसरे अधिकांश सदस्यों के प्रतिकूल मेरा मन दूसरी दिशा में काम कर रहा है। मेरे जी में यह ख्याल आता है कि स्वराज्य इस देश में जो हमने पाया तो क्या उस स्वराज्य रूपी वृक्ष से जो फल निकलने वाले हैं उन सारे के सारे फलों को जो हम पार्लियामेंट के सदस्य हैं अथवा जो कर्मचारी इस शासन रूपी को चला रहे हैं उन तक ही हम उनको सीमित रखना चाहते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि क्या हम देशके गांव गांव में जो गरीब और मुफलिस आदमी तड़प रहे हैं उन तक हम दवादारू का पूरा इंतजाम कर सके हैं? अपने देश के गरीब और बेकस किसान की शक्ल मेरी आंखों के सामने तैर जाती है। मेरी आंखों के सामने एक दुखियारी मां की गोद में एक तड़पता हुआ बच्चा है, पानी उसकी झोंपड़ी में बरस रहा है और वह बीमार बच्चा दवादारू के अभाव में मां की गोद में तड़प रहा है और दम तोड़ रहा है। उधर गांवों में हम लोगों के वास्ते दवादारू का इन्तजाम नहीं कर सके हैं लेकिन पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये हम ने यह दावादारू का बंदोबस्त कर लिया। काश उस दिन मैं इस सदन में उपस्थित होता जब कि यह कंट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम स्वीकृति हुई थी। मैं अवश्य इसके बारे में कहता कि आखिर यह कहां का न्याय है? अब अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी दवादारू के वास्ते इंतजाम है लेकिन हमारे लाखों गरीब भाई जो कि गांवों में रहते हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं उनके वास्ते हमने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया है। हमने अपने वास्ते जो यह इंतजाम कर लिया है तो क्या हमने यह भी सोचा हैकि लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे। शहरों में रहने वाले आदमियों के वास्ते और सरकारी कर्मचारियों के वास्ते तो दवादारू का बंदोबस्त है लेकिन गांवों में जो लोग बसते हैं उनको यह सुविधा सुलभ नहीं है। उचित तो यह था कि ऐसे गरीब लोग जो कि दूर जगहों में देहातों में रहते हैं उनके लिए आज कोई इस तरह का माकूल बंदोबस्त किया जाता क्योंकि वे हमारी सहानुभूति और सहायता पाने के अधिक पात्र हैं।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों के लिए इस सेवा योजना का सम्बन्ध है यह स्वागत योग्य है और यह ठीक भी है कि हमारे कर्मचारी जो कि जनतांत्रिक प्रशासन के अन्तर्गत काम करते हैं वे स्वस्थ रहें। मैं यह नहीं चाहता कि उनको तकलीफ हो जरूरी है कि अधिक से अधिक आराम उनको पहुंचे। अधिक से अधिक सुख और सुविधा उनको पहुंचे ताकि वह शासन का काम ठीक तरीके से कर सकें। लेकिन दूसरे नक्शे भी मेरी आंखों के सामने हैं। क्या वह किसान इस देश के सेवक नहीं हैं? क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी ही इस देश के सेवक हैं? क्या वह मजदूर या वह चर्मकार भाई जो कि दूर बस्ती में बैठा जूते के टांके लगा रहा है वह क्या इस देश का सेवक नहीं है। वह मोची जो कि गरीब आदमियों के वास्ते बैठा जूते बना रहा है क्या वह गवर्नमेंट का ऐम्पलाई नहीं है? क्या वह भारत माता की संतान नहीं है? इन गरीबों की उपेक्षा आज के युग में किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं ठहरायी जा सकती है। गरीब आदमी तो बगैर इलाज के तड़प तड़प कर मर जाय और पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी एम० पी० यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

बीमार पड़ जायें तो उनको सभी उचित डाक्टरी सुविधा दी जाय, यह हम सही कर रहे हैं या गलत इस पर हमें अपने दिलों पर हाथ रख कर सोचना होगा ।

दुर्भाग्यवश जब यह सेवा योजना यहां सदन से स्वीकृत हुई थी तो मैं सदन का सदस्य न था लेकिन आज जब इसको अन्य शहरों में बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया है तो मुझे यह थोड़ा सा निवेदन करने का मौका मिला है और मैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक सदन के सामने यह विचार रखता हूं कि आज के हालात में जब कि गांव के गरीब लोगों को डाक्टरी सुविधा हमने सुलभ नहीं की है इस सेवा योजना को केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सारे देश में बढ़ाने के क्या हम हकदार हैं । हमारा पहला कर्त्तव्य तो यह है कि जो आदमी इनसैनिटरी कंडीशंस में पड़े हुए हैं और उनको ऐसे क्षेत्र में हमने सर्विस दी है जिसकी कि वजह से उनको बीमारीहोती है उनके लिए हम कंट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम का इंतजाम करें लेकिन ऐसे आदमी जो कि इनसैनिटरी कंडीशंस में नहीं रह रहे हैं और जिनको कि उनकी सेवाओं के लिए पैसा मिल रहा है केवल उनके वास्ते ही हम यह सुख सुविधा देने की दिशा में सोचें, क्या यह चीज ठीक है ? आज इस देश के सामने और इस सदन के सामने मैं यह प्रश्न रखता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभानेत्री महोदया, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं और मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस व्यवस्था को बढ़ायेंगे एक तरीके से हम इस ख्याल को बढ़ावा दे रहे हैं कि हर एक इंसान विशेष कर सरकारी कर्मचारी डाक्टरी सेवा के लिए जो कि उसे दी जाय उसके लिह वह कुछ न कुछ अदा करे । वैसे मैं जानता हूं और जैसे कि हमारे भाई श्री श्रीनारायण दास ने बतलाया कि जैसे कि लोग तवक्को करते हैं उस हद तक इस सेवा योजना के तहत लोगों को सेवा प्राप्त नहीं हो सकी है । मैं मानता हूं कि इसमें कमी है लेकिन तो भी इसबात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह कंट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस स्कीम काफी आगे गई है और लोकप्रिय साबित हुई है । इसलिए लोग इस स्कीम को बढ़ावा देना चाहते हैं । अब इसमें जो कुछ खामियां हैं या इक्के दुक्के भाई खराबी करते हैं उनको दूर होना ही चाहिए । लेकिन अब अगर कोई भाई यह समझते हैं कि इस सेवा के द्वारा ऐसा इंतजाम किया जा सकता है कि चाहे कितनी भी मंहगी दवाई क्यों न हो वह बीमार को अवश्य ही पहुंच जायगी तो यह कुछ ठीक न होगा । अब हम लोकसभा के सदस्यों के इस स्कीम के मातहत साढ़े ४ या ५ रुपये कटते हैं और उस ५ रुपये के भीतर कोई बढ़िया से बढ़िया दवाई १०० या २५० रुपये की हमें या किसी सरकारी नौकर को मिल हकेगी, तो मैं समझता हूं कि वह एक ग़लत आशा है और अगर ऐसी ग़लत आशा हम लोग न रखें, तो अच्छा है । लेकिन एक बात सही है कि दवाओं की भी और डाक्टरों की भी व्यवस्था कुछ न कुछ अच्छी ही होती है और इस तरह से सरकार के पास कुछ पैसा भी पहुंच जाता है, जिस के ज़रिये वह अपने चिकित्सा के काम को, दवा-दारू के काम को बढ़ावा दे सकती है । उस नुक्ताए ए-निगाह से मैं नहीं जानता कि इस बारे में प्रस्तावक महोदय के दिल में क्या ख्याल है मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं कि एक तरफ लाखों भाइयों की कुछ रुपया माहवार देने पर डाक्टरी इमदाद हो सकेगी और दूसरी तरफ़ सरकार को डाक्टरों और दवा-दारू को इन्तज़ाम करने के लिये कुछ पैसा मिल सकेगा । वर्ना मैं जोशी जी की इस बात को मानता हूं कि जैसाकि गांधी जी सोचते थे, चाहे तालीम हो, दवा हो या कोई और अच्छी व्यवस्था हो, हम सोचें कि वह सारे हिन्दुस्तान के लोगों के लिये हो । आप जानते हैं कि आज ऐसे इलाके भी हैं, जहां के लोगो को ज़िंक लोशन या टिंक्चर आइयोडीन भी नहीं मिल सकता है । अगर वहां पर खेत पर काम करते हुए किसी को सांप काट खाये, या दूसरे ऐसे हालात का सामना करना पड़े, तो उस के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

कोई सुविधा नहीं है। आखिर वे भी इस देश के वासी हैं। मैं मानता हूं कि जैसा बड़ा इन्तज़ाम हम नई दिल्ली में करते हैं, वैसा इन्तजाम हम शायद दूसरी जगह न कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल में उन इलाकों के लिये भी उस इन्तजाम को बढ़ावा देना अच्छा है, चाहे उस में कुछ खामियां रहें।

जहां तक देहात का वास्ता है, यह बात सही है कि ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं, जिनमें डाक्टर और दवाओं का ठीक इन्तज़ाम होता है, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां दवायें नहीं हैं, या डाक्टर नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहां पर जिस चीज़ की कमी हो, उस को पूरा करने की कोशिश की जाये। यह भी सही है कि अगर कोई डाक्टर दिल्ली में पढ़ा हो, तो कुदरती तौर पर उस की यह ख्वाहिश होती है कि वह दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास जैसे बड़े शहर में नौकरी करे। वह ऐसे देहात में कैसे जाना पसन्द करेगा, जहां से अपने घर पहुंचने में पांच दस दिन लगें। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि सरकारी नौकरी में वही डाक्टर आये, चाहे वह इस स्कीम के मातहत हो, चाहे दूसरी जगह हो, जो उससे पहले कम से कम तीन चार साल देहात में ग़रीब आदमियों की सेवा कर दे। मैं चाहता हूं कि इस देश में वह दिन आये, जबकि हर एक काश्तकार को यह हक हासिल हो कि वह कुछ पैसा देकर कान्ट्रीब्यूट्री हैल्थ सर्विस स्कीम के तहत अपनी चिकित्सा का इन्तजाम कर सके।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : सात वर्ष हुए, यह अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को चालू किया गया था। यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा है और सरकारी कर्मचारी इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं। कुछ एक कठिनाइयां इस मामले में प्रारम्भ से ही रास्ते में आती रही हैं जिसके परिणामस्वरूप इसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी। बाधाओं और रुकावटों के बावजूद काफी व्यापक क्षेत्र पर इसका प्रभाव है और सरकारी कर्मचारियों की बहुत सी आवश्यकतायें यहां पूरी हो जाती हैं। जब तक यह योजना दिल्ली में पूरी तरह सफल नहीं हो जाती इसको अन्य क्षेत्रों में लागू करने की बात नहीं कही जा सकती। दिल्ली का परिणाम जान कर ही इसका और आगे विस्तार करने की सिफारिश की जायेगी। इस दिशा में मेरा अनुभव यह है कि केवल धन का ही मामला नहीं है। इसके लिए इमारतों की भी कमी है। इस आवास के प्रश्न को भी हल किया जाना है। इतने लोग इन डिस्पैन्सरियों में आते हैं कि डाक्टर उन्हें ठीक ढंग से देख भी नहीं पाते।। यह ठीक है कि कुछ इमारतें इस योजना के अन्तर्गत बन रही हैं। अतः इस बारे में जो कठिनाइयां हैं, उन्हें तुरन्त हल करना सम्भव नहीं।

मेरा मत तो यह है कि इस योजना के अन्तर्गत औषधालयों में रात दिन अर्थात् २४ घंटे की सेवा की व्यवस्था होनी चाहिये। कई बार घंटों लोगों को इन औषधालयों में प्रतीक्षा करते ही लग जाती है, जिससे लोगों में काफी असन्तोष भी होता है। इसके अतिरिक्त अच्छे स्तर की औषधियों को भी चालू की जानी चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को समेकित सेवा बना दिया जाये तथा उसके यथा-सम्भव अधिक से अधिक दोष दूर कर दिये जायें। ऐसी व्यवस्था भी की जानी चाहिये कि समय समय पर योजना का मूल्यांकन हो सके और जहां तक सम्भव और उचित हो योजना में सुधार होते जायं इस बात की समुचित रूप से जांच पड़ताल की जानी चाहिये कि इस योजना को यदि दिल्ली के बाहर के नगरों में विस्तार किया गया तो क्या परिणाम रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री केशव** (बंगलौर) : हमारे स्वास्थ्य मन्त्री इस स्वास्थ्य योजना के अग्रदूत हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस योजना के अन्तर्गत बहुत ही लाभदायक कार्य हो रहा है। इसका विस्तार किया जाना चाहिये। परन्तु मेरा दिवेदन यह है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रथम क्रम सिद्ध होना चाहिए था। इस योजना का विस्तार इस कार्य को करने का एक साधन है। जहां तक योजना की त्रुटियों का प्रश्न है, मेरा मत यह है कि उन्हें अधिक से अधिक दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। परन्तु इस बात की प्रतीक्षा करते रहना कि योजना त्रुटिहीन होने पर ही विस्तार के योग्य होगी गलत बात है। योजना का विस्तार तो कर ही देना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रोगों की रोकथाम की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि समस्त अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में योगाभ्यास की कक्षायें खोली जायं। मेरी यह भी मांग है कि असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाय। ऐसा प्रबन्ध सब स्वास्थ्य केन्द्रों पर करना चाहिए, केवल कुछ केन्द्रों पर नहीं। इससे दवाइयों की आवश्यकता भी कम हो जायेगी।

अतः मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि यह योजना अन्य शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू की जाये।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहिये।

†**श्री करमरकर** : मैं प्रस्तावक का आभारी हूं कि उन्होंने यह संकल्प लाकर हमें बहुत से सुझाव प्राप्त करवाये हैं। जिन से सरकार लाभ उठायेगी। यह तथ्य कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के विस्तार की मांग की गई है इस बात का प्रमाण है कि योजना ने सन्तोषजनक ढंग से काम किया है। यदि योजना सफल न सिद्ध हुई होती, तो किसी सदस्य ने इसके विस्तार की मांग न की होती।

पहले सरकारी कर्मचारी बीमारियों के इलाज के लिय जो खर्च करते थे, सरकार उन्हें वह वापस देती थी। किन्तु वह सेवायें इतनी सन्तोषजनक नहीं थीं। उन्हें गैर-सरकारी डाक्टरों के पास जाना पड़ता था, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यद्यपि सरकार अंशदायी योजनाओं में कुछ धन लगा रही है, तथापि वह लाभ नहीं कमाना चाहती।

मधुमेह जैसी बीमारियों में, जो बहुत देर तक रहती हैं, हम तीन मास तक मुफ्त दवाइयां देते हैं। यदि हम सदा के लिये दवाइयां देते रहें, तो इस से करदाता पर अनावश्यक भार पड़ेगा, क्योंकि एसी बीमारियों की कोई अवधि नहीं होती और मधुमेह तो कभी दूर नहीं होती। ऐसी बीमारियों को छोड़ कर योजना के अन्तर्गत सभी रोग में जिन में क्षय रोग तथा कैंसर भी शामिल हैं, चिकित्सा के लिए सारी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। क्षय रोग ग्रस्त रोगियों के लिय सवेतन छुट्टी की व्यवस्था करने का प्रश्न गृह-कार्य मन्त्रालय के विचार करने योग्य है।

चर्चा के दौरान में जो विभिन्न सुझाव दिये गये हैं, मैं उन के आधार से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि यह योजना या कोई अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना इतनी अच्छी हो जितनी कि इंग्लैण्ड की योजना है। मैंने वहां के स्वास्थ्य मन्त्री से पूछा था कि क्या आप के लोग सन्तुष्ट हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहे कुछ करे, सभी लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते। पहले वहां नकली दांत और चश्मे मुफ्त दिये जाते थे। बाद में यह बन्द कर दिया गया। फिर उन्होंने देखा कि ऐसे लोग भी चिकित्सालय में जा रहे हैं, जिन्हें नहीं जाना चाहिये था।

प्रत्येक देश में इस प्रकार की कठिनाई है। कोई व्यक्ति जो बीमार नहीं है, डाक्टर से कुछ न कुछ दवाई ले आता है। इंग्लैण्ड में भी यही अनुभव किया गया। इसलिये उन्होंने मामूली बीमारियों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

के लिये प्रति नुस्खा १ शिलिंग प्रतिदिन लेना शुरू कर दिया है। हम जानते हैं कि १० प्रतिशत लोगों को जो चिकित्सालय में जाते हैं, वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती। खांसी जैसी तकलीफों के लिये डाक्टरों की सेवा की आवश्यकता नहीं होती। इनका इलाज घर पर हो सकता है। फिर भी हमें खुशी है कि बहुत से लोग इस योजना से लाभ उठा रहे हैं।

श्री केशव ने जितने अनुदान की मांग की है, उतना तो कभी उपलब्ध नहीं हो सकता।

अब मैं इस योजना के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। कर्मचारियों से हमें १९६० में लगभग ३३ लाख रुपये की आय हुई थी, जबकि खर्च लगभग ६६ लाख था। इस योजना को बढ़ाया तो अवश्य जा सकता है। यदि इस पर ३ करोड़ रुपये खर्च किये जायें, तो ५० रोगियों के लिये १ डाक्टर की व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आये जब ग्रामीण कर-दाताओं को इस बात पर आपत्ति हो कि व तो भूख और प्यास से मर रहे हैं किन्तु १००००० परिवार पर ३ करोड़ रुपये खर्च किय जा रहे हैं।

†**श्री केशव** : मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की बात कर रहा था।

†**श्री करमरकर** : मुझे भय है कि जब तक ७५०० करोड़ रुपये में से जो अगले पांच सालों में विकास के लिये रखे गये हैं, १५०० करोड़ अलग न रखे जायें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की रूपरेखा भी नहीं बनाई जा सकती। एक साल में प्रति व्यक्ति व्यय १४ रुपये होगा यदि जनसंख्या १० वर्षों में ५० करोड़ मान ली जाय, तो कुल व्यय ७०० करोड़ रुपय होगा। किन्तु स्वास्थ्य मन्त्रालय की विकास योजनाओं का कुल बजट अगले पांच वर्षों में ३४० करोड़ रुपये से एक पाई भी अधिक नहीं है। इस लिये केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर ७०० करोड़ खर्च करना हमारी क्षमता से बाहर है। यदि धन का अभाव न होता, तो एसी योजना चालू की जा सकती थी।

प्रस्तावक ने एक सुझाव दिया है कि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में एक स्टाफ़ नर्स होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि डाक्टरों को सहायता मिलनी चाहिए किन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि वहां स्टाफ़ नर्स क्या करेगी। यदि कोई पुरुष सहायक रखा जाये, तो इंजेक्शन आदि में डाक्टरों को सहायता दी जा सकती है।

मैं श्री श्रीनारायण दास के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता कि योजना के अन्य शहरों में विस्तार की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये, क्योंकि यह सारा वित्त का मामला है। यदि अगले १० वर्षों में वित्तीय व्यवस्था हो सके, तो ऐसी समिति नियुक्त की जा सकती है।

दवाइयों के बारे में, लोगों को उनके नामों की ओर नहीं बल्कि उन की बनावट की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ दवाइयां नाम से बहुत लोकप्रिय हैं, तो इस का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें ही खरीदें। हमें वास्तविक वस्तु देखनी चाहिए।

हम सब दवाइयां देने का प्रयत्न करते हैं। यदि किसी समय किसी को कोई विशेष दवाई नहीं मिली, तो उस मामले की छानबीन होनी चाहिए। यह हो सकता है कि कभी कभी कोई दवाई स्टोर में नहीं होती। इस सम्बन्ध में यदि कोई त्रुटि हो, तो मैं उसे दूर करने के लिए तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे विचार में एक डाक्टर २४ घंटे ड्यूटी पर रहता है । यदि किसी व्यक्ति को डाक्टर से मिलने में कोई कठिनाई हो, तो हम उस मामले की जांच करेंगे । किन्तु चिकित्सालय २४ घंटे खुला नहीं रह सकता और न ही यह संभव या आवश्यक है । सभी अस्पतालों में आपातकालीन वार्ड होते हैं । सफ़दरजंग और विलिंगडन अस्पतालों में आपातकालीन रोगी २४ घंटे दाखिल किये जा सकते हैं ।

डाक्टर भी आखिर मनुष्य ही हैं और कई ऐसे मामले भी हुए हैं जहां डाक्टरों को अनावश्यक रूप से परेशानी उठानी पड़ी है । वस्तुतः इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहियें । वैसे प्रत्येक डाक्टर का यह कर्त्तव्य है कि आवश्यकता होने पर वह तत्काल जाये--भले ही वह अर्द्धरात्रि का समय क्यों न हो । मैं ऐसे मामलों की परीक्षा करने को तैयार हूं जहां आवश्यकता होने पर भी डाक्टर ने उपेक्षा दिखाई हो । मैं ऐसी बातों पर कड़ा रुख अख्त्यार करूंगा क्योंकि यदि एक डाक्टर आवश्यकता के समय उपस्थित नहीं होता है तो उसका कोई लाभ नहीं है ।

तथापि मरीजों को भी डाक्टरों को कुछ विश्राम करने का अवसर देना चाहिये । उन्हें भी अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । डाक्टर मशीन नहीं है । मैं अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टर को तब तक नहीं बुलाता हूं जब तक कि अत्यन्त गंभीर स्थिति नहीं पैदा होती । मैं अपने परिवारिक डाक्टर को बुला कर १० रु० फीस देता हूं । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि हमें आवश्यकता होने पर केवल उपयुक्त मामलों में ही डाक्टर को बुलवाना चाहिये ।

निस्संदेह हमारे पास टट्टी, पेशाब इत्यादि के जांच की व्यवस्था है । मैंने निदेशक से इस प्रयोजन के लिये ४ स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिये भी कहा है । वे इस प्रस्थापना पर विचार कर रहे हैं ।

दवा लेने वाले लोग यह सोचते हैं कि डिस्पेंसरी रेलवे स्टेशन की तरह हो जहां पैसे देते ही टिकट उपलब्ध हो जाता है । प्रतीक्षा के समय का भी हिसाब लगाया है और हमें ज्ञात हुआ कि अक्तूबर महीने में, जो सब से कठिन समय है ४३ प्रतिशत व्यक्ति आधे घंटे के भीतर ही फारिग हो गये । २० प्रतिशत व्यक्तियों को आध घंटे से १ घंटे का समय लगा । वस्तुतः यह इस बात पर निर्भर है कि आप अस्पताल में कब पहुंचते हैं ।

मैंने अपने एक सहयोगी के सुझाव पर उदारतापूर्वक विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया कि संसद सदस्यों के लिये जो डिस्पेंसरियां हैं उनमें पहिले ४५ मिनट केवल संसद सदस्यों के लिये ही सुरक्षित रखे जायें । क्योंकि उन्हें लोक सेवा से सम्बन्धित कार्य करने होते हैं । तथापि सभी सदस्य ४५ मिनट के भीतर नहीं पहुंच सके । क्योंकि कुछ पहिले जा कर ७ बजे से ७.४५ तक डिस्पेंसरी पहुंचने में कुछ कठिनाई होती है ।

मेरा निष्कर्ष यह है कि कोई अधिक विलम्ब नहीं होता है । मैं चाहता हूं कि कुछ अधिक विलम्ब होता किन्तु मरीज और अच्छी तरह देखे जा सकते ।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में रोगियों के सभी प्रकार के परीक्षण की व्यवस्था की गई है । वस्तुतः अन्य नगरों से जो डाक्टर लोग आते हैं । उन्हें यह देख कर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार इतनी जटिल परीक्षाओं की व्यवस्था की गई है । यदि कोई ऐसा मामला हुआ हो जहां मरीज की परीक्षा में विलम्ब हुआ हो तो मैं उसकी जांच करने को तैयार हूं ।

[श्री करमरकर]

अब हम एक अच्छे आयुर्वेदीय वैद्य की सेवायें भी उपलब्ध करने का विचार कर रहे हैं। यह अच्छा है तथापि यदि रोगी और वैद्य दोनों समझदारी से कार्य करें। एक संसद सदस्य का एपेंडिक्स केवल इस कारण फट गया कि वे चार रोज तक होमियोपैथी की चिकित्सा की प्रतीक्षा करते रहे। यदि वे किसी होमियोपैथिक डाक्टर की राय लेने के स्थान में सफदरजंग अस्पताल चले जाते तो अधिक अच्छा था। हम आयुर्वेदीय वैद्य रखेंगे क्योंकि हमें विश्वास है कि कुछ रोगों में आयुर्वेदीय उपचार डाक्टरी उपचार से अच्छा सिद्ध हो सकता है। तथापि मुझे विश्वास है कि तदुपरांत होमियोपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सक इत्यादि की भी मांग होने लगेगी। हम मांग के अनुरूप चिकित्सा प्रणालियों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे।

आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि रोगियों में ३० प्रतिशत पुरुष, ३० प्रतिशत स्त्रियां और ४० प्रतिशत बच्चे होते हैं। मैंने विभाग को आदेश दिया है कि वे अधिक शिशु रोग विशेषज्ञों को नियुक्त करें। इस समय बालकों के लिये कलावती शरण अस्पताल, इर्विन अस्पताल में कुछ पलंगें तथा सफदरजंग अस्पताल में २०० पलंगों की व्यवस्था की जा रही है। तथापि अब लोगों में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता आ गयी है।

सस्ती औषधियां संभरित करने की समस्या का एकमात्र हल यह है कि समूचा औषधि निर्माण सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाये। तथापि यह कार्य एक दिन के अन्दर संभव नहीं है। पिंपरी फैक्टरी संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है। उससे पेनिसिलीन की कीमतों में यथेष्ट कमी आ गयी है। इस कार्य में कुछ लाभ भी हुआ है। उस लाभ की राशि को पुनः उद्योग में लगा दिया जायेगा। वस्तुतः औषधियों की कीमतें एक विशेष स्तर पर रहनी चाहियें अधिक सस्ती औषधियों से सदैव समाज की सेवा ही नहीं होती है। पाश्चात्य देशों में जहां औषधियां बहुत सस्ती हैं वहां वे लोगों के जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गई हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे देशवासी भी इसके कुचक्र में फंसें।

सरदार अमर सिंह सहगल ने अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था में सफदरजंग अस्पताल को विलय करने का प्रश्न उठाया। इसमें थोड़ी कठिनाई है। वस्तुतः हम चाहते हैं कि दिल्ली के समस्त अस्पताल एक में मिल जायें तथापि ऐसा होना सरल नहीं है।

निस्संदेह चिकित्सा के सम्बन्ध में कम पैसे दे सकने वाले और अधिक पैसे दे सकने वाले के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिये। अन्तर केवल यह है कि एक सीमा से अधिक वेतन वाले सीधे विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। वस्तुतः आठ आने मासिक देने वाले व्यक्ति की भी उसी प्रकार चिकित्सा की जाती है जितना कि अधिकतम राशि देने वाले की जाती है। इस सम्बन्ध में किसी भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से पूछा जा सकता है। वस्तुतः इस योजना से सब से अधिक लाभ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हुआ है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि बिना आय की भिन्नताओं पर ध्यान दिये सभी वर्गों को एक सी चिकित्सा दी जाती है।

श्री राधारमण अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की विशेष मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि हमारी योजना का और अधिक प्रसार हो। हम इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे कि इस योजना में कुछ सुधार हो सके। मैं उनके सुझावों पर समिति का प्रतिवेदन आने पर ही अपनी राय प्रगट करूंगा। मेरे विचार से समिति सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का लाभ उठायेगी।

श्री केशव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में बहुत दिलचस्पी दिखलायी है । उन्होंने कहा है कि हमें उसे तत्काल अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत करना चाहिये । तथापि तीसरी योजना में इसके लिये कोई उपबंध नहीं किया गया है । मैं भी इसे करना चाहता हूं तथापि इसके लिये हमारे पास कोई उपबंध नहीं है वस्तुतः हमें जो राशि दी गयी है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना से भी कम है ।

जहां तक रोगियों की लम्बी कतारों का सम्बन्ध है जब तक हमारे पास पर्याप्त संख्या में डाक्टर नहीं होंगे मरीजों की लम्बी लाइनें लगी रहेंगी । तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना का निरन्तर प्रसार हुआ । पहिले इस योजना से २½ लाख व्यक्तियों को लाभ होता था अब लगभग ५ लाख व्यक्ति इसके अन्तर्गत आते हैं । जहां तक दवा ले जाने वाले रोगियों का प्रश्न है डाक्टरों के पास बहुत अधिक काम रहता है । मैं चाहता हूं कि बड़ी डिस्पेंसरियों में कम से कम एक डाक्टर और रहे । कदाचित् समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे तथापि तब वित्त का प्रश्न पैदा हो जायेगा । इसे, तथा प्रयोगशालाओं की कमी को छोड़ कर इस योजना ने अच्छा कार्य किया है । वस्तुतः प्रत्येक योजना में कुछ त्रुटियां रहती हैं । मेरे पास डाक्टरों की असावधानी से सम्बन्धित कुछ मामले भी आये हैं । ऐसे भी कुछ मामले हुए हैं जहां रोगियों ने अशिष्ट व्यवहार किया है ।

इस समय अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत व्यापक पैमाने में अस्वास्थ्यता का सर्वेक्षण किया जा रहा है । अर्थात् हम उन रोगों का पता लगा रहे हैं जिन से रोगी सामान्यतः ग्रस्त रहते हैं जिससे कि उनको रोकने के साधन अपनाये जा सकें । हम प्रत्येक नवजात शिशु को भी इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहते हैं । तथापि हम ने १००० शिशुओं से अपना कार्यक्रम आरम्भ किया है उन्हें २ वर्ष तक की आयु तक पर्यवेक्षण के अधीन रखा जायेगा । अन्ततः अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाले सभी शिशुओं को इस योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

एक लाख सरकारी कर्मचारियों में से ६०,००० का क्षय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । इससे यह ज्ञात हुआ कि पांच वर्ष पूर्व के मुकाबले क्षय रोग से ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है । क्योंकि हम उनका उपचार करते रहते हैं ।

मैं चाहता हूं कि संसद सदस्य भी स्वास्थ्य परीक्षण (चैक अप) प्रणाली का लाभ उठायें । यह प्रणाली काफी उपयोगी प्रमाणित हो चुकी है । बीमारी को पहले पकड़ना ही अधिक अच्छा है । तथापि लोगों ने इस ओर उत्साहवर्द्धक रुचि नहीं दिखायी है । मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि व तथा उनके परिवार इस प्रणाली का लाभ उठायें ।

अन्ततोगत्वा स्वास्थ्य की बास्तविक बुनियाद नियमित आदतों पर निर्भर है । इससे रोगों के शमन में सहायता मिलती है । दुःख का विषय है कि दिल्ली में इतने अच्छे पार्कों के रहने पर भी बहुत कम लोग घूमने निकलते हैं । वस्तुतः यदि हम अधिक घूमें फिरें पिकनिकें करें या बैडमिंटन इत्यादि के खेल खेलें तो अच्छा हो । वस्तुतः दिल्ली में जो लोग भी आ हैं वे स्वास्थ हो कर ही जाते हैं क्योंकि यहां का जल अच्छा है । स्वास्थ्य सेवा योजना है और स्वास्थ्य मंत्री भी यहां इतने सक्रिय हैं ।

जहां तक योगिक अभ्यास का सम्बन्ध है मुझे सभा को यह बतलाते हुए प्रसन्नता है कि लगभग ६ स्थानों में योगिक अभ्यास की शिक्षा दी जाती है और लगभग ४० व्यक्ति वहां शिक्षा पाते हैं । हम चाहते हैं कि योग का अधिकाधिक प्रचार हो क्योंकि यह व्यायाम का एक वैज्ञानिक प्रकार है । हम इसका प्रसार करने को तैयार हैं तथापि हमें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए । उदाहरणार्थ आंत्र शोध केवल खराब खाने से पैदा होता है । दिल्ली इसके लिये विख्यात है । निस्संदेह ऐसा

[श्री करमरकर]

भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। यदि लोग घर में बना हुआ सुपाच्य भोजन खायें तो वे कभी रोगी नहीं रह सकते हैं तथापि लोगों की रेस्टोरों में खाने की आदत बढ़ती जा रही है। यदि लोग निरोग रहें तो ५० लाख रुपये दवाओं में व्यय करनेके स्थान में १० लाख रुपे पार्कों इत्यादि पर व्यय करें। मैं चाहता हूं कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के अधीन आने वाले व्यक्तियों के लिये २० एकड़ का एक सुन्दर पार्क बनाया जा ।

वस्तुत: यह इस युग का अभिशाप है कि लोग स्वास्थ्य और विश्राम की ओर कम ध्यान देते हैं और दवाओं की ओर अधिक।

अत: मैं अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन आने वाले व्यक्तियों को यह बताना चाहता हूं कि यदि व कम से कम एक घंटे खुली वायु में बाहर निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। यदि सदस्य भी ऐसा करेंगे तो उससे मेरा कार्यभार विशेषत: प्रश्न काल में हल्का होगा।

मैं इन सुझावों के लिये सदस्यों का आभारी हूं। मैं उन्हें मूल्यांकन समिति को भेज दूंगा। मंत्रालय भी इन पर विचार करेगा और जहां तक संभव होगा उन पर अमल किया जायगा।

मैं एक बात कहना भूल गया कि मैं प्रस्ताव और उसके संशोधन दोनों का ही विरोध करता हूं। इसके कारण बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। हम तो बम्बई और और कलकत्ता में भी इसका विस्तार कर रहे हैं। सब नगरों में इसके विस्तार किये जाने की बात स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं।

श्री शंकर देव (गुलबर्गा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने इस स्कीम का नाम हैल्थ सर्विस स्कीम रखा है। मैं समझता हूं कि इसका नाम कंट्रीब्यूटरी मैडिकल सर्विस स्कीम होना चाहिये। हैल्थ सर्विस स्कीम तो वही हो सकती है जैसे आपने कहा है, बाहर घूमने के लिये जाना, मालिश वगैरह करना। यही हैल्थ सर्विस स्कीम हो सकती है। लेकिन इस स्कीम के तहत तो दवायें दी जाती हैं, इस वास्ते इसका नाम कंट्रीब्यूटरी मैडिकल सर्विस स्कीम होता तो ज्यादा उपयुक्त रहता। मैं चाहता हूं कि इसका नाम न बदल कर कंट्रीब्यूटरी मैडिकल सर्विस स्कीम रख दिया जाए।

श्री करमरकर : जो चीज़ है वह है। नाम से कोई चीज़ शानदार नहीं हो जाती है। जो शानदार चीज़ होती हैं वे निकम्मी भी हो सकती हैं। इसका नाम भी ठीक है और इसका काम भी ठीक है।

श्री शंकर देव : मैं चाहता हूं कि जो नाम उपयुक्त हो सकता है, इस स्कीम के लिए, वही रखा जाए। अगर नाम में कुछ नहीं है तो कंट्रीब्यूटरी मैडिकल सर्विस स्कीम ही इसका नाम क्यों नहीं रख लिया जाता.....

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया है। आपने सवाल किया था और आपको उसका जवाब मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मूल प्रस्ताव को माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं ?

†**डा० क० व० मेनन** : मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता।

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प

†**सरदार इकबाल सिंह** (फिरोजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा विप्लवी महानायक रास बिहारी बसु की पवित्र अस्थियों को पूर्ण सैनिक सम्मान तथा उपयुक्त समारोहों के साथ जापान से लाने तथा दिल्ली में उनकी अस्थियों को रखने के लिये उपयुक्त स्मारक बनाने के हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये ।"

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : औचित्य प्रश्न के हेतु । यह एक विवादास्पद विषय है क्योंकि भारत में बहुत से लोगों का विश्वास है कि नेताजी अभी जीवित हैं । यदि वह जीवित हैं तो क्या इस प्रकार के संकल्प पर चर्चा की जा सकती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि यह संकल्प पारित न किया जाय । इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । एक समिति नियुक्त की गई थी, जो एक निष्कर्ष पर पहुंची थी । इस बीच में और बहुत सी बातें हुई हैं । अन्त में यह मत है कि वहां जो अस्थियां रखी हुई हैं, वे नेताजी की हैं और इसलिए उन्हें यहां लाना चाहिए ।

इन सब बातों के बाद मैं औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे सकता । मैं संकल्प प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देता हूं । माननीय सदस्य इस का विरोध कर सकते हैं । इसके बाद हम सुनेंगे कि सरकार को क्या कहना है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : अभी नेताजी के सम्बन्ध में एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है और उसके सम्बन्ध में प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ किया गया है, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता हूं । मैं समझता हूं कि कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और रास बिहारी बाबू ने इस देश की बहुत ज्यादा सर्विस की है । उन्होंने इस देश के लिये जो कुछ किया है, जो खिदमत की है, जो सर्विस की है, उसका एहतराम करते हुए उनके जो सेक्रिड एशिज़ हैं और उनके सिलसिले में एनक्वायरी कमेटी ने जो कुछ कहा है मैं समझता हूं कोई भी किसी किस्म का डिसप्यूट नहीं होना चाहिये और किसी को यह नहीं कहना चाहिये कि ये एशिज़ उनके नहीं हैं । लेकिन अगर इस बारे में कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको मैं टच नहीं करना चाहता हूं ।

मैं कहना चाहता हूं कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस इस देश के महान नेताओं में से एक थे । उन्होंने कांग्रेस में रह कर और कांग्रेस का प्रेज़ीडेंट रह कर इस देश की आजादी की जद्दोजहद को बहुत आगे बढ़ाया है । जब वह इस देश के बाहर भी चले गये, तो वहां बाहर रह कर भी उन्होंने जो कुछ इस देश की खातिर किया है, जो कुर्बानियां की हैं, उनको भी कोई भूल नहीं सकता है । पहले जर्मनी में उन्होंने आई० एन० ए० की बुनियाद रखी । उसके बाद जब वह जापान चले गये तो वहां भी उन्होंने आई० एन० ए० की बुनियाद रखी । आई० एन० ए० ने इस देश की जिस तरह से खिदमत की है और इस देश को आजादी दिलाने में जो पार्ट अदा किया है वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है । जिस वक्त नेता जी कांग्रेस में थे और उसके बाद जब वह कांग्रेस

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार इलबाल सिंह]

के प्रेज़ीडेंट भी थे उस वक्त जो कुछ उन्होंने किया है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। हिन्दुस्तान को आजाद करवाने में कांग्रस का जो हिस्सा रहा है उससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं हिस्ट्री की बात कहता हूं। इसलिये जब आई० एन० ए० ने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये कुर्बानियां कीं तो इसके सिलसिले में किसी आदमी की दूसरी राय नहीं हो सकती कि नेता जी ने इस देश के लिये जो कुछ किया है, इस देश की आजादी की स्पिरिट को जिन्दा रखने के लिये, इस आजादी को लाने के लिये उन्होंने जितना काम किया है उतना शायद बहुत कम आदमियों ने किया होगा। इसके सम्बन्ध में बहुत दफा हाउस में क्वेश्चन हुए' गवर्नमेंट ने कोशिशें भी कीं लेकिन मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि वह कोशिशें इतनी तेजी से नहीं चल रही हैं जितनी तेजी से उनको चलना चाहिये। जब आप उनकी सैकैंड एशज़ को हिन्दुस्तान में लायेंगे और उनके लिये कोई मुतबर्रिक जगह बनायेंगे, मेमोरियल बनायेंगे तो उसे देख कर न सिर्फ आज की बल्कि आने वाली नस्लें कहेंगी कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिय कुर्बानियां करने वालों का जो सरताज था उसके लिये यह मेमोरियल बनाया गया। इस मेमोरियल से आने वाली नस्लों में देश के लिये कुर्बानी करने का जज्बा पैदा होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों की इज्जत के लिये और आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाने के लिये ही ऐसा मेमोरियल नहीं बनना चाहिये बल्कि इसलिये भी कि जो वह कहा करते थे कि वह दिल्ली के लाल किले पर आजादी का झंडा फहरायेंगे, वह आजादी भी आ चुकी है। आज आजादी आने के बाद इस लाल किले वाली दिल्ली में उनका मेमोरियल न बनना मैं समझता हूं कि उनके आइडियल को न पूरा करना है। मेरे कहने का मकसद यह है कि दिल्ली में ही नेताजी सुभाष चन्द्र बसु का और रास बिहारी बोस का मेमोरियल बनना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान के लोगों को हिन्दुस्तान की कौम को जागृत करने के लिये एक निशानी हो, और जिन लोगों के लिये उन्होंने काम किया है, उनकी खिदमत हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं। अब सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होगी।

इस के पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१

१७ भाद्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३८९१—३९३४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१३१९	शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	३८९१–९२
१३२०	तिब्बत में पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई	३८९२—९४
१३२१	घरेलू नौकरों का कल्याण .	३८९४–९५
१३२२	'पैनिसिलीन' और 'स्ट्रेप्टोमईसीन' .	३८९५–९६
१३२३	नंगल उर्वरक कारखाना . .	३८९७–९८
१३२४	दीर्घकालीन योजना	३८९८–९९
१३२५	व्यावसायिक जोखिम निवारण सम्बन्धी विश्व कांग्रेस	३८९९—३९०१
१३२६	केन्द्रीय रेशमकीट पालन संस्था, बरहामपुर	३९०१
१३२७	लुधियाना (पंजाब) में ऊन शोधन कारखाना	३९०२–०३
१३२८	तारापुर अणु शक्ति परियोजना	३९०३
१३३०	केन्द्रीय क्रय समिति . . .	३९०३–०४
१३३१	श्रम जीवी पत्रकारों के लिए उपदान	३९०४—०६
१३३२	पांडिचेरी में भारत विरोधी प्रचार	३९०६—०९
१३३३	राज्य सरकारों को धन देने की प्रक्रिया	३९१०
१३३४	असमिया भाषा .	३९११–१२
१३३५	फीजी की ब्रिटिश नागरिकता .	३९१२—१४
१३३६	लंका से भारतीयों का प्रत्यावर्तन . .	३९१४—१६
१३४२–अ	गोआ में पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा शस्त्र जमा किया जाना .	३९१६—१८
१३३७	उड़ीसा और पंचवर्षिय योजना . . .	३९१८–१९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
३	कलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड . .	३९१९—२४
४	पाकिस्तान में लेफ्टीनेंट कर्नल भट्टाचार्य का मुकद्दमा .	३९२४—२७

प्रश्नों केमौकिक उत्तारलिखि उत्तर--क्रमशः **विषय** **पृष्ठ**

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

५ डा० आग्रो की मत्यु . . . ३९२७--२९

६ आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) की द्विसदस्यीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन ३९२९

७ राज्यों की विधानन्सभाओं और लोक सभा के लिये रक्षित स्थानों की संख्या में कमी . . ३९२९-३०

८ आगामी सामान्य निर्वाचनों में मत लेने का तरीका ३९३०-३१

९ पंजाब में स्थिति . . . ३९३१--३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . ३९३४--८६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३२९ नारियल जटा उद्योग . . . ३९३४

१३३८ "प्यार की प्यास" ३९३६

१३३९ भेषजों का निर्यात . . . ३९३५

१३४० पेट्रो रसायन परियोजना . . . ३९३५-३६

१३४१ भारत में नाइजीरिया का आर्थिक प्रतिनिधिमंडल ३९३६

१३४२ कार्यालयों को दिल्ली से हटाना ३९३६-३७

१३४३ शुद्ध मापक उपकरण तैयार करने वाला कारखाना ३९३७

१३४४ बागान सम्बंधी औद्योगिक समिति ३९३७

१३४५ दिल्ली में भुमिगत जल ३९३७-३८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३७७७ तिहाड़ गांव दिल्ली का नवनिर्माण ३९३८

३७७८ दिल्ली निगम द्वारा ढाका गांव का विकास ३९३८

३७७९ केरल में मोनाजाइट निक्षेप . . ३९३८-३९

३७८० भविष्य निधि योजना का रूपभेद . . ३९३९

३७८१ प्रौद्योगिकीय परामर्श विभाग (टैक्नोलाजिकल कन्सल्टिंग व्यूरो) ३९३९

३७८२ लन्दन में महात्मा गांधी की मूर्ति ३९३९-४०

३७८३ भारतीय चल चित्रों का निर्यात . ३९४०

३७८४ ट्रैक्टरों और खेती के औजारों का निर्माण ३९४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३७८५	राजस्थान-पश्चिम पाकिस्तान सीमा	३९४०–४१
३७८६	नागाओं द्वारा मारे गये कर्मचारी	३९४१
३७८७	पूर्व पाकिस्तान और असम सीमा	३९४१
३७८८	आन्ध्र प्रदेश में खादी का उत्पादन	३९४२
३७८९	नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के दक्षिण द्वार का भित्तिलेख	३९४२
३७९०	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	३९४२–४३
३७९१	पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर प्रतिबन्ध	३९४३–४४
३७९२	आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक लाइसेंस	३९४४
३७९३	सिक्किम में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	३९४४
३७९४	खादी ग्रामोद्योग भवन, दिल्ली	३९४५
३७९५	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	३९४५–४६
३७९६	कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान	३९४६
३७९७	अफ्रीका में नये मिशन	३९४६–४७
३७९८	बिजली के खंभों का आयात	३९४७
३७९९	ईरान के साथ व्यापार करार	३९४७
३८००	पाकिस्तान में हिन्दुओं के मूल अधिकार	३९४७–४८
३८०१	लाजपतराय मार्केट, दिल्ली में दूकानों का दिया जाना	३९४८
३८०२	केरल में त्रावनकोर रेयन कारखाना	३९४८–४९
३८०३	बिहार में खादी का उत्पादन	३९४९
३८०४	कुल्टी में इस्पात कर्मचारियों के लिए मकान	३९४९
३८०५	अल्पकालिक सामाजिक पाठ्यक्रम के लिए चुने गये व्यक्ति	३९४९
३८०६	भारतीय सीमान्त प्रशासनिक सेवा	३९५०
३८०७	पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ व्यापार	३९५०
३८०८	मजूरी गणना	३९५०
३८०९	हड़तालें	३९५१
३८१०	काश्मीर	३९५१
३८११	दिल्ली में दूकानों के काम के घंटे	३९५१
३८१२	मिनसर गांव	३९५२
३८१३	सीमेंट का उत्पादन तथा उसके मूल्य	३९५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३८१४	रुई का आयात . . .	३९५२
३८१५	ईरान को भारतीय व्यापार शिष्टमंडल .	३९५३
३८१६	आसाम के हेलाकांडी जिले में पुनर्वास . . .	३९५३
३८१७	संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी संस्थाओं को भारत का अंशदान	३९५३
३८१८	नेपाल में भारतीय सहायता मिशन .	३९५३–५४
३८१९	अमरीका को फैरो-मैंगनीज़ का निर्यात .	३९५४
३८२०	दिल्ली में सस्ते कपड़े की दूकानें .	३९५५
३८२१	नेहरू-लियाकत समझौता	३९५५
३८२२	खेतिहर मजदूरों के लिये भूमि .	३९५५–५६
३८२३	जम्मू तथा काश्मीर में आयात निर्यात नीति	३९५६
३८२४	कहवा बोर्ड के कर्मचारी . . .	३९५६–५७
३८२५	प्रेस बटनों के स्प्रिंगों के लिये आयात अनुज्ञप्तियां .	३९५७
३८२६	प्रेस बटनों की स्प्रिंगों का अयात . .	३९५८
३८२७	प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर	३९५८–५९
३८२८	प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर . . .	३९५९
३८२९	जयपुर हाउस, नई दिल्ली के तबेलों का किराया	३९५९–६०
३८३०	ब्रिटेन में भारतीय अध्यापकों के साथ भेदभाव .	३९६०–६१
३८३१	छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण प्रत्याभूति . .	३९६१
३८३२	पाकिस्तान को त्रिपुरा के क्षेत्र का हस्तान्तरण . .	३९६१
३८३३	प्रादेशिक श्रम आयुक्त, कानपुर . .	३९६१–६२
३८३४	मिचलिन टायरों का आयात . . .	३९६२
३८३५	समाचार पत्र रजिस्ट्रार की वार्षिक रिपोर्ट . .	३९६२
३८३६	उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) में रेडियो स्टेशन . .	३९६२–६३
३८३७	छोटे पमाने के उद्योग .	३९६३
३८३८	तिब्बत के साथ व्यापार . . .	३९६३–६४
३८३९	विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन का सर्वेक्षण .	३९६४
३८४०	स्कूलों के अध्यापकों को क्वार्टर दिया जाना . .	३९६५
३८४१	गीता कालोनी . . .	३९६५
३८४२	केशोराम काटन मिल्ज़ लिमिटेड, कलकत्ता . .	३९६५–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३८४३	कांगड़ा घाटी में चाय	३९६६
३८४४	कपड़ा मिलें	३९६६
३८४६	परामर्शदाता इंजीनियरिंग सार्थ	३९६७
३८४७	क्वार्टरों का आवंटन	३९६७–६८
३८४८	आसाम राज्य परिवहन	३९६८
३८४९	रद्दी चाय से औषधियां	३९६८
३८५०	पूंजी वस्तुओं का आयात	३९६९
३८५१	एक फेज और कई फेज वाले बिजली के मीटर	३९६९—७१
३८५२	इन्टरनल कम्बश्शन डीज़ल इंजन	३९७१–७२
३८५३	पीतल के बर्तनों के निर्यातक	३९७२–७३
३८५४	चाय बागान	३९७३–७४
३८५५	तिब्बत से काश्मीरी मुसलमानों को स्वदेश लौटाना	३९७४
३८५६	इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में गिरावट	३९७४–७५
३८५७	गोल मार्केट, नई दिल्ली के क्वार्टर	३९७५
३८५८	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई	३९७५–७६
३८५९	अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, बम्बई	३९७६
३८६०	गौहाटी में आकाशवाणी के कर्मचारी	३९७७
३८६१	केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरे वाले क्वार्टर	३९७७
३८६२	श्रम विधियों की कार्यान्विति के बारे में व्यापक प्रकाशन	३९७८
३८६३	पूर्वी यूरोपीय देशों को प्रतिनिधिमंडल	३९७८
३८६४	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	३९७८–७९
३८६५	चाय का नीलाम बाजार	३९७९
३८६६	ऊनी वस्तुओं का उत्पादन तथा बिक्री	३९८०
३८६७	बर्मा में भारतीय राष्ट्रजन	३९८०
३८६८	ग्रामीण गृह निर्माण के दावे	३९८०–८१
३८६९	आकाशावणी	३९८१
३८७०	आकाशवाणी	३९८१–८२
३८७१	काम दिलाऊ दफ्तर	३९८२–८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर---क्रमश:	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३८७२	श्रम मंत्रालय में अनुसन्धान अनुभाग	३९८३
३८७३	मैसर्स रिचार्डसन एण्ड कुडास, बम्बई के मामले	३९८४
३८७४	पूना के बाढ़ पीड़ितों के लिए मकान	३९८४–८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		३९८५—९५

तेरह अन्य ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के उत्तर में, जो कि नीचे सम्बन्धित सदस्यों के नामों के आगे बताई गयी हैं, सम्बन्धित मंत्रियों ने वक्तव्य टेबल पर रखे :—

(१) श्री इन्द्रजीत गुप्त	बड़ागढ़, कुमुन्द नयाडीह, गुआ, चीना-कूड़ी और रातीबाड़ी की खानों में निरन्तर होने वाली दुर्घटनायें ।
(२) श्रीमती इला पालचौधरी	आई० सी० एस० अफसरों के वेतन में कटौती के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कथित सिफारिश ।
(३) श्रीमती इला पालचौधरी	२६ अगस्त, १९६१ को फर्रुखाबाद स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे फर्रुखाबाद-शिकोहाबाद पेसेंजर गाड़ी को रोका जाना ।
(४) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये नियत की गई योजना की धन-राशि के पुनरीक्षण का प्रस्ताव ।
(५) श्री लैं० अचौ सिंह	हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रस्तावित नई राजनैतिक व्यवस्था का जारी किया जाना ।
(६) श्री नरसिंहन	टूटीकोरिन से २० लाख रुपये की कीमत के हथकरघे के कपड़े के निर्यात के लिये कपड़ा कमिश्नर के कार्यालय द्वारा गोदो निरीक्षण प्रमाण-पत्र का कथित दिया न जाना ।
(७) श्री मो० ब० ठाकुर	लोहे की कतरन के निर्यात सम्बन्धी समिति की नियुक्ति और सरकार द्वारा लोहे की कतरन के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध ।

विषय		पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—क्रमशः		
(८) श्री भा० कृ० गायकवाड़	अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने के बारे में सरकार की नीति में कथित परिवर्तन ।	
(९) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	एशोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के कर्मचारियों और अनुसन्धान सहायकों की हड़ताल की धमकी ।	
(१०) श्री ओझा	राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा अपना पंचाट दिये जाने में विलम्ब ।	
(११) श्रीमती मैमूना सुलतान	दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसन्धान सहायक द्वारा कथित आत्महत्या ।	
(१२) श्री इन्द्रजीत गुप्त	जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले नौकरी से हटाये गये ३०० से अधिक कर्मचारियों का फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के फैडरेशनों तथा संघों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब ।	
(१३) श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	इस सप्ताह उड़ीसा में आई भारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३९९५—९८

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड की वर्ष १९६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) देश में बाढ़ स्थिति के सम्बन्ध में २८ और ३० अगस्त, १९६१ को हुए वाद-विवाद में उठायी गई कुछ बातों के बारे में एक वक्तव्य ।

(३) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

१. पहला विवरण		चौदहवां अधिवेशन, १९६१
२. अनुपूरक विवरण संख्या	७	तेरहवां अधिवेशन, १९६१
३. अनुपूरक विवरण संख्या	८	बारहवां अधिवेशन, १९६०
४. अनुपूरक विवरण संख्या	१२	ग्यारहवां अधिवेशन, १९६०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमश :

५. अनुपूरक विवरण संख्या १७ नवां अधिवेशन, १९५९

६. अनुपूरक विवरण संख्या २० आठवां अधिवेशन, १९५९

७. अनुपूरक विवरण संख्या २५ सातवां अधिवेशन, १९५९

(४) कहवा अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५४ में प्रकाशित कहवा (तीसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(५) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १ जून, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/५७/६०—परिवहन की एक प्रति ।

(६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ की धारा ११ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ३० अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०८५ में प्रकाशित मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(७) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) वर्ष १९५९–६० के लिये भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यास-धारियों का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(८) बैंकिंग कम्पनीज़ अधिनियम, १९४९ की धारा ४५ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३४ में प्रकाशित रायलासीमा बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे इण्डियन बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(दो) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३७ में प्रकाशित पाई-मनी बैंक (प्राइवेट) लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग सिन्डीकेट लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(तीन) दिनांक २६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०३९ में प्रकाशित मूलकी बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा इन्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग सिन्डीकेट लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

विषय] पृष्ठ

(चार) दिनांक २८ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०८९ में प्रकाशित तेजपुर इन्डस्ट्रियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(पांच) दिनांक २८ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०९२ में प्रकाशित जी० रघुनाथमल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे कनारा बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(छै) दिनांक २९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २०९८ में प्रकाशित मरचेन्ट्स बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे तंजोर परमानेंट बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(सात) दिनांक २९ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१०० में प्रकाशित कटक बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

(आठ) दिनांक १ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २१०८ में प्रकाशित सतारा स्वदेशी कमर्शियल बैंक लिमिटेड के पुनर्निर्माण और उसे यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के साथ मिलाने की योजना ।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कार्यवाही—सारांश पटल पर रखे गये ३९९८

इक्कीसवीं बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये ।

राज्य सभा से सन्देश ३९९८

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(१) कि राज्य सभा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) बिल, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य सभा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) बिल, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(३) कि राज्य सभा ने श्री हरिहर पटेल के राज्य सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने से धार्मिक न्यास बिल, १९६० की संयुक्त समिति में हुई रिक्ति में श्री लोक नाथ मिश्र को मनोनीत किया है ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ३९९९

अड़तीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ३९९९

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) ने सिक्किम में तीस्ता नदी के पुल के टटने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा ।

विषय

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा वक्तव्य	
श्री स० मो० बनर्जी ने भारतीय श्रम सम्मेलन के १७वें और १८वें अधिवेशनों के निष्कर्षों पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्तावों के सिलसिले में श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री द्वारा २ मई, १९६१ को दिये गये भाषण से उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	३९९९
श्रम और रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा) ने उसके उत्तर में एक वक्तव्य दिया ।	
राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया विधेयक—संशोधन स्वीकृत हुये	३९९९—४००३
वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि आय कर विधेयक के खंड १३, ८८ और २८८ पर राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन स्वीकृत किये जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक पारित	४००३—०५
जमा धन बीमा निगम विधेयक पर खंडवार चर्चा जारी रही । खंड ६ और १६ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए । खंड ७ से १५, १७ से ५१ और १ स्वीकृत हुए और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।	
यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव	४००६—१६
श्री आसलीवाल ने प्रस्ताव किया कि ब्रिटेन की सरकार के यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये । श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	४०१६
नवासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया . . .	४०१६—३४
डा० क० ब० मेनन ने २५ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत किये गये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के विस्तार के बारे में संकल्प पर अपना भाषण समाप्त किया । चर्चा समाप्त हुई और डा० क० ब० मेनन ने वादविवाद का उत्तर दिया । संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन	४०३५—३६
सरदार इकबाल सिंह ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा विप्लवी महानायक रासबिहारी बसु की पवित्र अस्तियों को जापान से लाने तथा दिल्ली में उनकी अस्थियों को रखने के लिये उपयुक्त स्मारक बनाने के हेतु सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाये ।	

विषय **पृष्ठ**

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।,

लोक सभा अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हुई

दूसरी लोक सभा के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

सत्र की अवधि . . .	७ अगस्त से ८ सितम्बर १९५१/१६ श्रावण से १७ भाद्र १८८३ (शक)
बैठकों की संख्या	२५
बैठकों के कुल घंटों की संख्या . .	१७४ घंटे ३८ मिनट

मत विभाजनों की संख्या

सरकारी विधेयक

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन .	१३
(२) पुरस्थापित किये गये . . .	१५
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	२
(४) प्रवर समिति को सौंपे गये	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपा गया	१
(६) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	३
(७) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(८) पारित किये गये . .	१५
(९) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के वापस किये गये	४
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाया गया .	१
(११) राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन स्वीकृत किये गये	१ विधेयक
(१२) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	१२५
(२) पुरःस्थापित किये गये	४
(३) जिन पर चर्चा हुई	५
(४) वापिस लिये गये	१
(५) अस्वीकृत हुए	कोई नहीं
(६) पारित किया गया	
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई	

विषय	पृष्ठ
(८) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन . .	१२८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा	
(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं . .	६
(२) जिन पर चर्चा हुई .	३
नियम १९७ के अधीन दिये गये वक्तव्य	
(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)	
(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं	१०६
(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	२८
आधे घंटे की चर्चा	५
सरकारी संकल्प	
(१) प्रस्तुत किये गये	कोई नहीं
(२) स्वीकृत	कोई नहीं
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(१) प्राप्त हुए	६९९
(२) गृहीत किये गये	५३६
(३) जिन पर चर्चा हुई .	५
(४) वापिस लिये गये .	२
(५) अस्वीकृत . . .	२
(६) जिन पर अंशतः चर्चा हुई	१
(७) स्वीकृत	कोई नहीं
सरकारी प्रस्ताव	
(१) प्रस्तुत किये गये . .	३
(२) स्वीकृत	४ (एक प्रस्ताव १३वें सत्र में प्रस्तुत किया गया था)
गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	
(१) प्राप्त हुए . . .	२५४
(२) गृहीत किये गये	२४३
(३) प्रस्तुत किये गये . .	८
(४) स्वीकृत . . .	४

संविहित नियमों के रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	३८
(२) गृहीत किये गये	३८
(३) प्रस्तुत	३५

स्थगन प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	२२
(२) गृहीत किये गये . .	कोई नहीं
(३) जिन पर अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी	२२

पूछे गये प्रश्न

(१) तारांकित . . .	१३४६
(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिनको अतारांकित बना दिया गया) . .	३८४९
(३) अल्प सूचना प्रश्न . . .	९

सदस्यों द्वारा उपस्थापित याचिकाओं की संख्या . १

संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित

(१) प्राक्कलन समिति . . .	४
(२) लोक लेखा समिति . .	१
(३) विशेषाधिकार समिति . . .	१
(४) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति . . .	१
(५) लाभ पदों सम्बन्धी समिति . .	१
(६) याचिका समिति	१
(७) कार्य मंत्रणा समिति	३
(८) सभा की बैठकों से सदस्यों की अनपस्थिति संबंधी समिति .	१
(९) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	५